द्वितीय माला, खण्ड ५—अंक २४

१४ अगस्त, १९५७ (बुधवार)

# लोक-सभा

# वाद-विवाद

**2nd Lok Sabha**

(खण्ड ५ में अंक १२ से अंक ३० तक हैं)

**लोक-सभा सचिवालय,**
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

141 LSD

# विषय-सूची


पृष्ठ

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न* संख्या ८८८ से ९००, ९०२, ९०३, ९०५, ९०६ और ९०८ . . . . . ३७३१—५४

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ९०४, ९०७ और ९०९ से ९३१ . . ३७५४—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६३ से ६८१ . ३७६४—७५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ३७७५-७६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प सम्बन्धी समिति—

चौथा प्रतिवेदन . . . . . ३७७६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

सौनाली स्टेशन के आगे रेलों का बन्द किया जाना . . ३७७६-७७

अनुदानों की मांगें—

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . . . ३७७७—३८१६

श्री ईश्वर अय्यर . . . . . ३७७८-७९

श्री रंगा . . . . . ३७७९-८०

श्री अन्सार हरवानी . . . . . ३७८०-८१

श्री भक्त दर्शन . . . . . ३७८१—८५

श्री भा० कृ० गायकवाड़ . . . . . ३७८५—८७

श्री हेम राज . . . . . ३७८७—९१

श्री सुब्बया अम्बलम् . . . . . ३७९७-९८

श्री राधे लाल व्यास . . . . . ३७९८

श्री सुबिमन घोष . . . . . ३७९८-९९

श्री दासप्पा . . . . . ३७९९-३८००

श्री नि० वि० माईति . . . . . ३८०१

डा० क० ब० मेनन . . . . . ३८०२-०३

श्री कोडियान . . . . . ३८०३

श्री क० च० रेड्डी . . . . . ३८०३—१६

गृह-कार्य मंत्रालय . . . . . ३८१६— १६

श्री नौशीर भरूचा . . . . ३८१७-१८

श्री रघुबीर सहाय . . . . . ३८१८-१९


*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पष्ठ तीन पर देखिए

# लोक-सभा

बुधवार, १४ अगस्त, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### भारत का राज्य व्यापार निगम[1]

†*८८८. **श्री केशव** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के आयात व्यापार के सम्बन्ध में वस्तुओं के चयन और वास्तविक आयात सम्बन्धी नीति के कोई निश्चित नियम हैं ; और

(ख) क्या वस्तुओं का आयात टेंडर की स्वीकृति के परिणामस्वरूप किया जाता है अथवा मूल्यों का निर्धारण प्रभारी पदाधिकारियों के साथ निजी बातचीत द्वारा किया जा रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) नहीं, श्रीमान् । वस्तुओं का राज्य व्यापार निगम के द्वारा आयात करने का निर्णय सम्बन्धित आर्थिक तत्वों का विचार करने के पश्चात् जैसे और जब आवश्यक होता है, किया जाता है ।

(ख) निगम खरीद का कोई अनन्य तरीका नहीं अपनाता और सस्ते से सस्ते बाजार से खरीद करने के सामान्य वाणिज्यिक अभ्यास का अनुसरण करता है । वह प्रत्येक वस्तु के लिये सर्वाधिक उपयुक्त तरीका अपनाता है ताकि परिणाम अच्छे से अच्छे निकलें ।

†**श्री केशव** : यह किस अभिकरण द्वारा किया जा रहा है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : राज्य व्यापार निगम द्वारा अपने व्यापार के सम्पादन के लिये यथा-सम्भव वर्तमान व्यापार माध्यमों का उपयोग किया जाता है ।

†**श्री वें० प० नायर** : मुझे वार्षिक प्रतिवेदन से मालूम होता है कि राज्य व्यापार निगम का मुख्य उद्देश्य देश के विदेश व्यापार का व्यवर्तन और विकास करना है । मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ विदेशी मुद्रा का लाभ कराने वाली वस्तुओं, जैसे काली मिर्च, का अन्य बाजारों में इतना अच्छा स्वागत नहीं हुआ है, क्या राज्य व्यापार निगम ने इस प्रश्न पर ध्यान दिया है और उन मार्गोपायों का विचार किया है जिन के द्वारा ऐसी वस्तुओं से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सके ?

†मूल अंग्रेजी में

[1] State Trading Corporation of India (Private) Limited.

†**श्री सतीश चन्द्र** : काली मिर्च के लिये एक निर्यात संवर्धन परिषद है जो उस वस्तु का निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है। मुख्य कठिनाई अन्य उत्पादक देशों के साथ स्पर्धा है ; मूल्य का प्रश्न आ जाता है। राज्य व्यापार निगम किसी वस्तु का निर्यात अथवा आयात तब करता है जब ऐसा करना राष्ट्र के लिये आर्थिक दृष्टि से लाभकारी पाया जाता है।

†**श्री वोडयार** : क्या राज्य व्यापार निगम का प्रशासन केन्द्र द्वारा किया जाता है ; यदि हां, तो उस के प्रशासन में राज्यों के प्रतिनिधि क्यों नहीं सम्मिलित किये गये हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : राज्य व्यापार निगम एक गैर-सरकारी परिसीमित समवाय है जो समवाय अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है। वह भारत सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या काजू की गिरी के निर्यात राज्य व्यापार निगम के पर्यालोकन में आता है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : अभी तक निगम ने ११ वस्तुओं का आयात और १८ वस्तुओं का निर्यात किया है। काजू उन में नहीं आता है। उस का निर्यात व्यापार के सामान्य माध्यमों से किया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या राज्य व्यापार निगम के गठन, कार्यों आदि के सम्बन्ध में कोई पुस्तकें नहीं हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : राज्य व्यापार निगम का निर्माण लगभग एक वर्ष पूर्व किया गया था। प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन अब तैयार किया जा रहा है और लोक-सभा पटल पर रखा जायेगा।

†**श्री दासप्पा** : क्या राज्य व्यापार निगम अपना व्यापार विदेशों में स्थित व्यापार मिशनों द्वारा करता है अथवा स्वतंत्र रूप से ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : दोनों तरीकों से। कुछ देशों में, विशेष कर पूर्वी योरपीय देशों में, लेनदेन उन सरकारों द्वारा स्थापित अभिकरणों द्वारा किया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं विभिन्न निगमों के प्रभारी मंत्रियों को यह सुझाव दूंगा कि वे स्मरण पत्र और संथा के अनुच्छेद, समय समय पर बनाये जाने वाले विनियम और अन्य चीजें पुस्तकालय में भिजवा दिया करें ताकि मैं उन से यह कह सकूं कि वे पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। इन के ब्यौरे यहां नहीं दिये जा सकते। १८ वस्तुएं हैं। वे कौन कौन सी हैं ? जब कोई नई वस्तु सम्मिलित की जाती है तो उसे विज्ञापित किया जाना चाहिये।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : वैसा किया गया है। यदि वैसा नहीं किया गया है तो चाहे कुछ भी हो हम वह करेंगे।

†**श्री त्यागी** : क्या निगम के लेखाओं की लेखा परीक्षा महालेखापरीक्षक द्वारा की जा सकती है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : हां, श्रीमान्।

†**श्री सतीश चन्द्र** : हां, श्रीमान् ; प्रथम वर्ष के लेखे की लेखापरीक्षा इस समय की जा रही है।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या राज्य व्यापार निगम को उन वस्तुओं के सम्बन्ध में विदेश व्यापार हाथ में लेने की कोई निर्दिष्ट शक्ति प्राप्त है जिन के भाव कुछ देशों द्वारा एकाधिपत्य खरीदों के कारण और भारत में सट्टे की भयंकर होड़ द्वारा घटते बढ़ते रहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र** : राज्य व्यापार निगम का एक उद्देश्य ठीक यही है । उदाहरणार्थ, उस ने कास्टिक सोडा और सोडा भस्म और कच्चे रेशम का आयात अपने हाथ में ले लिया है जिन के भावों में पर्याप्त अस्थिरता थी अब वे भाव स्थिर हो गये हैं ।

†**श्री वें० प० नायर** : वे आयात की वस्तुयें हैं ; मैं निर्यात चाहता हूं :

**कपड़े के भाव**

†*८८९. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के बाजारों में विभिन्न प्रकार के कपड़ों के भाव की वर्तमान स्थिति कैसी है;

(ख) क्या भावों में काफी हद तक चढ़ाव अथवा उतार की कोई प्रवृत्ति रही है; और

(ग) देश में कपड़ों के उत्पादन अपक्रय और स्टाक की वर्तमान स्थिति कैसी है ?

†**वाणिज्य उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १९**]

†**श्री श्रीनारायण दास** : विवरण से ऐसा मालूम होता है कि विभिन्न प्रकार के कपड़ों के भावों में कोई विशेष गिरावट नहीं आई है । क्या सरकार ने देश में कपड़े के भाव कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : माननीय सदस्य देखेंगे कि सूती कपड़े के भावों में सितम्बर, १९५६ में आबकारी कर में वृद्धि किये जाने के बावजूद भी गिरावट की प्रवृत्ति रही है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : आबकारी कर में वृद्धि के कारण भाव किस हद तक चढ़े ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: माननीय सदस्य विवरण में यह देखेंगे कि वास्तव में इस समय जो भाव चल रहे हैं वे सितम्बर की अपेक्षा ५ प्रतिशत कम हैं जबकि सब कपड़ों पर २ आना प्रति गज का आबकारी कर लगाया गया था ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मिलों में बहुत मात्रा में कपड़ा जमा हो गया है । क्या सरकार यह सोचती है कि यह जमाव साधारणतः पूजा और दिवाली के दौरान में भी बना रहेगा अथवा वह कपड़े के इस जमाव को हटाने के लिए कोई विशेष कदम उठाने का विचार कर रही है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : विभिन्न मिलों में ३ से ४ सप्ताह तक के उत्पादन का स्टाक है और आशा की जाती है कि उसमें से अधिकांश त्योहारों के दिनों में निकल जायगा । आजकल मन्दे के दिन चल रहे हैं ।

†**श्री हेडा** : क्या यह सच है कि कुछ प्रकार के कपड़ों के मामले में आबकारी कर अधिक है, अर्थात् कपड़े के मूल्य का ५० प्रतिशत तक ।

**श्री मनुभाई शाह** : ऐसा नहीं है । परन्तु मोटे किस्म के कपड़ों पर वह कहीं कहीं ३३ प्रतिशत से अधिक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दामानी: क्या मैं जान सकता हूं कि जुलाई, १९५७ के अन्त में मिलों में कितना स्टाक था और गत वर्ष उसी समय के स्टाक की तुलना में वह कम है या अधिक ?

†श्री मनुभाई शाह : इस समय सब मिलों का स्टाक केवल ३,१९,००० गाठें हैं, जो कि १९५५ की तुलना में अच्छा है जब वह २,५४,००० था और १९५४ म १,३८,००० था । स्टाक की वर्तमान स्थिति ऐसी बिल्कुल नहीं है जिससे आशंका उत्पन्न होती हो क्योंकि गत दो वर्षों में उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है ।

**ग्राम-आवास**[3]

+

†*८९०. { श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री राम कृष्ण :
श्री केशव :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पु० र० पटेल :
श्री कर्णी सिंह जी :
श्री ले० अचौ सिंह :
श्री संगण्णा : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के ग्रामीण आवास कार्यक्रम की दिशा में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

† **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : ग्राम आवास परियोजनाओं के लिए एक सर्वतोमुखी योजना की मुख्य मुख्य बातों के सम्बन्ध में अंतिम रूप से निर्णय हो गया है । योजना की प्रमुख विशेषतायें लोक सभा-पटल पर रखे गए विवरण में बताई गई हैं । **[देखिये परिशिष्ट, ३, अनुबन्ध संख्या २०]**. योजना का ब्यौरा राज्य सरकारों को प्रेषित किया जा रहा है जो ग्रामीण आवास के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या सरकार ने ग्रामीण आवास योजनाओं के प्रयोजन के लिए कुछ राशि देने का वचन दिया था और यदि हां, तो कितनी राज्य सरकारों ने अपनी योजनायें संमोदन के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत की हैं ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : मैं ने जो उत्तर दिया है, यदि माननीय सदस्य ने उसको ध्यान से सुना होता तो उन्हें यह ज्ञात हुआ होता कि योजना चालू की जाने वाली है । अस्तु, हमें अभी तक राज्य सरकारों से कोई योजनायें नहीं मिली हैं । आगे चल कर राज्य सरकारों को अपनी योजनायें भेजनी होंगी जिन पर विचार करना होगा और जिन्हें संमोदित अथवा अस्वीकृत करना होगा ।

†**श्री कर्णी सिंह जी** : इस दिशा में राजस्थान के लिए प्रारम्भ में कितना आवण्टन किया गया है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : अभी तक राज्य-वार आवण्टन नहीं किया गया है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

[3] Rural Housing.

†**श्री स० र० अरुमगम्:** इस मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में गृह निर्माण के उद्देश्य से एक ग्रामीण आवास खंड स्थापित किया है। क्या मद्रास सरकार में भी ऐसी कोई इकाई है, और यदि हां, तो उन्होंने कितने घर बनाए हैं ?

†**श्री क० च० रेड्डी :** योजना के अनुसार राज्यों में एक ग्रामीण आवास योजना का प्रारम्भ करना होगा। जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, हम ग्रामीण खंड के कार्यकरण के लिए ५० प्रतिशत भुगतान करने को सहमत हैं, परन्तु शेष ५० प्रतिशत संबंधित राज्य-सरकार को ही देना होगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** जिन आठ मदों का उल्लेख किया गया है उनमें से कितनी कार्यान्वित की जा चुकी हैं और क्या पांच प्रादेशिक गवेषणा तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं अथवा वे कब स्थापित किए जायेंगे ?

†**श्री क० च० रेड्डी :** इस योजना का अंतिम निर्णय हाल में ही हुआ है और वह राज्य सरकारों के पास प्रेषित नहीं की गई है। मुझे भय है कि माननीय सदस्य बहुत अधिक आशा कर रहे हैं।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या दो अन्य योजनायें भी हैं--अल्प आय आवास योजना और ग्रामीण क्षेत्रों में गृह निर्माण की योजना--और क्या वे इससे भिन्न हैं अथवा वे भी इसमें सम्मिलित हैं ?

†**श्री क० च० रेड्डी :** यह कहना ठीक होगा कि यह दोनों के बीच की है। उदाहरणार्थ, गृह मंत्रालय द्वारा हरिजनों आदि के लिए दिए जाने वाले ऋणों, वित्तीय सहायताओं और अनुदानों को ग्रामीण आवास योजना में मिलाना होगा और योजना उन लाइनों पर चलाई जाएगी ।

†**श्री नागी रेड्डी :** क्या सरकार ग्रामीण आवास योजनाओं में हरिजनों और खेतिहर मजदूरों के लिए अलग अलग राशियां आवण्टित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**श्री क० च० रेड्डी :** जैसा मैंने बताया, ग्रामीण आवास योजना से भिन्न कुछ अन्य योजनायें हैं जो गावों में रहने वाले लोगों की आवश्यकतायें पूरी करेंगी। उदाहरणार्थ, गृह मंत्रालय की एक योजना है और हरिजनों तथा पिछड़े हुए वर्गों के आवास के लिए आवण्टित निधि है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की हाथकरघा बुनकरों आदि के लिए घर बनाने के लिए निधि के आवण्टन के लिए एक योजना है। एक या दो अन्य मंत्रालयों की भी कुछ योजनायें हैं। इस तरह इन सब योजनाओं का समन्वय किया जायगा और योजनाओं का एक प्रकार का सर्वतोमुखी कार्यान्वयन होगा।

†**श्री मोहम्मद इमाम :** क्या राज्य सरकारों ने ग्रामीण आवास के लिए अपने व्यापक कार्यक्रम भेजे हैं ? प्रत्येक राज्य में कितने घर बनाए गए हैं ?

†**श्री क० च० रेड्डी :** जहां तक ग्रामीण आवास योजनाओं का सम्बन्ध है किसी राज्य सरकार ने अभी तक व्यापक योजना नहीं भजी है। उन्हें आगे चलकर योजनायें भेजनी हैं। यह प्रश्न कि वे कहां तक कार्यान्वित की गई हैं उत्पन्न नहीं होता।

---

† मल अंग्रजी में

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह सच है कि वित्त मंत्री जब बंगाल के दौरे पर गए थे तो वह बर्दवान के निकट किसी क्षेत्र में आवास कार्यक्रम देखने गए थे और उन्होंने पश्चिमी बंगाल को यह आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय सरकार ग्रामीण आवास, विशेषकर बाढ़ों से क्षतिग्रस्त क्षेत्र का पूरा खर्च देगी ? इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या नीति है और क्या यह रियायत समस्त राज्य सरकारों पर लागू होगी ?

†श्री क० च० रेड्डी : : मैं ठीक ठीक नहीं जानता कि मेरे सहयोगी ने कलकत्ता में क्या कहा था । मैंने अखबार की कुछ खबरें पढ़ी हैं । मैं नहीं जानता कि उन्होंने किन परिस्थितियों में किस संदर्भ में कुछ कहा । उन्होंने पश्चिमी बंगाल सरकार से जो कुछ कहा वह मैंने नहीं देखा है । नीति के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि हमें आज वाद-विवाद के समय मौका मिलेगा; उस चर्चा का पूर्वानुमान मुझे अभी नहीं करना चाहिए ।

## प्रथम पंचवर्षीय योजना का व्यय

+

†*८९१. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मणिअंगाडन :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री पाणिग्रही :
श्री विभूति मिश्र :
श्री राधे लाल व्यास :

क्या योजना मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में प्रथम पं वर्षीय योजना के व्यय में कमी के कारण दिये गये हों ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : प्रथम पंच-वर्षीय योजना के पुनरीक्षण के परिच्छेद २ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । राज्यों तथा केन्द्र में विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में कार्य का निर्धारण इस पुनरीक्षण में किया गया है और कमियों के कारण यथासंभव दिए गए हैं । प्रथम पंच वर्षीय योजना में दिए गए उपबन्धों की तुलना में वास्तविक व्यय में कमी अनेक कारणों से हो सकती है जैसे कर्मचारियों के प्रशिक्षण में विलम्ब, कर्मचारियों का उपलब्ध न होना, साज-सामग्री का उपलब्ध न होना, वित्तीय संसाधनों का अपर्याप्त होना, बातचीत में लगा समय, कार्यक्रम के ब्यौरे में परिवर्तन आदि । व्यय में निर्दिष्ट कमियों के सम्बन्ध में निर्दिष्ट कारण बताए जा सकते हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बायन दिया है जिसको मंत्री महोदय ने स्टेटसमैन में देखा होगा, कि रुपया न मिलने के कारण से उत्तर प्रदेश में योजना का काम ठीक तरह से नहीं हो सका, यह ठीक है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं ने उस बयान को आज देखा है, लेकिन वह तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में है ।

†श्री श्रीनारायण दास : माननीय सभा-सचिव द्वारा अनेक कारण बताए गए हैं । भविष्य में दूसरी योजना में ये अड़चनें न आयें इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

† मूल अंग्रेजी में

†श्री ल० ना० मिश्र : इन बातों से सावधानी रखने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं। मैं उनमें से कुछ बता दूं। योजना के प्रशासकीय यंत्र का विभिन्न राज्यों में अधिक अच्छा संगठन किया गया है और योजनाओं की मंजूरी में यथासंभव शीघ्रता लाने के लिए वित्त और विकास विभागों के बीच अधिक अच्छा समन्वय स्थापित किया गया है। राज्यों द्वारा केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया का वैज्ञानिकन किया गया है। प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की जांच आदि के लिए तुरन्त कदम उठाए जाते हैं। कुछ अन्य उपायों का विचार किया जा रहा है।

†श्री हेडा : जहां तक प्रथम पंच वर्षीय योजना पर व्यय का सम्बन्ध है, परिणाम दिखाने में किस राज्य ने सब से अच्छा व किस ने सब से खराब कार्य किया है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : बताया गया है कि बिहार और पेप्सू ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मेरे लिए यह बताना कठिन है कि किस राज्य ने अच्छा नहीं किया है।

श्री खुशवक्त राय : उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की जो बात कही गयी क्या मैं उसके बारे में जान सकता हूं कि उनका बयान इस वित्तीय वर्ष के बारे में है और उन्होंने कहा है कि जितना रुपया खर्च करना है उतना उनके पास नहीं है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह तो उन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में कहा था, लेकिन जहां तक १९५७-५८ का सवाल है, केन्द्रीय सरकार ने जो देने का वायदा किया है वह देगी।

श्री राधे लाल व्यास : क्या मैं जान सकता हूं कि भविष्य में काम में रुकावट न हो और योजना पूरी हो, इसके लिए कोई ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि यह देखा जाये कि क्या रास्ते अख्तियार किये गये हैं और प्रति वर्ष खर्च पूरा होता है या नहीं और अगर नहीं पूरा होता है तो उसके क्या कारण हैं। क्या इस सब की रिव्यू करने के लिए और जो कारण रुकावट डालते हैं उनको दूर करने के लिए कोई व्यवस्था की गयी है ?

श्री ल० ना० मिश्र : माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि पंचवर्षीय योजना के भीतर एक वार्षिक योजना भी बनायी जाती है जिसके द्वारा हर साल के काम की जांच की जाती है और देखा जाता है कि कहां तक प्रगति हो सकी है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जनना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस स्टेट में अव्वल दर्जे का काम हुआ है, किस स्टेट में दूसरे दर्जे का, किसमें तीसरे दर्जे का, किसमें चौथे दर्जे का और किस स्टेट में सब से ज्यादा खराब काम हुआ है ?

श्री ल० ना० मिश्र : अभी मैं ने हेडा साहब के सवाल का जवाब दिया है उसको माननीय सदस्य ने सुना होगा।

श्री विभूति मिश्र : उस उत्तर में तो केवल यही बतलाया गया है कि पेप्सू और बिहार में अच्छा काम हुआ है। लेकिन कहां पर खराब काम हुआ है यह तो नहीं बतलाया गया है।

श्री ल० ना० मिश्र : जो पिछली पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट निकली है उसमें माननीय सदस्य पायेंगे कि दो तीन स्टेटों में काम अच्छा नहीं है और एक दो स्टेटों में काम अच्छा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

**छंटनी किये गये कर्मचारी**

†*८९२. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत युद्ध-सामग्री कारखानों के निकाले गए कर्मचारियों और नदी घाटी परियोजनाओं से निकाले गए लोगों के लिए वैकल्पिक नियुक्तियां मिल गई हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो अभी कितने लोगों को रोजगार दिया जाना बाकी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न युद्ध-सामग्री कारखानों से निकाले गए ५३५६ व्यक्तियों और दामोदर घाटी निगम से निकाले गए २८०८ व्यक्तियों में से क्रमशः २७५ और १८७ बाकी रहते हैं जिन्हें रोजगार सहायता की जरूरत है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या यह सच है कि जिन लोगों से वैकल्पिक नौकरी का प्रस्ताव किया गया था उनमें से बहुतों ने इन्कार कर दिया है और क्या उसके पीछे कोई राजनीतिक झुकाव था ?

†**श्री आबिद अली** : वह हमारी जानकारी में नहीं आया है । कुछ लोगों ने इन्कार किया है, लेकिन अन्य कारणों से ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : जिन बाकी लोगों को वैकल्पिक नौकरी नहीं दी गई है, क्या उनको कोई सरकारी कार्य मिलने की संभावना है ?

†**श्री आबिद अली** : वैकल्पिक नौकरी ढूंढने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : जिन लोगों को नौकरी दी गई है उनमें से कितनों को सरकारी नौकरी दी गई है ? उनमें से कितने गैर-सरकारी सार्थों में नौकर दिखाए गए हैं ?

†**श्री आबिद अली** : कुछ को गैर-सरकारी संस्थाओं में भी नौकरी मिली परन्तु उनकी संख्या बहुत कम है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : जब इन लोगों को सरकारी सेवा में वेकल्पिक नौकरी दी जाती है तो क्या उनकी पहली सेवाओं की गणना भी कर ली जाती है ?

†**श्री आबिद अली** : मैं पूर्व-सूचना चाहता हूं ।

†**डा० क० ब० मेनन** : मैं जानना चाहता हूं—यदि मेरा प्रश्न वर्तमान प्रश्न के विषयक्षेत्र से सर्वथा बाहर का न हो—कि क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि यह प्रश्न अन्य विभागों में भी बहुत अधिक विस्तृत है और क्या वह इन विस्थापित व्यक्तियों को, जिन्हें आश्वासन दिए गए हैं, रखने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं ?

†**श्री आबिद अली** : मैं प्रश्न ठीक तरह नहीं सुन सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इस प्रश्न के विषयक्षेत्र से बाहर जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : अभी अभी माननीय मंत्री ने कहा कि कुछ कर्मचारियों ने वैकल्पिक नौकरी ठुकरा दी । उन्होंने ऐसी नौकरी ठुकराने के लिए क्या कारण दिए हैं ?

†**श्री आबिद अली** : जो प्रस्ताव उनसे किया गया था वह उपयुक्त नहीं समझा गया और उन्हें बाहर अधिक उपयुक्त नौकरी मिल गई ।

## मलाया में भारतीय राष्ट्रजन

†*८९३. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान उस कथित सरकारी विवरण की ओर गया है कि मलाया में पिछले आठ वर्षों में ब्रिटिश सुरक्षा सेनाओं द्वारा १०७ भारतीय राष्ट्रजन मारे गये हैं;

(ख) क्या सरकार की जानकारी इस रिपोर्ट के अनुसार ही है; और

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रजनों को इस प्रकार की हत्या से बचाने के लिये और/अथवा मृत व्यक्तियों के परिजनों के लिये प्रतिकर मांगने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) जी, हां । मलाया फेडरेशन की सरकार द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार मलाया में आपात स्थिति घोषित होने के बाद ९ वर्षों में, अर्थात् जून, १९४८ से ३० जून, १९५७ तक, ब्रिटिश अथवा मलाया सुरक्षा सेनाओं द्वारा १०७ भारतीय अथवा भारतीय उद्भव के व्यक्ति मारे गये । भारतीय राष्ट्रजन और भारतीय उद्भव के उन व्यक्तियों में, जो मलाया के नागरिक बन गये हैं, अन्तर करना सम्भव नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जनवरी, १९४८ के मध्य से ही मलाया में आन्तरिक गड़बड़ियां हुई हैं । गड़बड़ी का उत्तरदायित्व उस देश के उन तत्वों पर है जो विद्यमान सत्ता को बलपूर्वक उखाड़ फेंकना चाहते थे । विरोधी तत्वों की सशस्त्र सेनाओं और ब्रिटिश अथवा मलाया सरकार की सेनाओं में परस्पर सशस्त्र झड़प के परिणामस्वरूप इन भारतीयों की मृत्यु हुई है ।

मलायास्थित भारतीय आयुक्त को इन घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी है । यदि किसी दशा में दैवात किसी असैनिक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो मलाया सरकार द्वारा उसके आश्रितों को प्रतिकर दिया गया है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या मलाया की गड़बड़ियों में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में अन्तर्ग्रस्त भारतीयों को उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिये सिंगापुर स्थित भारतीय आयुक्त ने कोई सहायता प्रदान की है अथवा क्या हम ब्रिटेन के इस दावे से सहमत हैं कि इन गड़बड़ियों में अन्तर्ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति संरक्षण से लगभग परे था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्य के प्रश्न में कुछ धारणाएं निहित हैं और इन सब का उत्तर देना मेरे लिये कठिन है । हमें बताया गया है कि मृत्यु की ये घटनाएं सशस्त्र झड़प में ही हुई हैं । यदि सशस्त्र संघर्ष हुआ है और उसमें किसी की मृत्यु हो तो हमारा आयुक्त इसमें कुछ नहीं कर सकता है । विशष रूप से उस स्थिति में यह बात और भी दुष्कर हो जाती है जब यह कहना कठिन है कि मृत व्यक्ति भारतीय ही हैं । और भी अनेक घटनाएं हुई हैं जो सशस्त्र संघर्ष की तो नहीं हैं किन्तु जिनमें इन व्यक्तियों

---

† मूल अंग्रेजी में

## छंटनी किये गये कर्मचारी

†*८९२. पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत युद्ध-सामग्री कारखानों के निकाले गए कर्मचारियों और नदी घाटी परियोजनाओं से निकाले गए लोगों के लिए वैकल्पिक नियुक्तियां मिल गई हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो अभी कितने लोगों को रोजगार दिया जाना बाकी है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न युद्ध-सामग्री कारखानों से निकाले गए ५३५६ व्यक्तियों और दामोदर घाटी निगम से निकाले गए २८०८ व्यक्तियों में से क्रमशः २७५ और १८७ बाकी रहते हैं जिन्हें रोजगार सहायता की जरूरत है ।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या यह सच है कि जिन लोगों से वैकल्पिक नौकरी का प्रस्ताव किया गया था उनमें से बहुतों ने इन्कार कर दिया है और क्या उसके पीछे कोई राजनीतिक झुकाव था ?

†श्री आबिद अली : वह हमारी जानकारी में नहीं आया है । कुछ लोगों ने इन्कार किया है, लेकिन अन्य कारणों से ।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : जिन बाकी लोगों को वैकल्पिक नौकरी नहीं दी गई है, क्या उनको कोई सरकारी कार्य मिलने की संभावना है ?

†श्री आबिद अली : वैकल्पिक नौकरी ढूंढने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

†श्री ब० स० मूर्ति : जिन लोगों को नौकरी दी गई है उनमें से कितनों को सरकारी नौकरी दी गई है ? उनमें से कितने गैर-सरकारी सार्थों में नौकर दिखाए गए हैं ?

†श्री आबिद अली : कुछ को गैर-सरकारी संस्थाओं में भी नौकरी मिली परन्तु उनकी संख्या बहुत कम है ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : जब इन लोगों को सरकारी सेवा में वेकल्पिक नौकरी दी जाती है तो क्या उनकी पहली सेवाओं की गणना भी कर ली जाती है ?

†श्री आबिद अली : मैं पूर्व-सूचना चाहता हूं ।

†डा० क० ब० मेनन : मैं जानना चाहता हूं—यदि मेरा प्रश्न वर्तमान प्रश्न के विषयक्षेत्र से सर्वथा बाहर का न हो—कि क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि यह प्रश्न अन्य विभागों में भी बहुत अधिक विस्तृत है और क्या वह इन विस्थापित व्यक्तियों को, जिन्हें आश्वासन दिए गए हैं, रखने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं ?

†श्री आबिद अली : मैं प्रश्न ठीक तरह नहीं सुन सका ।

†अध्यक्ष महोदय : वह इस प्रश्न के विषयक्षेत्र से बाहर जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : अभी अभी माननीय मंत्री ने कहा कि कुछ कर्मचारियों ने वैकल्पिक नौकरी ठुकरा दी । उन्होंने ऐसी नौकरी ठुकराने के लिए क्या कारण दिए हैं ?

†**श्री आबिद अली** : जो प्रस्ताव उनसे किया गया था वह उपयुक्त नहीं समझा गया और उन्हें बाहर अधिक उपयुक्त नौकरी मिल गई ।

## मलाया में भारतीय राष्ट्रजन

†*८९३. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान उस कथित सरकारी विवरण की ओर गया है कि मलाया में पिछले आठ वर्षों में ब्रिटिश सुरक्षा सेनाओं द्वारा १०७ भारतीय राष्ट्रजन मारे गये हैं;

(ख) क्या सरकार की जानकारी इस रिपोर्ट के अनुसार ही है; और

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रजनों को इस प्रकार की हत्या से बचाने के लिये और/अथवा मृत व्यक्तियों के परिजनों के लिये प्रतिकर मांगने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) जी, हां । मलाया फेडरेशन की सरकार द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार मलाया में आपात स्थिति घोषित होने के बाद ९ वर्षों में, अर्थात् जून, १९४८ से ३० जून, १९५७ तक, ब्रिटिश अथवा मलाया सुरक्षा सेनाओं द्वारा १०७ भारतीय अथवा भारतीय उद्भव के व्यक्ति मारे गये । भारतीय राष्ट्रजन और भारतीय उद्भव के उन व्यक्तियों में, जो मलाया के नागरिक बन गये हैं, अन्तर करना सम्भव नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जनवरी, १९४८ के मध्य से ही मलाया में आन्तरिक गड़बड़ियां हुई हैं । गड़बड़ी का उत्तरदायित्व उस देश के उन तत्वों पर है जो विद्यमान सत्ता को बलपूर्वक उखाड़ फेंकना चाहते थे । विरोधी तत्वों की सशस्त्र सेनाओं और ब्रिटिश अथवा मलाया सरकार की सेनाओं में परस्पर सशस्त्र झड़प के परिणामस्वरूप इन भारतीयों की मृत्यु हुई है ।

मलायास्थित भारतीय आयुक्त को इन घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी है । यदि किसी दशा में दैवात किसी असैनिक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो मलाया सरकार द्वारा उसके आश्रितों को प्रतिकर दिया गया है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या मलाया की गड़बड़ियों में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में अन्तर्ग्रस्त भारतीयों को उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिये सिंगापुर स्थित भारतीय आयुक्त ने कोई सहायता प्रदान की है अथवा क्या हम ब्रिटेन के इस दावे से सहमत हैं कि इन गड़बड़ियों में अन्तर्ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति संरक्षण से लगभग परे था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्य के प्रश्न में कुछ धारणाएं निहित हैं और इन सब का उत्तर देना मेरे लिये कठिन है । हमें बताया गया है कि मृत्यु की ये घटनाएं सशस्त्र झड़प में ही हुई हैं । यदि सशस्त्र संघर्ष हुआ है और उसमें किसी की मृत्यु हो तो हमारा आयुक्त इसमें कुछ नहीं कर सकता है । विशष रूप से उस स्थिति में यह बात और भी दुष्कर हो जाती है जब यह कहना कठिन है कि मृत व्यक्ति भारतीय ही हैं । और भी अनेक घटनाएं हुई हैं जो सशस्त्र संघर्ष की तो नहीं हैं किन्तु जिनमें इन व्यक्तियों

† मूल अंग्रेजी में

को गिरफ्तार किया गया है और उन पर मुकद्दमा चलाया गया है । इस प्रकार के प्रत्येक मामले में भारतीय आयुक्त ने सहायता प्रदान की है और अपनी पूर्ण योग्यता के साथ कार्यवाही की है । यह विषय हमारे सामने भी है और हमने इस पर ब्रिटिश सरकार से बातचीत की है ।

†श्री कासलीवाल : माननीय उपमंत्री ने अभी कहा था कि भारतीय राष्ट्रजनों और भारतीय उद्भव के मलायी नागरिकों में अन्तर करना कठिन है । मेरा विश्वास है कि मलाया में १०,००,००० भारतीय हैं । अभी तक भारतीय राष्ट्रजनों और मलायी राष्ट्रजनों का कितना प्रतिशत इससे सम्बद्ध है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान हम यह नहीं बता सकते हैं क्योंकि अंग्रेजी बस्तियों में यह स्थिति सर्वथा अस्पष्ट है । कुछ व्यक्ति अपने आपको भारतीय राष्ट्रजन लिखवाते हैं और हम निश्चित रूप से जानते हैं कि वे ठीक हैं । अन्य व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं । किन्तु पंजीकरण न कराने का अभिप्राय आवश्यक रूप से यह नहीं है कि वे भारतीय राष्ट्रजन नहीं हैं । किन्तु एक कोलोनी (उपनिवेश) जब स्वतन्त्र राज्य-क्षेत्र का रूप धारण कर लेती है तब यह अस्पष्ट स्थिति अधिक समय तक नहीं रहती । फिर कुछ कार्यवाही करना आवश्यक हो जाता है और उन्हें इस ओर अथवा उस ओर अपना नाम लिखवाना पड़ता है ।

†श्री कासलीवाल : क्या मलाया में हमारे आयुक्त से भारतीय राष्ट्रजनों का नाम पंजीकृत करने के लिये कहा गया है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : इसमें कहने की कोई बात नहीं है उनके पास पंजीकरण के लिये पुस्तकें होती हैं ।

†श्री च० द० पांडे : जिन भारतीयों की मृत्यु हुई हैं वे शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य नागरिक थे अथवा किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थक थे ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : वे दोनों दलों से सम्बन्धित हैं—सामान्य नागरिक भी और आतंकवादियों के दल के सदस्य भी ।

†श्री च० द० पांडे : क्या वे किसी दल से सम्बद्ध थे ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : दोनों दलों से ।

†अध्यक्ष महोदय : राजनीति और गैर राजनीतिक ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या भारत सरकार को इन व्यक्तियों—भारतीय राष्ट्रजनों अथवा भारतीय उद्भव के मलायी राष्ट्रजनों—के सम्बन्धियों की ओर से प्रतिकर अथवा निर्मम व्यवहार के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : हम १९४८ से विगत नौ वर्षों से इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं । अनेक अभ्यावेदन किये गये हैं और कार्यवाही की गई है । अनेक स्थितियों में मलाया में कार्यवाही की गई है, लन्दन में भी की गई है और कई बार प्रिवी कौंसिल, लन्दन में अपीलें हुई हैं । हम पिछले वर्षों में अविरत रूप से इन कार्यों में रूचि लेते रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## पृष्ठानुसार मूल्य सूची

†*८९४. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री भक्त दर्शन : }

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समाचार पत्रों के लिये पृष्ठानुसार मूल्य सूची लागू करने की दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : समाचारपत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) अधिनियम, १९५६ की धारा ३(४) के अन्तर्गत जैसा बताया गया है, प्रकाशन संस्थाओं आदि के विचार प्रस्तावित सूची के बारे में मालूम किये गये हैं। इन प्रतिनिधियों की एक बैठक ४ और ५ अगस्त को पुनः आयोजित की गई थी जिसमें विभिन्न वैकल्पिक सूचियों पर चर्चा की गई थी। विभिन्न हितों द्वारा अभिव्यक्त सम्पत्तियों पर सरकार ने ध्यान दिया है और वर्तमान में अनुसूची को अन्तिम रूप देने में लगी हुई है।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या सम्मेलन में व्यक्त विचारों में गहरी विषमता है और यदि हां, तो इसे दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†डा० केसकर : माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित विषमता थोड़ी भ्रामक है क्योंकि जहां तक समाचारपत्रों की कीमत का प्रश्न है यह स्पष्ट है कि समाचारपत्र की साइज़ और पत्र जगत में उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार दो या तीन अलग-अलग और विभिन्न दृष्टिकोण हैं। इन विभिन्न दृष्टिकोणों में समझौता कराना सम्भव नहीं है किन्तु यह विषमता किसी सीमा तक कम की जा सकती है।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि उस समय जो प्रयत्न इस सम्बन्ध में चल रहे हैं उनके अनुसार देर से देर कब तक इस सम्बन्ध में निर्णय कर लिया जायगा ?

डा० केसकर : मैं समझता हूं कि अगले दो तीन हफ्तों में यह निश्चय किया जायगा और वह शाया भी हो जायेगा।

†श्री खाडिलकर : प्रेस आयोग की सिफारिशों को अंश रूप में क्रियान्वित होते देख कर मैं जानना चाहता हूं कि सरकार समाचार ऐजेंसी दरों और सरकारी विज्ञापनों से सम्बन्धित सिफारिशों को मूर्त रूप देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो कब तक ?

†डा० केसकर : प्रेस आयोग की सिफारिशों के प्रश्न पर अनेक बार व्यापक चर्चा हुई है मेरा विचार है कि पहले जब यह चर्चा हुई थी तो माननीय सदस्य यहां उपस्थित नहीं थे परन्तु यदि वह चाहें तो मैं उस सम्बन्ध में दिया गया पिछला वक्तव्य उन्हें बता सकता हूं। यह वक्तव्य काफी लम्बा है।

---

† मूल अंग्रेजी में

## सरकारी छापा खाने

†*८९५. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी छापाखानों में काम की लागत की जांच करने के लिये कोई सरकारी समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो सरकारी और गैर-सरकारी छापेखानों की दरों के सम्बन्ध में उसकी क्या आपत्ति हैं; और

(ग) क्या प्रिंटिंग और स्टेशनरी डिपार्टमेंट में परिव्यय लेखांकन पद्धति जारी की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) सरकार ने प्रिंटिंग के बारे में १९५० में एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी । इस समिति ने अपने कार्य के साथ सरकारी छापेखानों में काम की लागत का भी परीक्षण किया था ।

(ख) समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि गैर-सरकारी छापेखानों में सरकारी छापाखानों की अपेक्षा सरकार को ३० प्रतिशत अधिक व्यय करना पड़ता है ।

(ग) सरकारी छापाखानों में परिव्यय लेखांकन पद्धति विद्यमान है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : माननीय मंत्री ने कहा कि गैर-सरकारी छापेखानों में लागत अधिक है । क्या जिन विभिन्न विभागों को नियमित रूप से छपी हुई सामग्री सम्भरित नहीं की जाती है उनसे कहा गया है कि क्या वे अपने काम के लिये गैर-सरकारी छापेखाने रखने के लिये प्रस्तुत हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : कदाचित् मैं प्रश्न नहीं समझा हूं । सरकार की आवश्यकता पूर्ति के लिये सरकारी छापाखाने पर्याप्त नहीं हैं और हम लगातार उनकी क्षमता बढ़ा रहे हैं । उदाहरणार्थ, १९५० में हम ५ लाख ६२ हजार हस्तलिखित पृष्ठों की छपाई कर सकते थे; १९५२ में ६ लाख १० हजार और १९५६ में ९ लाख ६२ हजार हस्तलिखित पृष्ठ ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि डाक तथा तार विभाग ग्राम स्थित तथा सब पोस्ट आफिसों में फार्म संभरण नहीं कर पाते हैं और यदि हां, तो क्या सरकार डाक तथा तार विभाग को गैर सरकारी छापेखानों का आश्रय लेने के लिये अनुमति देगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : वस्तुत: हम गैर-सरकारी छापाखानों से पर्याप्त सहायता लेते हैं । मैंने अभी अपने उत्तर में बताया है कि सरकारी आवश्यकता की पूर्ति के लिये हमारे पास प्रेस का पूरा सामान नहीं है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या सरकार गैर-सरकारी छापाखानों में और सरकारी छापाखानों में एक पृष्ठ की छपाई की लागत तथा दोनों में अन्तर बता सकती है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह विस्तृत प्रश्न है । किन्तु यह छपाई के स्वरूप पर निर्भर है । मैंने अभी बताया है कि गैर-सरकारी छापाखानों में ३० प्रतिशत अधिक खर्च होता है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

## औद्योगिक सहकारी संस्थाएं[4]

†*८९६. श्री झूलन सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में औद्योगिक सहकारी संस्थाओं के निर्माण के बारे में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २१]

†श्री झूलन सिंह : क्या राज्य सरकारों की औद्योगिक सहकारी संस्थाओं के विकास सम्बन्धी योजनाओं की परिनिरीक्षा तथा अनुदान और ऋण स्वीकार करने के लिये तथ्यों पर विचार करने के लिये केन्द्र में कोई योजना है ?

†श्री मनुभाई शाह : औद्योगिक सहकारी समितियों का निर्माण और विशेष रूप से छोटे पैमाने के उद्योग क्षेत्र में इनके निर्माण को प्रोत्साहन देना सरकार की सामान्य नीति है। सभा को ज्ञात है कि हथकरघों के लिये हम ऋण, वित्तीय सहायता आदि समस्त स्रोतों का उपयोग सहकारी समितियों के माध्यम से करने के लिये प्रस्तुत हैं।

†श्री झूलन सिंह : क्या ऋण देने और अनुदान स्वीकृत करने के लिये कोई सिद्धान्त है ?

†श्री मनुभाई शाह : दस वर्षीय ऋण के लिये शेअर पूंजी का ७५ प्रतिशत और द्विवर्षीय ऋण पर चल पूंजी का ७५ प्रतिशत दिया जाता है।

†श्री हेडा : यह कहां तक सच है कि औद्योगिक सहकारी समितियां इसलिये अच्छे परिणाम उत्पन्न नहीं करती हैं कि खरीदने और बेचने में सहायता देने के लिये इसी प्रकार अन्य सहकारी समितियां नहीं हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : मैं माननीय सदस्य के विचार से सहमत नहीं हूं। यह कहना सच नहीं है कि औद्योगिक सहकारी समितियां अच्छा काम नहीं कर रही हैं। निस्संदेह ही कुछ समितियों का कार्य बहुत अच्छा है। किन्हीं स्थितियों में प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव में कुछ सहकारी समितियां पीछे रह जाती हैं किन्तु हम इन औद्योगिक सहकारी समितियों के कार्यों को सदैव देखते रहते हैं और उनके अनुकूल प्रवृत्ति बनाये रखते हैं।

## द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†*८९७. डा० राम सुभग सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण भारत की प्रमुख भाषाओं में "द्वितीय पंचवर्षीय योजना" की १,००,००० प्रतियां छपाई हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें से कितनी प्रतियां अभी तक बिक चुकी हैं; और

(ग) कितनी प्रतियां बिना मूल्य वितरित की गई हैं ?

† मूल अंग्रेजी में

[4]Industrial Co-operatives.

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) योजना आयोग के कहने पर "द्वितीय पंचवर्षीय योजना" का शासकीय संक्षेप तामिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड भाषाओं में छापा गया है । प्रत्येक भाषा में ५०,००० प्रतियां छापी गई हैं ।

(ख) जून, १९५७ के अन्त तक बेची गई प्रतियों की संख्या इस प्रकार है :

| | |
|---|---|
| तामिल . . . . | ७,३३१ |
| तेलुगु . . . . | १५,३५६ |
| मलयालम . . . | २,३४५ |
| कन्नड . . . . . | १७,७४६ |

(ग) उक्त अवधि में बिना मूल्य वितरित की गई प्रतियों की संख्या निम्नलिखित है :

| | |
|---|---|
| तामिल . . . . | १,०८९ |
| तेलुगु . . . . | ६३१ |
| मलयालम . . . | ३८६ |
| कन्नड . . . | १,०७३ |

†श्री ब० स० मूर्ति : योजना की प्रतियां किस तरह छपाई जाती हैं ? ऐसा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है अथवा मांग के आधार पर ?

†डा० केसकर : स्वाभाविक है कि मांग के आधार पर ही इसका निर्णय किया जाता है ।

†श्री मोहम्मद इमाम : उत्तर भारत की प्रमुख भाषाओं में कितनी प्रतियां छापी गई थीं और कितनी वितरित की गईं ?

†डा० केसकर : इसके लिये पूर्व-सूचना चाहिये ।

†श्री रंगा : दो अलग-अलग संस्करण निकाले गये हैं—एक में पूरी रिपोर्ट है और दूसरे में संक्षप । यदि यह ठीक है तो इतनी कम संख्या में ये क्यों बिकी हैं ? क्या इनकी ऊंची कीमत ही इसका कारण है ?

†डा० केसकर : कीमत अधिक नहीं है । प्रत्युत यह अत्यन्त युक्तिसंगत और कम है । वितरण की एजेंसी राज्यवार है और कदाचित यही इसका कारण है ।

†श्री रंगा : क्या राष्ट्रीय विस्तार सेवा की सहायता से इसे उपयोग में लाने के लिये कोई प्रयत्न किया जा रहा है ताकि ये पुस्तकें लोकप्रिय हों अथवा बिना कीमत वितरित की जा सकें ?

†डा० केसकर : जी, हां । हम ऐसा केवल सामुदायिक परियोजना विभाग के मार्फ़त ही नहीं कर रहे हैं, किन्तु पंचवर्षीय योजना के रुचिप्रद और पढ़ने योग्य संक्षिप्त वृत्तान्त को सभी सम्भव उपायों से जन साधारण के लिये सुलभ करने का प्रयत्न कर रहे हैं । यहां पर जिस पुस्तक का उल्लेख किया गया है उसके अतिरिक्त अन्य प्रकार की पठन सामग्री भी अत्यन्त व्यापक रूप में बेची जा रही हैं और वितरित की जा रही हैं ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : मराठी और गुजराती आदि अन्य भाषाओं में कितनी प्रतियां छपी हैं और यदि नहीं तो क्यों ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० केसकर : यह प्रश्न दक्षिण भारत की भाषाओं के बारे में है । स्पष्ट ही माननीय सदस्य जानते हैं कि इसका संक्षिप्त रूप सभी भाषाओं में छापा गया है तथा मराठी प्रतियों की संख्या अन्य भाषा से किसी प्रकार भी कम नहीं हैं ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : क्या महाराष्ट्र दक्षिण भारत में सम्मिलित नहीं है ?

प्रलेखीय चलचित्र[1]

†*८९८. { श्री अन्सार हरवानी :
श्री दामानी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विदेशी आजकल भारत में प्रलेखीय चलचित्रों के निर्माण में संलग्न हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों के अधीन वे ऐसा कर रहे हैं ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). सुविख्यात यूरोपीय चलचित्र निर्माता श्री रोबर्टो रोजेलिनी से कुछ प्रलेखीय चलचित्र बनाने के लिये कहा है किन्तु इसके साथ ही उन्हें अपने लिये कुछ चलचित्र बनाने की स्वतंत्रता होगी । इस कार्य के लिये सरकार उन्हें कुछ सुविधाएं और कर्मचारियों के रूप में सहायता प्रदान कर रही है । सरकार जिन शर्तों के साथ इन चलचित्रों को लेगी उन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

†श्री दामानी : प्रलेखीय चलचित्र निर्माण के लिये विदेशी निर्माताओं को आमंत्रित करने का क्या कारण है क्योंकि भारत और भारत की जीवन दशाओं के बारे में उनका सीमित ज्ञान होता है ?

†डा० केसकर : हम सभी प्रकार के विशेषज्ञ रखते हैं विदेशियों पर इस काम के लिये प्रतिबन्ध नहीं है । संभवतः ऐसा एक या दो स्थितियों में हमने किया है । यह व्यक्ति अनुभव सम्पन्न और सुविख्यात चलचित्र निर्माता है तथा नैसर्गिक दृश्यों के अध्ययन के तो वह विशेषज्ञ हैं ।

†श्री अंसार हरवानी : क्या भारतीय डाइरेक्टरों और निर्माताओं की राय ली गई थी ?

†अध्यक्ष महोदय : श्री अंसार हरवानी । मैंने श्री अंसार हरवानी का नाम पुकारा है ।

†श्री अंसार हरवानी : मैं ही श्री अंसार हरवानी हूं ।

†अध्यक्ष महोदय : मैंने जब श्री अंसार हरवानी का नाम पुकारा तो वह सज्जन खड़े हो गये । मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य अपन अपने स्थान पर ही बैठें ।

†श्री अंसार हरवानी : मैं अपने स्थान पर ही बैठा हूं ।

†अध्यक्ष महोदय : किन्तु अन्य सदस्य तो नहीं बैठे हैं । मेरी कठिनाई तो यह है कि सदस्य अपने अपने स्थानों पर नहीं बैठते । मैं चाहता हूं कि प्रत्येक सदस्य अपने स्थान पर बैठे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Documentary Films.

†श्री अंसार हरवानी : क्या इस व्यक्ति को इस काम का ठेका देने के पूर्व उन भारतीय निर्माताओं और डाइरेक्टरों से परामर्श किया गया था जिन्होंने विदेशों में यश उपार्जन किया है ?

†डा० केसकर : भारतीय डाइरेक्टरों से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है । सभा को ज्ञात है कि हम दर्जनों प्रलेखीय चलचित्र विभिन्न विषयों के बारे में बनाते हैं । हम भारत के भी अनेक सुप्रसिद्ध निर्माताओं को यह काम सौंपते हैं । दूसरों से भी यह कराया जाता है । प्रत्येक मामले में, सरकार के लिये भारतीय निर्माताओं और प्रमुख डाइरेक्टरों से परामर्श करना न तो आवश्यक है और न वांछनीय ही ।

†श्री ब० स० मूर्ति : यह विदेशी विशेषज्ञ भारत में कब तक रहेगा और क्या यह सच है कि वह भारत प्रस्थान को स्थगित करता रहा है ।

†डा० केसकर : सच यह है कि निर्माता स्वयं अपने कार्य के लिये भी यहां है । चूंकि वह अपने लिये चलचित्र निर्माण करने के सिलसिले में यहां थे तो हम ने सोचा कि जिस क्षेत्र में वह विशेषज्ञ हैं उसके सम्बन्ध में हम भी उनसे कुछ प्रलेखीय चलचित्रों का निर्माण करायें ।

†श्री अंसार हरवानी : क्या यह सच है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के चलचित्र विभाग ने रोबर्टो रोजेलिनी के साथ काम करने वाले व्यक्तियों में अत्यधिक वेतन पर एक परामर्श-दाता और कथा लेखक की सेवाओं की व्यवस्था की है ?

†डा० केसकर : मुझे याद नहीं कि उनके पास कितने कर्मचारी हैं किन्तु मैं ने बताया था कि हम ने अन्य किसी कार्य के लिये प्रत्युत हमारे लिये चलचित्रों का निर्माण करने के सम्बन्ध में कुछ सुविधाएं दी हैं ।

### मलाबार स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, कलई, केरल

+

†*८६६. { श्री कोडियान :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलाबार स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, कलई, केरल की प्रबन्ध-व्यवस्था ने अपना बुनाई सैक्शन बन्द कर दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि मिल को अपना मोटा कपड़ा बेचने में कठिनाई अनुभव हो रही है;

(ग) क्या मिल ने केन्द्रीय सरकार से सहायता की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) मिल ने अपने सयंत्र और मशीन की पुनर्व्यवस्था के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से ऋण की मांग की है ।

(घ) यह विषय विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कोडियान : वित्तीय सहायता के अतिरिक्त कम्पनी ने अन्य किस प्रकार की सहायता मांगी है ?

†श्री मनुभाई शाह : कम्पनी ने १७ लाख रुपये तक की वित्तीय और टेकनीकल सहायता मांगी है ।

†श्री कोडियान : क्या सरकार उद्योग विनियमन अधिनियम के अधीन मिल को बन्द होने से रोकने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ?

†श्री मनुभाई शाह : यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता है । औद्योगिक नीति सम्बन्धी विषय अनेक बार लोक-सभा में स्पष्ट किया गया है और हम ने बता दिया है कि किन मामलों में हम औद्योगिक अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत कार्यवाही करते हैं ।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : प्रत्येक महीने कितने उत्पादन की अनुमानित हानि होती है ।

†श्री मनुभाई शाह : वर्तमान स्थिति यह है कि मिल के विशेष बुनाई सैक्शन को सितम्बर से पुनः आरम्भ करने का संकेत किया है । हानि केवल दो या तीन महीने के उत्पादन की होगी जो ३६ लाख गज से अधिक है ।

†सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के बहुत से सूती कपड़े के मिल बन्द पड़े हैं ।

†श्री मनुभाई शाह : यह तो मलाबार के बारे में है । उत्तर प्रदेश में तो हम ने इंटरवीन किया और कानपुर की मिल को बन्द होने से रोका ।

## गैस निर्माण

+

†*९००. { श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्तमान में (१) आक्सीजन गैस, (२) धुली हुई (डिज्ज़ोल्वड) एसिटीलीन, (३) नाइट्रस आक्साइड, (४) इलेक्ट्रोड्स और वैल्डिंग का सामान, और (५) दुर्लभ गैस का कुल कितना उत्पादन है;

(ख) क्या यह सच है कि कलकत्ता की एक विदेशी कम्पनी भारत के समस्त उत्पादन का ९० प्रतिशत से भी अधिक भाग पैदा कर रही है;

(ग) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि यह कम्पनी मेसर्स ब्रिटिश आक्सीजन लिमिटेड, बरमिंघम का ही एक उपांग है तथा बरमिंघम की इस कम्पनी के विरुद्ध ब्रिटेन के 'ब्रिटिश रेस्ट्रिक्टिव प्रेक्टिसेज़ कमीशन' ने हाल ही में कुछ आलोचना की है; और

(घ) क्या इस महत्वपूर्ण उद्योग में विदेशी एकाधिकार और लाभ अर्जन को रोकने के लिये कुछ कार्यवाही करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २२**]

(ख) जी, हां। आक्सीजन गैस और नाइट्रस आक्साइड के बारे में ऐसा ही है। घुली हुई (डिज्जोल्वड) एसिटीलीन का ८१ प्रतिशत भाग और वैल्डिंग के सामान तथा इलेक्ट्रोड्स का ६५ प्रतिशत भाग यह कम्पनी ही बना रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) जिन वस्तुओं का उल्लेख किया गया है उनमें से केवल इलेक्ट्रोड्स और वैल्डिंग की वस्तुओं का निर्माण ही उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन अनुसूचित उद्योग के वर्ग में रखा जाता है। इस क्षेत्र में दो अन्य फर्में भी हैं जिनमें से एक फर्म ने पर्याप्त प्रगति की है।

औद्योगिक गैस का निर्माण अनुसूचित उद्योग नहीं है। प्रतियोगिता को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से नये एककों की स्थापना अथवा अन्य विद्यमान एककों के प्रसार से संबंधित योजनाओं पर सहानुभूतिपूर्वक परीक्षण किया जायेगा।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मैंने एक संवाद देखा है कि 'ब्रिटिश रेस्ट्रिक्टिव प्रेक्टिसेज कमीशन' ने रिपोर्ट दी है कि ब्रिटिश कम्पनी का लाभ २३ और २५ प्रतिशत के बीच था और इन्होंने तीन कम्पनियों के स्वामित्व की बात छिपा ली थी। कमीशन ने कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये कहा है। क्या सरकार के पास इस ब्रिटिश उपांग के बारे में आंकड़े हैं और यदि बहुत लाभ कमाया जा रहा है तो क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह सच है कि ब्रिटेन में एक आयोग ने कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत की है किन्तु कम्पनी ने आयोग की उपपत्ति से असहमति प्रकट की है। अस्तु, इंगलैंड स्थित मूल कम्पनी के एक अंग स्वरूप भारत में यह कम्पनी कार्य कर रही है और निस्सन्देह ही यह अत्यधिक पैमाने पर औद्योगिक गैसों का उत्पादन कर रही है। भारतीय कम्पनियां भी शनैः शनैः इस दिशा में आगे आ रही हैं और यदि इन स्थानीय उद्योगों ने अपने कार्य को बढ़ाने अथवा नये एकक स्थापित करने का विचार किया तो उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अधिकांश गैस सिलेण्डर्स इंगलैंड में ब्रिटिश आक्सीजन कम्पनी से मंगाये जाते हैं तथा हमारे यहां टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में थोड़ी मात्रा में सिलेण्डर्स बनते हैं, सरकार इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : सिलेण्डर बनाने के लिये लगभग आधी दर्जन योजनायें विचाराधीन हैं और हमें आशा है कि हम गैस सिलेण्डर में आत्मनिर्भर हो जायेंगे।

†**श्री वें० प० नायर** : कलकत्ता से प्रकाशित ३ जनवरी के **स्टेट्समेन** में सवांद छपा है—**रायटर** संवाद एजेंसी के अनुसार—कि 'ब्रिटिश मोनोपाली कमीशन' ने यह मत व्यक्त किया है कि इस कम्पनी ने ब्रिटेन में मुनाफा छिपाये रखा है और अपनी प्रतिस्पर्द्धी तीन कम्पनियों के स्वामित्व को छिपाये रखने की दृष्टि से ही ऐसा किया गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुये और इस बात को याद रखते हुये कि वैल्डिंग तथा अन्य कार्यों का प्रतिरक्षा उद्योगों और अन्य कार्यों के लिये अपरिमित महत्व है, क्या सरकार इस कम्पनी द्वारा इतना अधिक लाभ कमाया वांछनीय समझती है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह कम्पनी भारत में स्तुत्य सेवा कर रही है। यह अपना कार्य बढ़ाना चाहती है। हमने उनसे कहा है कि वे हमें रुपया समवाय में परिवर्तित कर नया नाम रख दें और भारतीय पूंजी स्वीकार करें ताकि कुछ अंश में भारतीय भी इसके संचालक बन सकें। दूसरी भारतीय कम्पनियों को भी इस प्रकार के कारखानों की स्थापना के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस कम्पनी में कितनी पूंजी लगी हुई है और इसमें विदेशी पूंजी का कितना अंश है? क्या यह सच है कि इसमें केवल एक ही भारतीय है ; वह भी नियमित डाइरेक्टर न होकर एसोसिएट डाइरेक्टर है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : कम्पनी की वर्तमान अधिकृत पूंजी ४ करोड़ रुपये है इसमें से १ करोड़ ३२ लाख रुपये की अभिदत्त पूंजी है जो प्राप्त हो गई है सम्पूर्ण पूंजी ब्रिटेन स्थित मूल कम्पनी द्वारा दी गई है। अब कम्पनी परिदत्त पूंजी को बढ़ाकर दो करोड़ कर देना चाहती है। इस प्रकार ६० लाख मूल्य के अंशधारी भारतीय होंगे। ३० प्रतिशत भाग भारतीयों से संबंधित रहेगा और शेष का संबंध ब्रिटिश कम्पनी से है।

†**अध्यक्ष महोदय** : और डाइरेक्टर ?

†**श्री वें० प० नायर** : क्या इस कम्पनी की प्रबन्ध व्यवस्था से केवल एक ही भारतीय सम्बद्ध है और वह भी नियमित डाइरेक्टर न होकर केवल एसोसिएट डाइरेक्टर है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : यह सच है लेकिन जैसा मेरे सहयोगी ने अभी बताया है हम कम्पनी का नाम तक बदल रहे हैं। इसमें भारतीय डाइरेक्टर भी बढ़ जायेंगे। भारतीय पूंजी बढ़ने पर इस प्रकार के परिवर्तन की आशा है।

†**श्री दासप्पा** : क्या यह सच है कि इस कम्पनी में निर्मित इलेक्ट्रोड्स की मात्रा देश की मांग पूरी करने में पर्याप्त नहीं है तथा उसकी किस्म भी अच्छी नहीं है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सच नहीं है। किस्म बहुत अच्छी है। उस कम्पनी के अतिरिक्त तीन दूसरी कम्पनियां भी इलेक्ट्रोड्स निर्माण करती हैं। इसके निर्माण संबंधी और भी योजनायें चल रही हैं जिससे देश आत्मनिर्भर हो जायेगा।

†**श्री दासप्पा** : क्या यह सच है कि कुछ मात्रा में इलेक्ट्रोड्स अभी भी बाहर से मंगाया जाता है क्योंकि यहां पर बनने वाले इलेक्ट्रोड्स की किस्म अच्छी नहीं है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : लगभग ३५ लाख रु० की कीमत का इलेक्ट्रोड्स और धातु जोड़ने का सामान इस देश में मंगाया जाता है। किन्तु यह बुरी किस्म के कारण नहीं प्रत्युत मांग और पूर्ति में व्यवस्था के अभाव से ऐसा होता है। हम इसे व्यवस्थित कर रहे हैं।

## अमृतसर में विस्थापित व्यक्ति

†९०२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोहाट के विस्थापित व्यक्तियों के कुछ परिवार अब भी अमृतसर में शिविरों में पड़े हुये हैं और उनको बसाने के लिये अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि कोहाट अथवा सीमान्त आदिमजाति क्षेत्रों से आये हुये शरणार्थी अब भी लाहौर के भारतीय शरणार्थी शिविर में रहते हैं और उनको अभी तक भारत नहीं भेजा गया है ?

**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य-मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) और (ख). कोहाट के कई परिवार अमृतसर और लाहौर के ट्रांज़िट कैम्पों में रह रहे हैं। लाहौर में रहने वाले परिवारों को भारत में लाकर बसाने और अमृतसर में पहले से आये हुये परिवारों को बसाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है।

**श्री रघुनाथ सिंह** : यह लोग कितने दिनों से लाहौर में पड़े हैं और अब तक यह लोग हिन्दुस्तान क्यों नहीं लाये गये ?

**श्री मेहरचन्द खन्ना** : जहां तक कोहाट के शरणार्थी परिवारों का ताल्लुक है वह शायद कोई ३९, ४० परिवार हैं और जिनमें कि रह रहे आदमियों की तादाद २०० के करीब है, कुछ तो पिछले साल से हैं और बहुत से इस साल से हैं लेकिन अभी चन्द एक दिनों में वह १८ या २० परिवार तो हिन्दुस्तान आचुके हैं और २०, २२ परिवार लाहौर में बाकी रह गये हैं।

## विदेश व्यापार बोर्ड

†*९०३. **श्री वें० प० नायर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल ही में कोई विदेश व्यापार बोर्ड स्थापित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड को क्या क्या कर्त्तव्य और कार्य सौंपे गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतोश चन्द्र)** : (क) और (ख). जी, हां। देश की वाणिज्यकीय समस्याओं के प्रति समन्वित दृष्टिकोण उत्पन्न करना और वाणिज्य को प्रभावित करने वाले विषयों से संबंधित संगठनों के परिग्राही एवं व्यापक कार्य संचालन की व्यवस्था ही बोर्ड का कार्य है। बोर्ड मुख्य रूप से निर्यात में अभिवृद्धि करने और विदेशी मुद्रा की बचत के लिये प्रयत्नशील है।

†**श्री वें० प० नायर** : बोर्ड निर्यात की दूरगामी संभावना पर विचार करेगा अथवा एकदम बाद वाले वर्षों पर ही विचार करेगा ?

†**श्री सतोश चन्द्र** : बोर्ड का मुख्य उद्देश्य निर्यात तथा आयात के विविध पहलुओं से संबंधित विभिन्न एजेंसियों के कार्य का समन्वय करना है ताकि यह कार्य रीतिबद्ध एवं व्यापक रूप से किया जा सके।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या यह सच है कि विदेश व्यापार बोर्ड ने अपनी हाल की मीटिंग में यह व्यक्त किया है कि निर्यात संवर्द्धन संबंधी विभिन्न परिषदों द्वारा आगामी वर्षों के लिये निर्धारित लक्ष्य बहुत अधिक हैं, क्या उन्होंने स्वयं कोई लक्ष्य नियत किया है ; और यदि हां तो यह कितना है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†श्री सतीश चन्द्र : बोर्ड की बैठक अभी केवल एक बार हुई है। उसने विधि निर्यात संवर्द्धन परिषदों की सिफारिशों पर विचार किया था। जिन विदेशी बजारों में हमारी वस्तुओं का निर्यात हो सकता है उनके प्रकृष्ट अध्ययन के बारे में इसने अनेक सुझाव दिये हैं। विस्तृत ब्यौरे पर विचार करने का अभी उसे पर्याप्त अवसर नहीं मिला है।

†श्री दामानी : क्या व्यापार तथा उद्योग क्षेत्र से किन्हीं व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा करने के लिये विचार कर रही है ?

†श्री सतीश चन्द्र : इस बोर्ड में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधिकारी हैं। संयुक्त सचिव इसके चैयरमेन हैं। 'इन्हें विदेश व्यापार का महा निदेशक' भी नामोद्दिष्ट किया गया है। निर्यात और आयात के मुख्य नियंत्रक और राज्य व्यापार निगम के मैनेजिंग डाइरेक्टर इसके सदस्यों में हैं। बोर्ड का कार्य सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों की कार्यवाहियों को सामन्वित करना है ।

†श्री वें० प० नायर: क्या बोर्ड ठेकेदारों और व्यापारी-संघों की क्रिया के फलस्वरूप कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रश्न पर भी विचार करेगा ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई): बोर्ड सभी संगत बातों पर विचार करेगा।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह विदेश व्यापार बोर्ड निर्यात की जोखिम पर भी विचार करेगा अथवा इसके लिये सरकार सर्वथा भिन्न निगम की स्थापना करेगी ; और यदि हां, तो यह निगम कब स्थापित किया जायेगा ?

†श्री सतीश चन्द्र : इसके लिये निर्यात जोखिम निगम की स्थापना की जा रही है ।

## होजरी (मोजे, बनियान आदि) निर्माण के लिये सुइयां

†*९०५. श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होजरी (मोजे, बनियान आदि) निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली नान-सिंकर १८ गैज जी० एम० एफ० की जापानी सुइयों पर सरकार द्वारा नियंत्रण अथवा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि दक्षिण भारत में व्यापक रूप से प्रयुक्त कढ़ाई की जापानी मशीनों में भारत निर्मित सुइयां सर्वथा अनुपयुक्त हैं ;

(ग) क्या भारत सरकार को इस संबंध में दक्षिण भारत के होजरी निर्माताओं की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जनवरी–जून १९५७ में होजरी निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली १८ गैज जी० एम० एफ० सुइयों के आयात के लिये पिछले कोटे के ६० प्रतिशत भाग के लिये स्वीकृत आयातकर्त्ताओं को सामान्य लाइसेंस दिये गये थे। १००० सुइयों की सी० आई० एफ० (लागत-बीमा-भाड़ा) मूल्य १००० रुपये से कम होने की स्थिति में जारी किये गये लाइसेंस वैध नहीं थे। जुलाई–सितम्बर, १९५७ में स्वीकृत आयातकर्त्ताओं को कोटा लाइसेंस जारी करना समाप्त कर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) अभ्यावेदनों की जांच की जा रही है और अगली अवधि के लिये नीति निर्धारित करते समय समुचित कार्यवाही की जायेगी।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या यह सच नहीं है कि भारत में सुइयां न बनने अथवा जो बनती हैं उनके सर्वथा अनुपयुक्त होने तथा विगत अवधि में आयात पर प्रतिबन्ध लगाने और अथवा लाइसेंस न देने के परिणामस्वरूप भारत में उपलब्ध होने वाली सुइयों की कीमत काफी बढ़ जाने के बारे में अभ्यावेदन दिये गये थे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं प्रश्न को तीन भागों में विभक्त करता हूं। प्रथम, यह सच नहीं है कि भारत में निर्मित सुइयां सन्तोषजनक नहीं हैं। होजरी उद्योग के लिये कुछ अन्य किस्मों का अभी यहां निर्माण आरम्भ नहीं हुआ है। जैसा माननीय सदस्या ने कहा था, आयात की कमी से कीमतों में अधिक वृद्धि नहीं है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि सुइयों की कमी के बारे में क्या ये अभ्यावेदन सही हैं और यदि हां, तो आगामी अवधि के लिये और किस नीति का अनुकरण किया जाये।

## आंध्र में सहकारी कपड़ा मिलें

†*९०६. **श्री वेंकटा सुब्बैया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारिता के आधार पर और गैर सरकारी उद्योग द्वारा आंध्र प्रदेश में आरम्भ किये जाने वाले सूती वस्त्रों के मिलों की संख्या ;

(ख) क्या सरकार द्वारा लाइसेंस जारी किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो आवश्यक मशीनों के आयात के लिये जिनमें तकलियां भी सम्मिलित हैं, सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) आंध्र प्रदेश में सहकारिता के आधार पर एक और गैर-सरकारी उद्योगों की सहायता से दो सूती वस्त्र मिल आरम्भ करने का विचार है। १९५३ और १९५४ में दो कताई मिल स्थापित करने के लिये भी लाइसेंस जारी किये गये थे और आंशिक रूप में काम करने वाले मिल स्थापित किये जा चुके हैं।

(ख) जी, हां। लोक-सभा के पटल पर विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २३**]

---

†**मूल अंग्रेजी में**

(ग) भारत में उपलब्ध न होने की स्थिति में इन मिलों के लिये आवश्यक मशीनों के आयात की अनुमति सरकार द्वारा इस शर्त पर दी जायेगी कि इन मशीनों की कीमत का भुगतान समय-समय पर निर्धारित नीति के अनुसार किया जायेगा ।

†**श्री वेंकटा सुब्बैया :** इन सूती वस्त्र के मिलों को सरकार अथवा वित्त निगम द्वारा कितना वित्त दिया जायेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र:** सभी चार मिलें—दो नये और दो गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में स्थित—का प्रसार किया जा रहा है । जहां तक एक सहकारी मिल का संबंध है राज्य सरकार की ओर से एक प्रस्ताव मिला था कि हथकरघा बुनकर सहकारी संस्था की ओर से २० लाख रुपये दिये जायेंगे तथा २० लाख रुपये की अन्य राशि औद्योगिक वित्त निगम की ओर से दी जानी चाहिये । राज्य सरकार को बताया गया है कि वह भी इस कार्य के लिये रुपये का बन्दोवस्त करे ।

†**श्री वेंकटा सुब्बैया :** हथकरघा बुनकर समिति द्वारा आरम्भ किये जाने वाले सहकारी मिल के अतिरिक्त क्या सहकारी आधार पर अन्य सूती वस्त्र मिल चलाने का भी प्रस्ताव है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से आना चाहिये । आजकल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** यह सहकारी मिल कहां स्थापित किया जायेगा ? क्या राज्य सरकार हथकरघा बुनकर सहकारी मिल को आर्थिक सहायता देने के लिये इच्छुक है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** हमने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि वे भी इस मिल में कुछ हिस्सा बंटाये । वर्तमान में प्रस्ताव यह है कि बुनकर समिति और केन्द्र स्थित औद्योगिक वित्त निगम ही इस दिशा में अंशदान करें ।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** यह कहां स्थापित किया जायेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** उन्होंने तैलंगाना क्षेत्र का सुझाव दिया है ।

†**श्री हेडा :** आंध्र प्रदेश में सूत की अत्यधिक खपत को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि सिकन्दराबाद के मिल की उत्पादन क्षमता बढ़ा दी जाये ?

†**उद्योग मंत्री ( श्री मनुभाई शाह) :** सभा को विदित ही है कि हम किसी भी सैक्टर में नयी तकलियां लगाने की स्वीकृति नहीं दे रहे हैं । ३० लाख तकलियों की पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है ।

## मलनाड क्षेत्र का संवर्द्धन

†*९०८. **श्री वोडयार :** क्या योजना मंत्री २७ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मलनाड क्षेत्र के संवर्द्धन के लिये मैसूर सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी सिफारिशें क्या-क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी, हां।

(ख) मलनाड में परिवहन तथा संचार के विकास के लिये राज्य सरकार ने अपनी पंच-वर्षीय योजना में २२२.२४ लाख रुपये का उपबन्ध किया है। इसमें से १९५७–५८ के लिये ५१.३८ लाख रुपये का उपबन्ध है।

†**श्री वोडयार**: क्या यह सच है कि भारत सरकार ने मलनाड की जनता की भावनाओं की पूर्ति के लिये मलनाड विकास बोर्ड नामक परिनियत निकाय की स्थापना स्वीकार कर ली है?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इस बोर्ड की सिफारिश खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा १९५० में स्थापित रामनाथन समिति ने की थी। वित्तीय अवस्था के कारण बोर्ड की स्थापना संबंधी सिफारिश को स्वीकार करना संभव नहीं था।

†**श्री आचार** : क्या सरकार इस प्रकार के निकाय की स्थापना पर पुर्नविचार करेगी?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : यद्यपि रामनाथन समिति ने इस प्रकार का बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की थी किन्तु जितने भाग में मलनाड क्षेत्र स्थित है उसके लिये बोर्ड बनाने पर वह चार राज्यों में से होकर निकलता अतः उसे खर्च का अधिकार देना उचित नहीं होगा। यह भी अनुभव किया गया कि इन चार राज्यों के पास भी मलनाड के विकास के संबंध में योजनायें हैं इस अवस्था में इस प्रकार के निकाय को स्थापना से कोई उपयोग नहीं होगा।

†**श्री दासप्पा** : मैंने माननीय मंत्री की यह बात सुनी है कि मलनाड क्षेत्र चार राज्यों में व्याप्त है अतः बोर्ड की स्थापना आवश्यक नहीं है। अब ये सब एक एक राज्य के अन्तर्गत आ गये हैं क्या माननीय मंत्री अपनी राय पर पुनर्विचार कर बोर्ड की स्थापना करेंगे?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : अब इस प्रकार के बोर्ड की स्थापना का आधार ही पैदा नहीं होता है क्योंकि सब क्षेत्र एक राज्य के अन्तर्गत आ गये हैं।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### जहाजों के डीजल इंजनों[1] का निर्माण

**९०४. श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जहाजों के डीजल इंजन निर्माण करने के लिये विशाखपत्तनम् में एक कारखाना स्थापित करने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सरकार ने देश में जहाजों के डीजल इजनों के निर्माण के लिये एक कारखाना स्थापित करने के लिये छः विदेशी फर्मों से प्रस्ताव मांगे हैं। इनकी प्रतीक्षा की जा रही है। कारखाने की स्थापना के बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Marine Diesel Engines.

### पाकिस्तान में एक भारतीय राष्ट्र-जन की गिरफ्तारी

†*९०७. श्री वाजपेयी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान पुलिस द्वारा एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है जो कि अपना संबंध पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग से बताता है, और उसके पास भारतीय मुद्रा में ४०,००० रुपये पाये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस मामले की जांच करायी गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) सरकार ने पाकिस्तानी समाचार पत्रों में इस प्रकार का एक समाचार देखा है ।

(ख) और (ग). गिरफ्तार व्यक्ति का यह कथित कथन बिल्कुल निराधार है कि उसका पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग से संबंध है ।

### श्रमिकों के लिये स्वास्थ्य स्थान*

†*९०९. श्री स० म० बनर्जी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों के लिये स्वास्थ्य स्थानों की व्यवस्था करने के संबन्ध में कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी इस समय क्या स्थिति है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

### त्रिपुरा में पुनर्वास-कार्य

†*९१०. श्री दशरथ देब : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रशासन के सहायता तथा पुनर्वास विभाग ने इस आशय का कोई सुझाव दिया है कि सिमना (त्रिपुरा) में कृष्णपुर चाय बागान और सिमना चाय बागान की भूमि का विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये अर्जन कर लिया जाये ;

(ख) क्या यह सच है कि इस भूमि पर पिछले ४० या ६० वर्षों से आदिम जाति के लोग तथा हिन्दुस्तानी भाषी लोग रह रहे हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि उस स्थान पर विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये यह भूमि उन पूर्ववर्त्ती लोगों से छीन ली गयी तो उससे लगभग ३०० परिवारों को बेदखल होना पड़ेगा ;

(घ) क्या इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह प्रार्थना की गयी है कि इस प्रस्थापना को कार्यान्वित न किया जाये ; और

(ङ) यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य-मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी, हां । इन बागानों में बंजर पड़ी हुई भूमि का अर्जन करने की प्रस्थापना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*Health Resort

(ख) और (ग). कुछ लोगों ने इस बात का दावा किया है कि वे उस भूमि पर बसे हुये हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) त्रिपुरा प्रशासन से प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

**मिट्टी के बर्तन तथा कुम्भकारी उद्योग के मजदूर[८]**

†*९११. **श्री ब० स० मूर्ति :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री २३ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न २७४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी के बर्तन तथा कुम्भकारी उद्योग के मजदूरों में सिलिकोसिस तथा क्षय रोग के अधिक आयात को कम करने के लिये फैक्टरियों के मुख्य मंत्रणादाता के संघहन द्वारा की गयी सिफ़ारिशों को राज्य सरकारों ने कार्यान्वित किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). मिट्टी के बर्तन तथा कुम्भकारी उद्योग के मजदूरों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये फैक्टरियों के मुख्य मंत्रणादाता द्वारा की गयी सिफ़ारिशें राज्य सरकारों को अभी एक मास पहले ही तो भेजी गयी थी। आशा है कि वे इन्हें कार्यान्वित करने के लिये उपयुक्त कार्यवाहियां कर रही होंगी।

**डिडवाना नमक**

†*९१२. **श्री म० दा० माथुर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डिडवाना में उत्पादित नमक उस जिले के निवासियों को उपभोग के लिये आबंटित नहीं किया जाता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जी, हाँ।

(ख) नमक के वितरण के लिये क्षेत्रीय योजना के अधीन नागौर ज़िला (जिस में डिडवाना तहसील स्थित है) १९५६ और १९५७ में पचमादा तथा सांभर नमक स्त्रोतों से सम्बद्ध कर दिया गया था डिडवाना नमक स्त्रोत से राजस्थान सरकार को संभरित किये गये नमक में से ४०,००० मन चूरु ज़िले के लिये आवंटित कर दिया गया था। डिड़वाना में उत्पन्न खाने के नमक की सीमित मात्रा में से शेष नमक पंजाब के हिसार ज़िले की मीटर लाइन पर पड़ने वाले स्थानों को संभारित कर दिया गया था।

फिर भी, अब यह व्यवस्था कर दी गयी है कि डिडवाना को वही के स्थानीय स्त्रोतों से नमक मिल जाये।

**आकाशवाणी के कार्यक्रम[९]**

†*९१३. **श्री नौशीर भरूचा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के संगीत कार्यक्रमों (उदाहरणर्थ शास्त्रीय अथवा सरल संगीत[१०] कार्यक्रमों )के लिये समय निर्धारित करने के कोई विशेष सिद्धान्त हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[८]Pottery and ceramic industry.

[९]Workers A.I.R. Programme.

[१०]Light music.

(ख) यदि हाँ, तो वे कौन कौन से आधार हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री** (डा० केसकर): (क) और (ख). संगीत का केन्द्रीय परामर्श दाता बोर्ड आकाशवाणी की संगीत नीति की मुख्य मुख्य बातें निश्चित करता है जैसे कि संगीत कार्यक्रमों का क्षेत्र, संगीत के विभिन्न प्रकार, उनके प्रसारण का अनुपात, और संगीत कार्य क्रमों का स्तर ऊंचा उठाने के लिये अपनाये जाने वाले उपाय आदि ।

**जूते बनाने का उद्योग**

†*९१४. **श्री गणपति राम** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटे पैमाने के एककों द्वारा जूते बनाये जाने के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २४]**

**कपड़े की मिलों का बन्द हो जाना**

†*९१५. **श्री जाधव** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २२ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अलाभ-चालन[11] के कारण कौन–कौन सी कपड़ा मिलें बन्द कर दी गई हैं ;

(ख) वे कब से बन्द हैं; और

(ग) क्या उन मिलों के करघे ठीक अवस्था में हैं?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २५]**

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**हथकरघे का कपड़ा**

†*९१६. **श्री तंगामणि** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि मद्रास राज्य में हथकरघे के कपड़े का बहुत सा स्टॉक इकट्ठा हो गया है; और

(ख ) यदि हां, तो सरकार उस स्टॉक की बिक्री के लिये क्या क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) सरकार को ज्ञात है कि मद्रास राज्य में हथकरघे के कपड़ों का कुछ स्टॉक इकट्ठा हो गया है ।

(ख) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थायी समिति ने इस समस्या पर विचार करने के लिये जनवरी, १९५७ में एक उपसमिति नियुक्त की थी । उस उपसमिति के प्रतिवेदन की और उस पर हथकरघा बोर्ड की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[11] Uneconomic working.

**चीनी उद्योग में भविष्य निधि योजना**

†*९१७. **श्री का० ना० पांडे :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उत्तर प्रदेश तथा बिहार के चीनी के कारखाने, उस समय जबकि चीनी उद्योग भविष्य निधि अधिनियम लागू होता था, भविष्य निधि योजना के प्रयोजन के लिये अपने कर्मचारियों के वेतनों की गणना करते समय उनके प्रतिधारण भत्तों को ध्यान में रखते थे;

(ख) क्या उन कारखानों ने अब उपरोक्त प्रयोजन के लिये प्रतिधारण भत्तों को गिनना बन्द कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो कब से और क्यों?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां?

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैरा २९ की व्याख्या जिसके अधीन भविष्य-निधि अंश दोनों की गणना प्रतिधारण भत्ते[१२] के आधार पर की जाने की अपेक्षा थी, ३१–७–५६ से, अर्थात्, उस तिथि से समाप्त कर दी गयी जिससे कि चीनी के कारखाने योजना के अधीन लाये गये, क्योंकि यह व्याख्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन 'मूल मजूरी' की परिभाषा से असंगत समझी गयी।

**तार (केबल) कारखाना, त्रिपुनिथुरा, (केरल)**

†*९१८. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य में त्रिपुनिथुरा स्थान पर शीघ्र ही तार (केबल) बनाने का एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस कारखाने पर कितनी पूंजी लगाने का विचार है;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह समवाय भारत और जापान का एक संयुक्त उपक्रम होगा; और

(घ) यदि हां, तो यह संयुक्त-उपक्रम किन शर्तों पर प्रारम्भ किया जायेगा?

†**उद्योग उपमंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां। केरल राज्य के त्रिपुनिथुरा स्थान पर एक नया कारखाना स्थापित करने के लिये उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन एक लाइसेन्स के लिये आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) आवेदन पत्र में ५० लाख रुपये की प्राधिकृत पूंजी का उल्लेख किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) विदेशी सहकारिता[११] की शर्तों के बारे में अभी विचार हो रहा है।

**वस्त्र निर्यात**

†*९१९. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से वस्त्र निर्यात की इस समय क्या स्थिति है;

---

† मूल अंग्रेजी में

[१२] Retaining allowance.

[११] Collaboration.

(ख) कुछ समय पूर्व भारत से ब्रिटेन को कपड़े के निर्यात की उच्चतम सीमा के सम्बन्ध में जो पारस्परिक समझौता हुआ था, क्या उसका पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की उच्चतम सीमा निर्धारित की गयी है; और

(घ) क्या ब्रिटेन को कपड़ा भेजने वाले अन्य देश भी निर्यात की इस प्रकार की उच्चतम सीमा से सहमत हो गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जनवरी—मई, १९५७ में लगभग ३९२० लाख गज (मिल के) कपड़े का निर्यात किया गया था। स अवधि में निर्यात किये गये कपड़े की मात्रा १९५६ की इसी अवधि में निर्यात किये गये कपड़े की मात्रा (जो कि ३१८० लाख गज थी) से २४ प्रतिशत अधिक थी।

(ख) भारत से ब्रिटेन को कपड़े के निर्यात की कोई उच्चतम सीमा नहीं निर्धारित की गयी है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) जहां तक सरकार को ज्ञात है, कोई भी देश अपने निर्यात की उच्चतम सीमा निश्चित करने पर सहमत नहीं हुआ है।

## भारत का राज्य व्यापार निगम[१४]

†*९२०. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
**डा० राम सुभग सिंह :**
**श्री दामानी :**
**श्री राम शंकर लाल :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का राज्य व्यापार निगम रूस, पूर्वी जर्मनी और चैकोस्लोवाकिया से आस्थगित भुगतान के आधार पर मशीनों तथा अन्य पूंजी वस्तुओं के संभरण के लिये बातचीत कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके बारे में अन्तिम निर्णय हो गया है; और

(ग) उन देशों से कौन कौन सी मशीनें तथा पूंजी वस्तुएं मंगायी जायेंगी?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां।

(ख) रूस और जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के विदेशी व्यापार संगठनों से कुछ संविदाएं[१५] की गई हैं। चैकोस्लोवाकिया भी कुछ अन्य देशों क साथ जिनमें शामिल है, अभी बातचीत चल रही है।

(ग) रूस तथा जर्मन लोगतंत्रात्मक गणराज्य से कपड़े की मशीनों और रूम से छापने की मशीनों के आयात के सम्बन्ध में संविदाएं की गई हैं।

---

† मूल अंग्रेजी में

[१४] State Trading Corporation of India (Private) Limited.

[१५] Contracts.

**प्रैस परिषद् विधेयक**

†*९२१. { **श्री वासुदेवन् नायर :**
**श्री भक्त दर्शन**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार प्रैस परिषद विधेयक के बारे में आगे कार्यवाही करने का विचार नहीं रखती है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** :(क) और (ख). प्रैस परिषद विधेयक दिसम्बर, १९५६ राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था और विचार करने और पारित करने के लिये लोक-सभा को भेजा गया था, परन्तु समय के अभाव के कारण उस पर कार्यवाही न की जा सकी। इस दौरान में यह भी स्पष्ट हो गया कि प्रैस के विभिन्न भागों में प्रस्थापित प्रैस परिषद की संरचना के बारे में मत भेद है। मार्च, १९५७ में सरकार के इस निर्णय के परिणामस्वरूप कि वह किसी भी विवादस्पद विधान पर चर्चा नहीं करेगी, यह फैसला किया गया कि उस विधेयक पर उस समय में चर्चा न की जाये। ४ अप्रैल, १९५७ को लोक-सभा की समाप्ति पर वह विधेयक व्यपगत हो गया।

सरकार उस विधेयक को लेना चाहती है, परन्तु वैसा करने से पहले सरकार यह चाहती है कि वर्तमान मतभेद घट जायें। सरकार प्रैस आयोग द्वारा प्रस्थापित सामान्य सिद्धान्तों से बहुत दूर जाना वांछनीय नहीं समझती।

**अम्बर चरखा**

†*९२२. **श्री केशव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बर चरखा चालू होने के समय से लेकर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सरकार की खादी सम्बन्धी मांग को पूरा करने के लिये किये गये प्रयत्नों के परिणामस्वरूप खादी के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) देश में (राज्यवार) अम्बर चरखों का किस सीमा तक प्रयोग प्रारम्भ हो गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) १९५६–५७ तो अम्बर चरखा कार्यक्रम को चालू करने का प्रथम वर्ष था। उस वर्ष वाणिज्यिक उत्पादन कम था। अभी से इस बात का विनिश्चय नहीं किया जा सकता कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अम्बर चरखा कार्यक्रम के लागू किये जाने के परिणाम स्वरूप सरकारी आवश्यकताओं को कहां तक पूरा कर सकेगा। फिर भी सरकार की खादी सम्बन्धी आज तक की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा किया जाता रहा है।

(ख) ३० जून, १९५७ तक स्वतंत्र रूप से काम करने के लिये ६१,६६२ अम्बर चरखे वितरित किये गये थे, लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि राज्यवार कितने कितने अम्बर चरखे वितरित किये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २६]**

†मूल अंग्रेजी में

### एकस्वों का पंजीयन[16]

†*९२३. श्री वें० प० नायर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में पंजीबद्ध एकस्वों में से अधिकांश एकस्व अभी तक विदेशियों के हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो भारतीय एकस्वों की तुलना में विदेशी एकस्व कितने प्रतिशत हैं?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) जी, हां ।

(ख) ३० जून, १९५७ को विदेशी एकस्व ९० प्रतिशत थे और भारतीय एकस्व १० प्रति शत ।

### कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम

*†९२४. श्री हीं० ना० मुकर्जी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री २१ दिसम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १४७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिनेमा थियेटरों के कर्मचारियों पर भी कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और उसके अधीन निर्मित योजना लागू करने तथा न्यूनतम संख्या को ५० से घटा कर १५ कर देने के सम्बन्ध में कोई फैसला हुआ है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : मामला अभी विचाराधीन है ।

### अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार

†*९२५. { श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री हेम बरुआ :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार सम्बन्धी बातचीत अब पूरी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस करार में अभी तक कौन कौन से देश सम्मिलित हुए हैं ?

*वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

### सक्रिय करघे[17]

†*९२६. श्री जाधव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़े की मिलों में काम कर रहे सक्रिय करघों की ठीक कितनी संख्या है;

(ख) ये करघे एक वर्ष में कितने दिन काम करते हैं;

(ग) उसकी कितनी पालियां (शिफ्टस) होती हैं; और

(घ) प्रति करघे से प्रतिदिन औसतन कितना कपड़ा तैयार होता है?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) सूचना मिली है कि लगभग १,९६,६७० करघे सक्रिय है जबकि अधिष्ठापित करघों की संख्या २,०४,४९८ है ।

(ख) करघे एक वर्ष में औसतन ३०० दिन तक काम करते हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

[16]Registration of Patents.

[17]Active Looms.

(ग) बहुत सी मिलें दो पालियों (शिफ्ट्स) में काम करती हैं, कुछ मिलें तो तीन पालियों में भी काम करती हैं।

(घ) गति करघे का प्रति दिन का औसत उत्पादन लगभग ४५ गज प्रति पारी है।

### सीमेन्ट के अभ्यंश[18]

†*९२७. श्री तंगामणि :
श्री बालकृष्णन् :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मद्रास राज्य को आवंटित सीमेंट त्रैमासिक अभ्यंश को बढ़ा देने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

### औद्योगिक बस्तियां[19]

†९२८. श्री ब० स० मूर्ति : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में आन्ध्र प्रदेश में कितनी औद्योगिक बस्तियां योजना स्थापित की जायेंगी; और

(ख) क्या उसके सम्बन्ध में योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश की सरकार का द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में विशाखापटनम, सनतनगर, विजयवाड़ा, सामलकोट और नन्दयाल में एक एक औद्योगिक बस्ती स्थापित करने का विचार है। विशाखापटनम और सनतनगर में औद्योगिक बस्तियों की योजनाएं स्वीकार कर ली गई हैं और उनके लिये २१,००० रुपये के अनुदान और १३.५ लाख रुपये के ऋण देने की मंजूरी दे दी गयी है। विजयवाड़ा और सामलकोट की औद्योगिक बस्तियों के बारे में योजनायें अभी अभी प्राप्त हुई हैं और वे विचाराधीन हैं। नन्दयाल के सम्बन्ध में योजना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

### राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद्[20]

†*९२९. श्री श्रीनारायण दास :
श्री रा० ज० राव :
श्री हो० ना० मुकर्जी :
श्री सूपकार :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् की स्थापना की गयी है या उसकी स्थापना का विचार है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[18]Cement Quotas.
[19]Industrial Estates.
[20]National Productivity Council.

(ख) यदि हां, तो इस निकाय की रचना संघटन तथा कृत्यों का स्वरूप क्या होगा?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). सरकार भारत में एक राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद स्थापित करने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है। हाल ही में १३ जुलाई, १९५७ को केन्द्रीय उद्योग मंत्रणा परिषद की हुई बैठक में भी यह निर्णय किया गया था कि एक राष्ट्रीय उत्पादिता की स्थापना की जाये। इसकी रचना, संघटन कृत्यों और कार्यक्रम आदि के बारे में अभी विचार किया जा रहा है।

## राष्ट्रीय उत्पादन

†*९३०. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के उत्तर भाग में, जबकि धन विनियोग बढ़ रहा था, देश के राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि में समग्र रूप से कमी हो गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) इन दो वर्षों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर घट जाने का कारण यह था कि १९५४-५५ में कृषि उत्पादन में बहुत कम वृद्धि हुई थी; और १९५५-५६ में तो उत्पादन में कमी हुई थी। एक और अन्य बात भी है, योजना काल के उत्तर भाग के लगाये गये कुछ धन का फल तो बाद में ही प्राप्त होगा।

## स्वदेशी कॉटन मिल्स, पांडिचेरी

†*९३१. श्री तंगामणि : : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १० जून, १९५७ को स्वदेशी कॉटन मिल्स (भूतपूर्व सावन मिल्स) के २५० बुनकरों की छटनी कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पूरा छटनी भत्ता दिया गया था; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की है?

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) स्वदेशी मिल्स में अत्याधिक वित्तीय हानि होने के कारण १० जून, १९५७ को ३४९ श्रमिकों को काम से अलग कर दिया गया था[२१]।

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम को अभी तक पांडेचेरी पर लागू नहीं किया गया है, तो भी उन श्रमिकों को वस्त्र मध्यस्थ निर्णय समिति के पंचाट के अनुसार ४५ दिन का 'ले ऑफ' प्रतिकर दिया गया था। तदुपरान्त ६३ व्यक्ति को पुनः रख लिया गया और आशा है कि कुछ और व्यक्तियों को भी काम पर लगा लिया जायेगा।

(ग) छटनी का प्रतिकर देने के लिये केवल उन्हीं के मामलों पर विचार किया जायेगा जिन्हें काम पर न लगाया जा सकेगा। पांडेचेरी प्रशासन मजदूर नेताओं और प्रबन्धकों दोनों से सम्पर्क बनाये हुए हैं और मैत्रीपूर्ण निर्णय कर ने के लिये हर प्रकार का प्रयत्न कर रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[२१] Laid off

## घुड़दौड़ के घोड़ों के आयात पर खर्च

†६६३. श्री हो० ना० मुकर्जी क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में घुड़ दौड़ आयोजित करने वाली भारतीय क्लबों द्वारा विदेशों से मंगाये गये घुड़दौड़ के घोड़ों, स्वचालित गणना-बोर्डों[२२] "जादूई आंखों" (मैजिक आइज़) और अन्य उपकरणों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है; और

(ख) क्या अब विदेशी मुद्रा का इस प्रकार का खर्च रोक दिया गया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) : (क) घुड़दौड़ के घोड़ों, स्वचालित गणना-बोर्डों[२२] "जादूई आंखों" (मैजिक आइज़) और अन्य उपकरणों के आयात पर खर्च की गयी विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो भी, लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिससे १९५२ से १९५६ तक आयात किये गये घोड़ों पर किया गया खर्च बताया गया है।

(ख) जी, नहीं।

## हथकरघे का माल

६६४. श्री सरजू पाण्डे :
श्री ब० स० मूर्ति :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में हथकरघे का कुल कितने रुपये का माल बाहर भेजा गया तथा किन-किन देशों को;

(ख) किस किस्म के कपड़े की बहुत मांग है और किस देश में; और

(ग) जितना माल बाहर भेजा गया उसमें से उत्तर प्रदेश से हथकरघे का कुल कितने रुपये का माल भेजा गया?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) : (क) और (ख). दो विवरण साथ में रखे हैं। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २८]

(ग) ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते ।

## ग्रामोद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योग

†*६६५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार से ग्रामोद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये कोई योजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

---

†मूल अंग्रेजी में

[२२]Automatic totalizators boards.

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) : (क) और (ख). पंजाब सरकार से प्राप्त १९५७–५८ के लिये ग्रामोद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योगों सम्बन्धी योजना के ब्यौरे और उन पर की गई कार्यवाही निम्नलिखित है:—

१. खादी तथा ग्रामोद्योग

१. देहातों में मिट्टी के बर्तन बनाने सम्बन्धी उद्योग
२. ग्रोम तेल उद्योग
३. हाथ से बने कागज का उद्योग
४. साबुन बनाने का उद्योग
५. कुटीर दियासलाई उद्योग
६. ऊनी खादी उद्योग
७. मधुमक्खी पालन उद्योग
८. गुड तथा खांडसारी उद्योग
९. खादी उद्योग

(परिश्रमालयों, विद्यालयों, सरंजाम कार्यालयों और उत्पादन केन्द्रों की स्थापना)

उपरोक्त सभा योजनाएं खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई, के विचाराधीन है। हां, पंजाब में विभिन्न अधिकरणों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली, योजनाओं के लिये आयोग ने अस्थायी रूप से धन आवंटित कर दिया है।

२. छोटे पैमाने के उद्योग

१. श्रेणी-अंकन योजना[२३] को जारी रखना।
२. बस्ती पठानन के ताप-साधन केन्द्र[२४] को जारी रखना।
३. चमड़े की वस्तुओं के सम्बन्ध में श्रेणी अंकन योजना को जारी रखना।
४. अहमदगढ़ के घुरी अग्रिम परियोजना क्षेत्र के लिये लुहार गीरी के लिये प्रशिक्षण केन्द्र।
५. मलेरकोटला के घुरी अग्रिम परियोजना क्षेत्र में दोहरा स्थान पर बढ़ई गीरी उद्योग का विकास।
६. बटाला के अग्रिम परियोजना क्षेत्र में स्टोरेज बैटरियों के निर्माण की योजना।
७. बटाला के अग्रिम परियोजना क्षेत्र में जूतों तथा चमड़े की अन्य वस्तुओं के लिये प्रशिक्षण देने की योजना।
८. बटाला आग्रिम परियोजनाओं क्षेत्र में रबड़ की वस्तुएं बनाने के लिये योजना।
९. उद्योगों को राज्य सहायता सम्बन्धी अधिनियम के अधीन ऋणों का वितरण।

उपरोक्त सभी योजनाओं के लिये मंजूरी दे दी गयी है।

---

† ल अंग्रेजी में

[२३] Quality making scheme.

[२४] Heat Treatment Centre.

३. हाथ करघा उद्योग

१. हथकरघे के कपड़े की बिक्री पर छूट।
२. बुनकरों की प्रतिनियुक्ति।
३. सुधरे हुए उपकरणों का संभरण।
४. विज्ञापन तथा प्रचार।
५. प्रदर्शनियों में भाग लेना।
६. नमूनों का क्रय।
७. रंगाई घरों की स्थापना।
८. फेरी वालों (हाकर्स) की नियुक्ति।
९. हथकरघों का पंजीयन।
१०. केन्द्रीय संघटन।

योजना संख्या (१) के लिये मंजूरी दी जा रही है। योजनाओं संख्या (२) से (८) पर सरकार विचार कर रही है। अन्तिम दो योजनाएं पंजाब सरकार को वापस भेज दी गयी हैं क्योंकि उनका सम्बन्ध संघटनात्मक खर्चों से है। उन के लिये किसी समय पर ही मंजूरी दी जायेगी।

४. रेशम के कीड़े पालना

१. कांगड़ा और रोपड़ में बागान और प्रदर्शन फार्मों की स्थापना।
२. सुधरे हुए किस्म के दो बेसिन वाले एक प्रदर्शन तथा वेल्लन केन्द्र की स्थापना।
३. सहकारी आधार पर चाँकी काम करना।
४. शहतूत के पौधों के संभरण के लिये शहतत की एक पौधशाला की स्थापना।
५. जापानी शहतूत की कलमें तैयार करने के लिये ऐक मूल पौधशाला की स्थापना।
६. ठण्डे तथा गर्म प्रदेशों में विदेशी जाति के बीज के लिये केन्द्रों की स्थापना।
७. जापानी तरीके से चाकी कीड़े पालने के केन्द्रों की स्थापना।
८. एक धान्यागार इमारत का निर्माण।
९. सुजानपुर में एक आदर्श रेशम कृमिपालन प्रदर्शन मूल बीज कोया फार्म[२५] की स्थापना।
१०. नामा और बस्सी पठानान में एक एक प्रदर्शन तथा उत्पादन केन्द्र की स्थापना।

योजना संख्या ६ के सम्बन्ध में राज्य सरकार से खर्च के ब्यौरे के आने की प्रतीक्षा की जा रही है। योजना संख्या ९ पर केन्द्रीय रेशम बोर्ड विचार कर रहा है। योजना संख्या ७, ८ और १० को मंजूरी नहीं दी गयी है क्योंकि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार प्रतिनिधियों के एक संयुक्त सम्मेलन में यह अनुभव किया गया कि उनके लिये मंजूर की जाने वाली राशि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन केन्द्र की ओर से राज्य को इस वर्ष के लिये मंजूर की गयी राशि से बढ़ जायेगी।

५. हस्तशिल्प

---

†मूल अंग्रेजी में

[२५]Model Sericulture Demonstration Basic Seed Eocoon Farm.

(क) १९५६–५७ में भूतपूर्व उत्पादन मंत्रालय द्वारा पंजाब सरकार की निम्नलिखित योजनाओं के लिये मंजूरी दी गयी थी, परन्तु पिछले वित्तीय वर्ष में उन्हें पूरा–पूरा कार्यान्वित नहीं किया जा सका। उन्हें अब १९५७–५८ के लिये पुनः मान्यता दी गयी है।

१. फुलकारी बनाने के लिये एक प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र

२. बुनाई (निटिंग) कसीदाकारी और सिलाई आदि के लिये महिला गृह–उद्योगों की स्थापना।

३. सूती वस्तुओं को चिकना करने के लिये एक संयंत्र[२६] की स्थापना।

४. पटियाला के कला तथा शिल्प वाणिज्यालय (इम्पोरियम) का विस्तार।

५. सुलतानपुर लोधी में कैलिको प्रिंटिंग का विकास।

६. कलात्मक हस्तशिल्पों में प्रशिक्षण देने के लिये गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल स्कूल, होशियारपुर, में सायंकालीन कक्षाएं प्रारम्भ करना।

(ख) १९५७–५८ के लिये पंजाब सरकार की निम्नलिखित नयी योजनायें मंजूर की गयी हैं :—

१. कुलु में पशमीना शाल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।

२. धर्मशाला में लोई निर्माण प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।

३. कुलु में नमदा निर्माण प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।

४. जंजीर वाले कसीदों, नमदों और पट्टू के लिये एक केन्द्र की स्थापना।

५. पालम पुर में कालीन बुनने का एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना।

६. कसीदों और शालों के उद्योग का विकास।

७. चंडीगढ़ में हस्तशिल्प वाणिज्यालय (हैंडीक्राफ्ट्स एम्पोरियम) की स्थापना।

(ग) दो और योजनायें भी प्राप्त हुई हैं। पहली का सम्बन्ध धर्मशाला में रूपांकन केन्द्र (डिजाइन सैंटर) से है। यह अभी विचाराधीन है। दूसरी का सम्बन्ध महत्वपूर्ण हस्तशिल्पों के लिये तीन रूपांकन केन्द्र स्थापित करने से है। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड इस प्रकार के एक रूपांकन केन्द्र की स्थापना की दृष्टि से इस पर पुनः विचार कर रहा है।

## तकुओं का आयात

†६६६. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस से अभी तक कितने तकुओं का आयात किया गया है ;

(ख) क्या उन्हें नकद धन देकर मंगाया गया है या कि वस्तु–विनिमय (बार्टर) के आधार पर; और

(ग) यदि विनिमय के आधार पर, तो उनके बदले में यहां से क्या क्या वस्तुएं भेजी गयीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[२६] Calendering Plant for Cotton goods

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) : (क) रूस से अभी तक कोई भी तकुए नहीं मंगाये गये हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

## नई दिल्ली में रिक्शा

६६७. श्री विभूति मिश्र : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नई दिल्ली में रिक्शा चलाने के लिये अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता : ।

## आयात लाइसेंस

†६६८. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान लाइसेन्सों का थोड़े से समय में ही उपयोग करने के लिये उद्योग और व्यापार क्षेत्रों में बड़ी हलचल सी रही है ;

(ख) पिछले तीन महीनों में कितने आयात लाइसेंस जारी किये गये थे ; और

(ग) क्या सरकार विदेशी मुद्रा की बड़ी भारी कमी होने के कारण वर्तमान आयात लाइसेन्सों में से कुछ एक लाइसेंस समाप्त कर देने का विचार रखती है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरार जी देसाई) : (क) हाल के महीनों में आयात की संख्या में वृद्धि होने का मुख्य कारण यह है कि भारत में विकास कार्य जोरों से चल रहा है। परन्तु इस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि लाइसेन्सों को इस्तेमाल करने की गति सट्टे-बाजी के कारण बढ़ी है।

(ख) अप्रैल से जून, १९५७ तक ४७,२८७ आयात लाइसेन्स जारी किये गये थे।

(ग) ऐसा कोई विचार नहीं है।

## उड़ीसा में खनन-क्षेत्र

†६६९. श्री सूपकार : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के खनन क्षेत्र में मजदूरों के कल्याण के लिये कोई भी प्रबन्ध नहीं है; और

(ख) क्या इन क्षेत्रों में किसी सरकारी श्रमिक कल्याण अभिकरण के अभाव के कारण गोली चलने, घातक आक्रमणों तथा श्रमिक असन्तोष आदि के बहुत से केस हुए हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) इन क्षेत्रों में मजदूर कल्याण सम्बन्धी सुविधायें हैं।

(ख) वहां पर अशांति और गोली चलने आदि के कई केस हुए हैं, परन्तु वे वहां पर श्रमिक कल्याण अभिकरण के अभाव के कारण नहीं हुए थे।

## केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग

†६७०. श्री वें० प० नायर: क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों में मंडलीय पदाधिकारियों, उपमंडलीय पदाधिकारियों तथा पर्यवेक्षकों का कितना अनुपात है;

(ख) (१) मंडलीय पदाधिकारियों (२) उपमंडलीय पदाधिकारियों और (३) पर्यवेक्षकों के नियन्त्रण के अधीन निर्माण कार्यों पर व्यय कितना है; और

(ग) उपरोक्त तीनों वर्गों में कितने इंजीनियर स्नातक हैं?

†निर्माण आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) १:४ : १६

(ख) संधारण तथा निर्माण कार्य के दोनों खर्चों को ध्यान में रखते हुए मंडलीय कार्यालय तथा उपमंडलीय कार्यालय में औसत वार्षिक खर्च क्रमश: २५.३१ लाख रुपये और ६.०२ लाख रुपये हैं। एक अधीक्षक (सैक्शन आफीसर) को अलग से खर्च करने का अधिकार नहीं होता। इसलिये उसके सम्बन्ध में अलग आंकड़े नहीं दिये जा सकते।

(ग) क्रमश: १५१, २१० और ३०१.

## फर्नीचर

†६७१. {श्री मोहन स्वरूप / श्री खुशवक्त राय} :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैबिनेट के मंत्रियों, उपमंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा सभा-सचिवों को कितना कितना फर्नीचर दिया जाता है, और वह फर्नीचर कितनी-कितनी कीमत का होता है; और

(ख) मंत्रियों को दिये गये बंगलों की देख रेख पर कितना खर्च आता है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी): (क) केबिनेट के मंत्रियों, राज्य-मंत्रियों और उपमंत्रियों को फर्नीचर विशेष 'अनुमाप' (स्केल) और वित्तीय सीमा के अनुसार दिया जाता है जो कि इस प्रयोजन के लिये निर्धारित किये गये हैं। आठ मंत्रियों के प्रत्येक बड़े बंगले में ३२,००० रुपये, मंत्रियों के अन्य बंगलों में २८,००० रुपये और उपमंत्रियों के बंगलों में १३,५०० रुपये तक का फर्नीचर संभरित करने की व्यवस्था है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा-सचिवों के लिये कोई 'अनुमाप' (स्केल) फर्नीचर दिये जाने की व्यवस्था नहीं है।

सामान्यतया उन्हें संसद के फ्लैटों और बंगले में ही स्थान दिया जाता है। उन्हें दिये जाने वाले फर्नीचर का 'अनुमाप' इस बात पर निर्भर करता है कि जिस प्रकार के फ्लैट या बंगले में वे रह रहे हैं उनके लिये कितना फर्नीचर विहित है। संसद् सदस्यों के फ्लैटों में संभरित किये जाने वाले फर्नीचर की कीमत १५७८ रुपये से ३७५३ रुपये तक होती है और संसद् सदस्यों के बंगलों में जो कि फ्लैटों से बड़े होते हैं, ५४८० रुपये की कीमत का फर्नीचर संभरित किया जाता है।

(ख) मंत्रियों के बंगलों की देख भाल पर आने वाला खर्च अलग-अलग नहीं रखा जाता तो भी व्यवस्था यह है कि किसी भी इमारत के निर्माण पर आने वाले खर्च का २.७५ प्रतिशत धन वार्षिक मरम्मत पर और १ प्रतिशत धन विशेष मरम्मतों पर खर्च किया जा सकता है।

बिजली लगाने पर आने वाले कुल खर्च का ८ प्रतिशत धन बिजली सम्बन्धी देख भाल के कार्यों पर, प्रतिवर्ष किया जा सकता है और विशेष मरम्मतों के लिये ३.५ प्रतिशत धन खर्च किया जा सकता है।

**जिप्सम**

†६७२. श्री ज० रा० मेहता : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की विभिन्न उर्वरक फैक्टरियों द्वारा कुल कितना जिप्सम इस्तेमाल किया गया है ; और

(ख) प्रत्येक बार राजस्थान से कितना जिप्सम प्राप्त किया गया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री भुरारजी देसाई) : (क) इस समय जिप्सम, उर्वरक तैयार करने वाले केवल दो ही कारखानों द्वारा एमोनियम सल्फेट के उत्पादन के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है। एक टन एमोनियम सल्फेट के निर्माण के लिये १.६ टन जिप्सम की आवश्यकता होती है। उस आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि इन दो कारखानों द्वारा पिछले कुछ वर्षों में खपत किये गये जिप्सम की मात्रा निम्न प्रकार है।

| | मैसर्ज सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमीकल प्राइवेट लिमिटेड, सिन्दरी | मैसर्ज फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड, अल्वाय |
|---|---|---|
| | टन | टन |
| १९५४ | ४४५,००० | ११,००० |
| १९५५ | ५१४,००० | १७,००० |
| १९५६ | ५३२,००० | ६,००० |
| १९५७ (जनवरी से जून १९५७) | २५६,००० | १,५०० |

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सिन्दरी फर्टिलाइजर्ज द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला लगभग सारा का सारा जिप्सम राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। मैसर्ज फर्टिलाइजर्ज एण्ड कैमीकल्ज त्रावनकोर लिमिटिड, अल्वाय की जिप्सम की आवश्यकता को त्रिचनापल्ली और विदेशों से आयात करके पूरा किया जाता है। उस कारखाने द्वारा राजस्थान का जिप्सम इस्तेमाल नहीं किया जाता।

## हाथ का कुटा चावल

†६७३. श्री कृष्णय्या : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९५६–५७ में हाथ के कुटे चावल के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकारों को कोई ऋण दिये थे; और

(ख) यदि हाँ तो (राज्यवार) कितनी राशि दी गयी है?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई): (क) जी, हाँ।

(ख) राज्यों के नाम और उनके लिये मंजूर की गयी राशियाँ नीचे दी जाती है :—

| राज्य | मंजूर की गई राशि (रुपयों में) |
|---|---|
| केरल | ११,००० |
| मद्रास | १,२२,५०० |
| मनीपुर | १,२५,००० |
| मध्य प्रदेश | १,४०,००० |
| मैसूर | २४,००० |
| पंजाब | १०,५०० |
| उत्तर प्रदेश | १,२५,००० |

कुछ एक ऋण विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों के लिये भी मंजूर किये गये हैं। जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जायेगी।

## विस्फोटक पदार्थों के लाइसेंस[२७]

†६७४. श्री मतीन : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकारों के पदाधिकारियों द्वारा विस्फोटक पदार्थों के लाइसेन्सों के मनमाने ढंग से रद्द किये जाने या नवीकृत न किये जाने को रोकने के लिए क्या–क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : राज्य सरकारों के जिला प्राधिकारी द्वारा विस्फोटक पदार्थों के लाइसैन्सों के मनमानी ढंग से रद्द किये जाने या

†मूल अंग्रजी में

[२७] Explosives Licenecs

नवीकरण करने से इंकार किये जाने को रोकने के लिए विस्फोटक पदार्थ नियम, १९४० में निम्नलिखित उपायों की व्यवस्था है:—

(क) कोई भी जिला प्राधिकारी एक लाइसेन्स अधिकारी के रूप में किसी भी लाइसेन्स को केवल तभी रद्द या निलम्बित कर सकेगा जब कि भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम के किसी उपबन्ध या लाइसेन्स की किसी पूर्ति का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब भी कोई जिला प्राधिकारी किसी लाइसेन्स को रद्द करे या उसका नवीकरण करन मे इन्कार करे तो यह अपेक्षित है कि वह वैसा करने के कारण लिख कर रखे और उसकी एक प्रति लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति को भी दे।

(ग) यदि जिला प्राधिकारी किसी लाइसेन्स को रद्द करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार करता है और वैसा आदेश दे देता है तो उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह उस आदेश के विरुद्ध उससे बड़े अधिकारी से अपील करे।

## काम दिलाऊ दफ्तर

†६७५. **श्री गणपति राम :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५, १९५६ और १९५७ में देश के कामदिलाऊ दफ्तरों में कुल कितने नाम दर्ज किए गए और उपरोक्त अवधि में उनमें से कितने व्यक्तियों को काम दिलाया गया; और

(ख) उपरोक्त अवधि में अनुसूचित जाति के कुल कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज किए गए और कितनों को काम दिलाया गया ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

| वर्ष/अवधि | सभी वर्गों के आवेदन कर्त्ता | | अनुसूचित जातियों के आवेदनकर्त्ता | |
|---|---|---|---|---|
| | दर्ज हुए लोग | ऐसे लोग जिन्हें काम दिलाया गया | दर्ज हुए लोग | ऐसे लोग जिन्हें काम दिलाया गया |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १९५५ . . | १५,८४,०२४ | १,६९,७३५ | १,७६,९४५ | २७,००७ |
| १९५६ . . | १६,६९,८९५ | १,८९,८५५ | १,७८,२१० | २८,०८७ |
| १९५७ . . (जनवरी से जून) | ७,९२,९१२ | ९०,९२५ | ८६,९९७ | १३,३८८ |

†मूल अंग्रेजी में

## मंत्रियों के निवास स्थान

६७६. **श्री खुशवक्त राय** : क्या निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा-सचिवों को सरकार द्वारा जो निवास-स्थान दिये गये हैं उनके अलग अलग मासिक किराये व्यापारिक दर से क्या होते हैं ?

**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : इन मकानों के लिये फन्डामेन्टल (मूल नियम) ४५-बी के आदेशों के अनुसार जो किराया गैर सरकारी लोगों से लिया जाना चाहिये उसके ब्योरे का विवरण सभा की मेज़ पर रख दिया गया है । इन मकानों का बाजार भाव के अनुसार क्या किराया होगा यह मालूम कर सकना सम्भव नहीं हो सका है ।

## कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि

†६७७. **श्री मतीन** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि में कितना धन इकट्ठा हुआ था;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितना खर्च हुआ था;

(ग) इस समय कितना धन रक्षित है;

(घ) कोयले खानों के अस्पतालों और औषधालयों में इलाज पाने वाले रोगियों की तुलना में इस निधि के क्षेत्राधिकार के अधीन अस्पतालों में इलाज पाने वाले रोगियों की कितनी संख्या है; और

(ङ) गैर-सरकारी कोयला खानों के अस्पतालों और औषधालयों में इलाज पर आने वाले औसत मासिक खर्च की तुलना में कोयला-खान कल्याण आयुक्तों के अधीन अस्पतालों में प्रति रोगी के इलाज पर कितना औसत मासिक खर्च आता है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के प्राप्ति तथा खर्च के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

| वर्ष | प्राप्ति (रुपयों में) | खर्च (रुपयों में) |
|---|---|---|
| १९५४–५५ . | ९६,८५,५६३ | ६८,५८,६६० |
| १९५५–५६ . . | १,३८,४३,४०२ | ६६,४७,२७२ |
| १९५६–५७ . . . | ९६,७९,५८७ | ५९,३४,८६० |

(ग) ३१–३–५७ को शेष ५,९१,७७,४३५ रुपये बचते थे ।

(घ) और (ङ). जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

### हथकरघा उद्योग

†६७८. श्री स० म० बनर्जी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७ में उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग के लिये कोई राशि निर्धारित की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह राशि सहकारी संस्थाओं के विकास के लिये है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) : (क) जी, हां । अभी तक ३०,२५,५४६ रुपये मंजूर किये गये हैं।

(ख) जी, हां ।

### मधुमक्खी पालन

†६७९. श्री श्रीनारायण दास : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने की नीति के परिणामस्वरूप मधु उत्पादन की वृद्धि में, उत्पादन की प्रविधि में सामान्य रूप से मधुमक्खी पालन के कार्य में कोई प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस दिशा में कोई गवेषणा की गयी है या की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की गवेषणा के क्या परिणाम निकले हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरार जी देसाई) :(क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही लोक सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

### उर्वरक

†६८०. श्री ज० रा० मेहता : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत की प्रत्येक उर्वरक फैक्टरी में किस प्रकार के उर्वरक तैयार होते हैं और १९५६–५७ में इनमें से प्रत्येक फैक्टरी में प्रत्येक प्रकार के उर्वरकों के उत्पादन पर कितनी लागत आयी थी ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि भारत के प्रत्येक उर्वरक कारखाने में किस किस प्रकार के उर्वरक तैयार किये जाते हैं । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३०]

### त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों के लिये भूमि

†६८१. श्री बांगशी ठाकुर : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कितने विस्थापित व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गयी है और प्रत्येक व्यक्ति को कितनी कितनी भूमि आवंटित की गयी है;

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) त्रिपुरा में ऐसे कुल कितने विस्थापित व्यक्ति हैं जिन्हें अभी तक भूमि नहीं मिली है;

(ग) क्या त्रिपुरा में अभी तक झूठे प्रव्रजन और शरणार्थी प्रमाण पत्रों की समस्या है ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

### अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियमों में संशोधन

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २७ जुलाई, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २४०५ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एस–१९३/५७]

### प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) परिरक्षित फल उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५७) ।

(२) दिनांक ६ अगस्त, १९५७ को सरकारी संकल्प संख्या १३ (३) टी पी/५७ ।

(३) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६(२) के परन्तुक के अधीन विवरण, जिस में इस के कारण बताये गये हैं कि उपरोक्त (१) और (२) में उल्लिखित दस्तावेजों को उक्त धारा में नियत अवधि के अन्दर पटल पर क्यों नहीं रखा जा सका ।

(४) मोटर-गाड़ी के हाथ पम्पों के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५७) ।

(५) दिनांक २ अगस्त, १९५७ का सरकारी संकल्प संख्या २१(३) टी पी/५७ ।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एस–१९५/५७].

### नारियल जटा बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन

†श्री मनुभाई शाह : मैं नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा १९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५६-५७ के लिये प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एस–१९६/५७].

---

† मूल अंग्रेजी में

**अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा स्वीकृत सिफारिशें**

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा जून, १९५६ के ३९वें अधिवेशन में स्वीकृत सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही के विवरण की एक प्रति सिफारिशों के मूल पाठ सहित सभा पटल पर रखता हूं ।

**[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एस–१९७/५७].**

---

## गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

**चौथा प्रतिवेदन**

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं ।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

**सौनाली स्टेशन के आगे रेलों का बन्द किया जाना**

†**श्री बर्मन** (कूच बिहार–रक्षित–अनुसूचित जातियाँ) : नियम १९७ के अन्तर्गत में अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उस के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"सौनाली स्टेशन के आगे रेलों का बन्द किया जाना, जिस के फलस्वरूप बहुत से यात्रियों को कटिहार स्टेशन पर ही पड़ा रहना पड़ा ।"

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : २८ जुलाई १९५७ से, सिलिगुड़ी-कटिहार सेक्शन की रेलवे लाइन पर पड़ने वाली नदियां खतरे के बिन्दु को स्पर्श करने लगीं और कहीं कहीं उन का पानी खतरे के बिन्दु के भी ऊपर चढ़ गया । ६ अगस्त १९५७ को सौनाली और झउआ स्टेशन के बीच पुल संख्या ९० पर पानी खतरे के बिन्दु से ८" ऊपर था । ७ अगस्त, १९५७ को उसी सेक्शन के पुल संख्या ९३ को भी असुरक्षित घोषित कर दिया गया इसलिये कटिहार से आगे रेल-गाड़ियों का जाना बन्द कर दिया गया ।

इस सेक्शन में १० अगस्त १९५७ के एक बजे से दिन में रेलगाड़ियों का चलना शुरू हो गया । बारह अगस्त से रात को माल गाड़ियों का चलना प्रारम्भ हो गया । कल १३ तारीख की रात्रि से रात को भी सवारी गाड़ियों का चलना प्रारम्भ हो गया होगा ।

६ अगस्त से १० अगस्त तक कटिहार और सिलिगुड़ी के बीच थोड़ी ही गाड़ियां चलीं और लगभग ६० गाड़ियां नहीं चलने दी गईं ।

बहुत से यात्रियों को, जो गाड़ियां बन्द होने के पूर्व यात्रा कर रहे थे, सिलिगुड़ी और कटिहार में रुकना पड़ा । इन यात्रियों को जितनी दूरी तक उन्होंने यात्रा नहीं की थी उतनी दूरी का किराया लौटा दिया गया अथवा उन्हें किराया लिये बिना यात्रा प्रारम्भ करने के स्थान तक लौट जाने दिया गया । जो यात्री इस प्रकार छूट गये थे उन्हें रेलवे के व्यय पर मुफ्त भोजन दिया गया अथवा उन के लिये दूसरे प्रकार के परिवहन की व्यवस्था कर दी गई ।

---

म ल अंग्रेजी में

कटिहार में रह गये यात्रियों की लगभग संख्या का विवरण इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| ६–८–५७ | १४०० |
| ७–८–५७ | २००० |
| ८–८–५७ | १५०० |
| ९–८–५७ | १००० |
| १०–८–५७ | ६०० |

२१६७।। यात्रियों को किराया वापस किया गया जिस की कुल राशि १७,२२५ रुपये थी ।

६०४ यात्रियों के टिकटों को उन के यात्रा प्रारम्भ करने के स्टेशन तक जाने के लिये पृष्ठांकित कर दिया गया ।

---

## अनुदानों की मांगें

### निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब निर्माण, आवास और सभरण मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर चर्चा करेगी । माननीय सदस्य १५ मिनट के भीतर अपने उन कटौती प्रस्तावों की संख्या, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हों, पटल पर दे दें । माननीय मंत्री चर्चा का उत्तर कब देंगे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मुझे उत्तर देने के लिये एक की आवश्यकता होगी । मेरे सहयोगी भी शायद बीच में १०, १५ मिनट के लिये बोलेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप दोनों एक घंटा ले सकते हैं । प्रत्येक सदस्य को १५ मिनट का समय मिलेगा । अब श्री ईश्वर अय्यर अपना भाषण प्रारम्भ कर सकते हैं ।

**वर्ष १९५७-५८ के लिये निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के अनुदानों की ये मांगें प्रस्तुत की गईं :**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| ९२ | निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय | ३२,६७,००० रु० |
| ९३ | संभरण | १,५२,३३,००० रु० |
| ९४ | अन्य असैनिक निर्माण कार्य | १२,०५,४७,००० रु० |
| ९५ | लेखन सामग्री तथा छपाई | ४,०२,३७,००० रु० |
| ९६ | निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय | ५२,०८,००० रु० |
| १३२ | दिल्ली पूंजी व्यय | ४,२७,६९,००० ० |
| १३३ | भवनों पर पूंजी व्यय | २,६७,५९,००० रु० |
| १३४ | निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय | १,२५,८६,००० ०० |

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ईश्वर अय्यर (त्रिवेन्द्रम) : इस मंत्रालय के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में १४००० औद्योगिक कर्मचारी हैं। उन्हें काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारी कहते हैं। तथापि उन की सेवा शर्तें अभी तक अनिश्चित हैं। वे सदैव से यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें नियमित असैनिक कर्मचारी समझा जाय और उन्हें भी छुट्टी, पद निवृत्ति और पेंशन इत्यादि की सभी सुविधायें प्राप्त होनी चाहियें।

उन लोगों को कोई चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। उन के लिये बहुत थोड़े अस्पताल या दवाखाने खोले गये हैं जो उन के लिये पर्याप्त नहीं हैं अतः मेरा निवेदन है कि उन्हें अंशदायी स्वास्थ्य योजना का लाभ प्रदान किया जाय।

इन की सब से बड़ी कठिनाई आवास के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में हम निर्माण, आवास और संभरण मंत्री से मिले थे जिन्हों ने हमें आश्वासन दिया कि वे इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। विशेषतः हवाई अड्डों में काम करने वाले व्यक्तियों को आवास सुविधायें प्रदान करनी चाहियें क्योंकि वे लोग नगर से बहुत दूरी पर रहते हैं।

इन के वेतन क्रम में भी बड़ी अव्यवस्था है। इस सम्बन्ध में एक अधिकारी श्री पी० के० सेन ने अपना प्रतिवेदन दिया है और उन्होंने इन सेवाओं के वर्गीकरण की सिफारिश की है किन्तु उसे क्रियान्वित नहीं किया है।

सेवा में ज्येष्ठता की सूची भी एकरूप होनी चाहिये। स्थिति के अनुसार विभिन्न खंडों की ज्येष्ठता सूची होनी चाहिये जिस से कि इस सम्बन्ध में किसी के प्रति अन्याय या पक्षपात न किया जाय। बहुत से व्यक्तियों को इस कारण नौकरी से हटा दिया गया था कि वे राजनैतिक कार्यों में भाग लेते थे। केवल इस कारण किसी को नौकरी से नहीं हटाया जाना चाहिये कि उस का किसी विशेष राजनैतिक दल से सम्पर्क है अपितु इस के लिये उस के कार्य की कुशलता और परिश्रम पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। यदि उन निकाले गये व्यक्तियों का कार्य संतोषजनक है तो उन्हें नौकरी में रख लिया जाय।

†श्री क० च० रेड्डी : किसी भी कर्मचारी को राजनैतिक विचारधारा या राजनैतिक दलों से सम्बन्ध के कारण नौकरी से नहीं हटाया जाता है तथापि इस का यह तात्पर्य नहीं है कि कर्मचारी सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लें।

†श्री ईश्वर अय्यर : मंत्रालय को राष्ट्रपति भवन के कर्मचारियों की ओर भी ध्यान देना चाहिये। उन की सेवा शर्तें भी अभी तक अनिश्चित हैं और यद्यपि उन का वेतन इस मंत्रालय से दिया जाता है तथापि वे राष्ट्रपति के सैनिक सचिव के अधीन होते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वे लोग भी इसी मंत्रालय के अधीन ले लिये जायें।

औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिये क्वार्टरों की बहुत कमी है और नियोजक सरकारी सहायता के बाजजूद भी उन के लिये आवास व्यवस्था नहीं करते हैं। अतः इस सम्बन्ध में कोई विधान बनाना अनिवार्य है जिस से औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों को कुछ सुविधायें प्राप्त हो सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं अल्प आय वर्ग की गृह निर्माण योजना के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहूंगा। सरकार सरकारी कर्मचारियों की सहकारी समितियों को भी गृह-निर्माण के लिये सहायता देना चाहती है। किन्तु यह कार्य सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चल रहा है। मुझे ज्ञात हुआ है कि कुछ सहकारी समितियों को सरकार ने भूमि प्राप्त करने में सहायता दी थी किन्तु बाद में यह कहा गया कि यह गन्दी बस्तियों के निवासियों या अल्प आय वालों के लिये है। ऐसा करना उचित नहीं है जो सहकारी समितियां सच्चाई से गृह निर्माण के कार्य में अग्रसर होना चाहती हैं। उन की पूरी सहायता की जाय।

सरकार की यह नीति है कि वह उत्तरोत्तर गैर-सरकारी ठेकेदारों को ठेका देना बन्द करेगी, किन्तु इस के विपरीत यह प्रथा बढ़ती जा रही है। वस्तुतः ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच एक अलिखित समझौता होता है और वे कुछ प्रतिशत अधिकारियों को देते हैं। यथासंभव छोटे मोटे कार्य विभाग को स्वयं करने चाहियें अन्यथा उन की कार्य कुशलता घटेगी।

लोक लेखा समिति ने अपने तेईसवें प्रतिवेदन में एक मामले का जिक्र किया है। जिस में उस ने बताया है कि एक नीलाम करने वाली फर्म ने सरकार के १२,५६,६०४ रुपये रोक लिये और सारा माल ले लिया। निःसन्देह उस फर्म के साझेदारों को आठ वर्ष का कारावास मिला किन्तु सरकार को बारह लाख रुपये का घाटा हो गया जबकि नियमानुसार बिना पैसों की रसीद दिखाये माल देने की अनुमति नहीं थी। वस्तुतः उस कर्मचारी पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये जिस ने बिना रसीद देखे सामग्री ले जाने की अनुमति दी।

अन्त में मैं माननीय मंत्री से पुनः निवेदन करता हूं कि वे काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी बना लेवें और उन्हें वे सभी सुविधायें दें जो अन्य असैनिक कर्मचारियों को दी जाती हैं।

†श्री रंगा (तेनालि) : मैं सरकार को इस बात पर बधाई देता हूं कि उस ने पिछले दो वर्षों में दो बड़े होटलों का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की है। वस्तुतः इन होटलों का निर्माण आवश्यक था और दिल्ली में होटलों की कमी के कारण गैर-सरकारी होटलों में यात्रियों से मनमाने दाम वसूल किये जाते थे। आशा है अब ऐसा नहीं होगा और इन के निर्माण से हमारे पर्यटन उद्योग को भी पर्याप्त लाभ होगा।

कुछ सदस्यों ने इस बात की आलोचना की है कि सरकार ने इस होटल का संचालन कर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है क्योंकि इस में बहुत हानि हो सकती है। इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि भले ही अशोक होटल को हानि हो एक लाभ अवश्य हुआ है वह यह है कि अन्य होटलों को अपने किराये और भोजन की दरें कम कर देनी पड़ी हैं। मैं अपने मित्रों को यह सलाह दूंगा कि साम्यवादी देशों म वहां की सरकार की ओर से ऐसे होटल खुले हुए हैं जिन का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं अपितु विदेशी यात्रियों की सद्भावना प्राप्त करना और उन को सुख सुविधायें उपलब्ध करना होता है।

मेरा विचार है सरकार ने इस होटल का निर्माण कर बहुत अच्छा कार्य किया है। जहां तक लाभ हानि का प्रश्न है पहिले एक या दो वर्षों में कोई भी होटल लाभ की आशा नहीं कर सकता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में बहुत भ्रांति फैली हुई है और सब को यह विश्वास है कि इस विभाग में बहुत भ्रष्टाचार होता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस भ्रष्टाचार की जांच करवाने के लिये एक उच्चाधिकारयुक्त समिति नियुक्त करें जो इस विभाग के कार्य की जांच करे और उस में सुधार का सुझाव देवे।

†मूल अंग्रजी में

[श्री रंगा]

मैं उन की गृह-निर्माण नीति से भी सन्तुष्ट नहीं हूं। हमने राज्य सभा में भी सरकार पर इस बात का दबाव डाला था कि वह गांवों में भी गृह-निर्माण कार्य अपने हाथों में लेवे। इस सम्बन्ध में जो कार्य किया गया है वह असन्तोषजनक है। १९५७-५८ के लिये १२,१७,००,००० रुपयों की मांग की गई है जिस में से इन ४ या ५ महीनों में केवल १.१४ करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। आगामी पांच वर्षों में ग्रामीण गृह-निर्माण योजना पर कुल ३० करोड़ रुपये व्यय होंगे। वस्तुतः यह बहुत कम है। इस सम्बन्ध में अधिक ध्यान देना चाहिये और इस कार्य में अधिक रुपया व्यय किया जाना चाहिये। मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई है कि गांवों में गृह निर्माण पर भी कुछ प्रयोग किये जायेंगे। हमारे गांवों में अधिकांश मकानों की छतें फूस की होती हैं जिन में गर्मी में सरलता से आग लग जाती है। अतः मंत्रालय को वहां आग बुझाने वाले इंजिनों का प्रबन्ध करना चाहिये जिस से इस क्षति से समाज की रक्षा हो सके।

अब मैं सामग्री विभाग और क्रय मिशनों को लेता हूं। क्रय मिशनों के सम्बन्ध में बहुत भ्रांति है। मैं भी पहिले इन के विरुद्ध था किन्तु जब मुझे इन मिशनों को वहां जाकर स्वयं देखने का अवसर मिला तो मुझे उन की उपयोगिता का पता चला किन्तु एक बात और है। वह यह है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय इन मिशनों से सहयोग नहीं करता है। इस का प्रभाव मितव्ययता पर पड़ता है वस्तुतः इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि वे एक उच्चाधिकार युक्त समिति नियुक्त करें जो प्रतिरक्षा मंत्रालय के सारे आर्डरों की जांच करे।

जहां तक काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों का सम्बन्ध है इन की मांगें बहुत पुरानी हैं और वे असंतुष्ट हैं अतः इस मंत्रालय का यह कर्त्तव्य है कि वह इनकी शिकायतों और आवश्यकताओं पर ध्यान दें जिस से हमारे विरोधी पक्ष वालों को उन की सिफारिश करने की आवश्यकता न हो। मंत्री महोदय को राष्ट्रपति भवन के कर्मचारियों की शिकायतों पर भी ध्यान देना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि हम इस बात का भी परीक्षण करें कि क्या हम यह ठेकेदारी का तरीका समाप्त कर सकते हैं या नहीं। शायद इसी ढंग से हम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की हालत ठीक कर सकें। फिर हमें यह सोचना होगा क्या हम स्वतः धन का विनियोजन कर सकते हैं—हम चाहते हैं कि पहले इन सभी बातों पर विचार कर लिया जाये। मैं यह नहीं चाहता कि माननीय मंत्री यहां ही हां या न। में उत्तर दें—बल्कि वह इन बातों का परीक्षण करायें।

†**श्री अन्सार हरवानी** (फतहपुर) : श्रीमान् मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों की दशा की ओर दिलाना चाहता हूं। ये लोग आनन्द पर्वत तथा विनय नगर जैसी दूरस्थ जगहों से साइकलों पर आते हैं और फिर शाम को निराश होकर घर जाते हैं—क्योंकि सोने के लिये उन्हें सड़क पर ही स्थान मिलता है।

इसके अतिरिक्त कुछ पदाधिकारी भी हैं—जिनके पास बंगले है, जो आराम से रहते हैं—परन्तु क्लर्कों की हालत कैसी है? हम फिर उनसे यह चाहते हैं कि वह वफादार रहें। जिस बंगले में एक अफसर रहता है उसमें ६ क्लर्क परिवार सहित रह सकते हैं—यहां चमरीयां बन सकती हैं। अब क्लर्क शाहदरे से भी आते हैं। मैं आशा करता हूं कि उनके बारे में भी कुछ किया जायगा।

†मूल अंग्रेजी में

क्लर्कों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये आवास स्थान बनाने की बजाय हम दफ्तर बनाते जाते हैं—यदि इन लोगों को रहने के मकान मिल जायें तो यह लोग टीन की छतों के नीचे भी बैठकर काम कर सकते हैं। एक दूसरी बात यह है कि अफसरों को जिनके पास कारें हैं उन्हें तो दफ्तरों के निकट मकान मिल जाते हैं किन्तु क्लर्कों को दूर दूर फेंका जा रहा है—यह नहीं होना चाहिये ।

मैं भारत सरकार के प्रैस के बारे में भी कुछ बाते कहूंगा। पहले इस पर सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का नियंत्रण था किन्तु अब निर्माण आवास तथा संभरण मंत्रालय के अधीन है—जब से प्रैस निर्माण आवास तथा संभरण मंत्रालय के हाथ आया है—यहां का काम खराब हो गया है। दूसरे लोक-सभा को भी अपना अलग प्रैस बनवाना चाहिये—इसपर आश्रित नहीं रहना चाहिये।

**श्री भक्त दर्शन** (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अपने दोनों माननीय मंत्रियों को हृदय से बधाई देता हूं और मुझे आशा है कि पिछले अपने कार्य-काल में उन्होंने जिस योग्यता, परिश्रम और कर्मठता के साथ अपने मंत्रालयों का कार्य कर दिखाया था इस मंत्रालय में उनके आने के बाद इस मंत्रालय का कार्य और भी अधिक सफलता के साथ चलेगा।

दिल्ली में हम चारों ओर—किसी भी सड़क पर भी हम जायें—ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं और विशाल भवनों का निर्माण होते देख रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि यह मंत्रालय और खास तौर पर इस का निर्माण विभाग बड़ा प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। आज देश में इतनी गरीबी होते हुये भी दिल्ली में ऊंचे ऊंचे महल खड़े किये जा रहे हैं—यह मैं आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि प्रशंसा के दृष्टिकोण से कह रहा हूं। इस बीच में हमारे इस मंत्रालय ने जो कार्य किया, वह वास्तव में उसके लिये बधाई और प्रशंसा का पात्र है।

इस रिपोर्ट में एक लम्बी सूची इस आशय की दी गई है कि इस पिछले वर्ष में कितने मकानों का निर्माण किया गया, इस समय कितने मकान बन रहे हैं और आगे कितने मकान बनाने की योजना है। माननीय उप-मंत्री जी इस समय मौजूद हैं। वह मुझे क्षमा करेंगे कि इस प्रशंसा के साथ में थोड़ी सी कड़वी बातें भी मिला दूं। हमारे उत्तर प्रदेश में एक बार पी० डब्ल्यु० डी० पर बहस हो रही थ', तो उस के दौरान में एक आलोचक ने उस का नाम "पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट" रख दिया था।

मैं उतनी कड़ी आलोचना तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि यह एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति—हर एक व्यक्ति—के ध्यान में आने योग्य बात है कि पिछले दिनों में जितने मकान बनते थे, वे काफी देर तक टिकते थे। मैं यह बात एक साधारण नागरिक के दृष्टिकोण से कह रहा हूं। इसके विपरीत आज स्थिति यह है कि मकान बनने के तुरन्त बाद टपकने लगते हैं, या उन में दरार आ जाती है, या कोई और कमियां आ जाती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि जितनी मजबूती के साथ उनको बनाना चाहिये था, उतनी मजबूती और सावधानी से वे नहीं बन रहे हैं। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सम्बद्ध अधिकारियों पर और ठेकेदार साहबान पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबंध में जो बहुत सी शिकायतें की जाती हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं, लेकिन भ्रष्टाचार और करप्शन इत्यादि की जो बातें अभी श्री ईश्वर अय्यर ने अपने भाषण में बताई, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि १ जनवरी, १९५६ से ३१ मार्च, १९५७ तक की अवधि में २०८ गजेटेड अफसरों के खिलाफ

[श्री भक्त दर्शन]

शिकायतें पाई गईं। उन में से १३८ व्यक्तियों की जांच समाप्त हुई, ४७ व्यक्तियों को निर्दोष पाया गया और ९१ व्यक्तियों को दंड दिया गया। ४६ व्यक्तियों को केवल चेतावनी दी गई, १५ व्यक्तियों को सेन्शर किया गया—उनको कड़ी टिप्पणी दी गई, १९ व्यक्तियों की बढ़ोतरी रोक दी गई, एक व्यक्ति का प्रोमोशन रोक दिया गया, एक व्यक्ति से रुपया वसूल कर लिया गया, ४ व्यक्तियों का वेतन कम कर दिया गया, ३ व्यक्तियों को अनिवार्य पेन्शन पर भेज दिया गया और केवल २ को बर्खास्त किया गया तो यह भी कोई दंड हुआ। इस मंत्रालय का एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस डिविजन अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उस में और कड़ापन लाने की आवश्यकता है।

मैं इस बात का उल्लेख इस लिये कर रहा हूं कि आज ही मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा कि कल हमारे पी० डब्ल्यु० डी० के इंजीनियर्ज का एक सम्मेलन पंचकुइ रोड पर हुआ—मैं उस सम्मेलन में नहीं जा पाया—और उस में हमारे गृह मंत्रालय के मंत्री, श्री दातार जी को जो अभिनन्दन-पत्र दिया गया, उसमें इस आशय के भी शब्द थे कि जिन लोगों के खिलाफ़—जिन इंजीनियर्ज के खिलाफ इस संबंध में कार्यवाही की गई है, उनसे हमारी बड़ी संवेदना है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि दातार साहब ने वहीं पर उन लोगों को फटकार दिया कि उनके प्रति संवेदना की क्या जरूरत है, जो दोषी हैं, उनको कड़े से कड़ा दंड दिया जाना चाहिये, तभी हम अपनी सर्विसिज़ को पवित्र बना सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, निर्माण विभाग के संबंध में अक्सर यह शिकायत की जाती है कि दूसरे विभागों के जो काम कराये जाते हैं, उन में बड़ी देरी होती है। मैं डाक तार विभाग से थोड़ा संबंधित रहा हूं। हर साल हम यहां पर शिकायत करते हैं कि करोड़ों रुपये मकानों—क्वार्टरों के लिये रखे गये, लेकिन वे बन नहीं पाये। १९५४–५५ में २८ मकान बने, १९५५–५६ में २५ मकान और १९५६–५७ में २१ मकान बने—अर्थात् इस में तरक्की नहीं हो रही है, बल्कि अधःपतन हो रहा है। जहां तक मुझे बताया गया है, इसका कारण यह है कि एस्टीमेट्स बनने में और नक्शे पास होने में देरी होती है। कुछ टैकनिकल कठिनाइयां हो सकती हैं, जिन को हम साधारण आदमी नहीं समझ पाते हैं। मैं तो समझता हूं कि हमारे इंजीनियर्ज के लिये यह कठिन नहीं होना चाहिये कि इस संबंध में कोई ऐसी प्रणाली निकाली जाय कि एस्टीमेट्स (प्राक्कलन) बनने में और नकशे पास होने इत्यादि में देरी न लगे, ताकि हमारा निर्माण का कार्य तेजी के साथ चलने लगे।

अध्यक्ष महोदय, आप को भी इस बात की याद होगी कि हमारे यहां राजघाट में राष्ट्रपिता बापू की समाधि बनने जा रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लगभग दस वर्ष पूर्व उन का देहान्त हुआ था। लेकिन सात वर्षों में उनके स्मारक का डिजाइन ही स्वीकार नहीं हो सका है। आज के अखबारों में मैंने भी देखा कि एक कैबिनेट सब-कमेटी बनाई गई, तब जाकर वह स्वीकार किया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या हमारे लिये यह बड़ी प्रशंसा की बात है कि जिन राष्ट्रपिता के चरण चिन्हों पर हम चलने का प्रयत्न करते हैं और जिन को हम सब अपना आदर्श मानते हैं, उनका स्मारक न बन पाये और उनकी समाधि के ऊपर एक भव्य भवन न खड़ा हो सके? अतः इस संबंध में शीघ्रता करनी चाहिये और अब जब कि उसका डिजाइन स्वीकार किया जा चुका है, आशा है कि अब उस में देरी नहीं होगी।

अभी मेरे साथी श्री अन्सार हरवानी ने दिल्ली में एकोमोडेशन—आवास—की जो समस्या है, उस पर प्रकाश डाला है। स्वयं इस रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि दिल्ली में इतने ज्यादा मकान बन चुकने के बावजूद विभाग को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जरा दफ्तरों की स्थिति देखिये। उनके लिये ४२,५५,००० वर्ग फीट जगह की आवश्यकता है, जिस में से अभी तक

सिर्फ ३७,८५,००० वर्ग फीट जगह ही मिल पाई है। इसी तरीके से संसद्-सदस्यों का भी हाल है। ६७५ संसद्-सदस्यों के लिये अभी तक केवल ५१९ मकान बन पाये हैं और १५६ के लिये अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। ५०० रुपये से ऊपर पाने वाले कर्मचारियों के लिये ३,३८५ मकानों में से अभी तक २,०१७ ही बन पाये हैं और १,३६८ अभी बनने हैं। ५०० रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये ४२,३७६ मकानों में से १३,५८१ बने हैं और २८,७९५ अभी तक नहीं बन पाये हैं। जहां तक चौथी श्रेणी के कर्मचारियों का संबंध है, उनके लिये बनने वाले १८,८३५ मकानों में से केवल ५,२२६ अभी तक बन पाये हैं और १३,६०९ नहीं बने हैं। इस संबंध में हरवानी साहब ने जो बात कही है, मैं उस का जोरदार समर्थन करते हुये माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि नीचे की श्रेणी के—तीसरी और चौथी श्रेणी के लोगों के लिये खास तौर से प्रयत्न किया जाना चाहिये। जहां तक मुझे पता लगा है, गवर्नमेंट ने हाल ही में एक बुनियादी निर्णय किया है कि अब बड़े बड़े मकान न बनवाए जायें। यह बड़ी अच्छी बात है। अतः अब इस विभाग के पास यह मौका है कि छोटे छोटे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बड़े परिमाण में बनाए जायें। और इस सम्बन्ध में जो कार्यक्रम है, उस को बढ़ाया जाय।

मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सेवानगर, विनयनगर और दूसरी जगहों में जो बहुत से क्वार्टर बने हैं, वहां से रोज शिकायत आ रही है और इस सदन में प्रश्न किए जाते हैं कि अभी तक वहां बिजली का प्रकाश नहीं मिला है। हम दिल्ली में देख रहे हैं कि जिन सड़कों पर काफी अच्छा उजाला है, वहां पर भी नए ढंग के, बड़े चमकीले बल्ब लगाये जा रहे हैं।

**एक माननीय सदस्य :** मरकरी लाइट्स।

**श्री भक्त दर्शन :** इस प्रकार जहां काम ठीक प्रकाश से चल रहा है, वहां और खर्च किया जा रहा है, लेकिन चौथी श्रेणी के लोगों के क्वार्टर्ज में अभी तक बिजली का इन्तजाम नहीं हो सका है। हाल ही में मुझे विनयनगर से यह शिकायतें भी मिली हैं कि वहां पर पानी ऐसे समय पर खोला जाता है, जब कि वे लोग दफतर जाने के लिये तैयार होते हैं। इस प्रकार वे नहा नहीं सकते हैं और कपड़े नहीं धो सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कर्मचारियों के लिये बिजली और पानी की, जो कि न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनकी संतोषजनक व्यवस्था की जानी चाहिये।

जनरल बजट की बहस में भाग लेते हुए मैं ने कहा था कि हमारे पी ब्लाक में एक भवन उजाड़ा जा रहा है। अब मैं ने सुना है कि वह भवन उजाड़ना कुछ रोक दिया गया और वह आधा रुक गया। क्यों ? पहले वहां पर रेलवे बोर्ड की ओर से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली थी कई करोड़ रुपये की लागत से, लेकिन गवर्नमेंट ने यह तय किया कि शानो-शौकत—"प्रैस्टीज बिल्डिंग्ज" के निर्माण को रोक दिया जाय, तो उस कार्य को अचानक रोक दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि पहले इस बात को क्यों नहीं सोचा गया कि इस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वे खंडहर किस बात की गवाही देते हैं ? कम से कम वे हमारी कर्मण्यता की गवाही तो नहीं देते हैं।

इस रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि दूसरी पंच-वर्षीय योजना में सरकार यदि अपने पूरे साधन लगायेगी, तो भी दिल्ली में अस्सी प्रतिशत कर्मचारियों के लिये ही क्वार्टर बन पायेंगे यानी बीस प्रतिशत कर्मचारी कभी भी क्वार्टर प्राप्त करने की आशा ही नहीं कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दस साल से यह सवाल किया जा रहा है कि जिन दफ्तरों की यहां पर आवश्यकता नहीं है, उन को दिल्ली से हटा दिया जाय। यहां क्यों कनजेस्शन बढ़ा हुआ है, लेकिन इसका जवाब नहीं मिलता है। इसके लिये कई बार कमेटियां बनाई गई हैं, कई बार सूचियां तैयार की गई हैं, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। अब समस्या यह पैदा हो गई है कि जबसे राज्य पुनर्गठन हुआ है तब से बहुत से राज्यों की राजधानियां खाली पड़ी हुई है। इनमें नागपुर, पटियाला, इंदौर, ग्वालियर

[श्री भक्त दर्शन]

इत्यादि का नाम लिया जा सकता है, जहां पर कि दफ्तरों इत्यादि को ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसके बारे में विचार करें। इस सिलसिले में मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले जो सूची बनी थी उसमें मसूरी का नाम भी था । मसूरी को पर्वतीय नगरों की रानी कह कर पुकारा जाता था । लेकिन जब से अंग्रेज बहादुर तशरीफ ले गये हैं वह विधवा नारी सी दिखाई देती है ; उसका सारा शृंगार समाप्त हो गया है, उसकी सारी चहल पहल खत्म हो गई है । मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार उसकी मदद के लिये आए।

**श्री मू० चं० जैन** (कैथल) : और बहुत सी रानियों का भी यही हाल हुआ है ।

**श्री भक्त दर्शन** : मैं चाहता हूं कि मसूरी के क्लेम को नज़र अंदाज़ न किया जाये और उस के क्लेम पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये । वहां पर बहुत सारी बिल्डिंग्ज़ खाली पड़ी हुई हैं । लैंडौर से कैंट हटाया जा रहा है, वहां बैरकें खाली हैं । नरेन्द्रनगर को महाराजा साहब टेहरी ने बसाया था, वहां भी कई बिल्डिंग खाली पड़ी हुई हैं । उनका भी उपयोग सही ढंग से किया जा सकता है यदि गवर्नमेंट के दफ्तर यहां से वहां चले जायें । यह जगह भी मसूरी के पास ही एक हिल स्टेशन है ।

मैं कहता हूं कि दिल्ली में जो कंजैसशन है उसको हटाने के लिये सरकार बहुत कोशिश कर रही है। लेकिन उस के प्लान के मुताबिक भी पांच साल के बाद २० प्रतिशत कर्मचारियों को कोई जगह नहीं दी जा सकेगी। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाये।

जो लोग उत्तर प्रदेश असैम्बली के मैम्बर रह चुके हैं या जो लखनऊ से यहां आये हैं वे इस कहावत को जानते होंगे कि "लखनऊ हम पर फिदा और हम फिदाये लखनऊ" । यही बात दिल्ली पर भी लागू होती है। लोग यहां से—दिल्ली से—हटना ही नहीं चाहते हैं। पता नहीं यहां क्या आर्कषण है ? जब कभी यहां से दफतरों को हटाने का सवाल पैदा होता है तो कोई न कोई षड्यंत्र रच दिया जाता है, कोई न कोई बहानेबाजी कर दी जाती है। अतः मैं चाहूंगा कि इस पर जरा गम्भीरता से विचार किया जाये। एक तरफ तो मकान उजड़ते जा रहे हैं, उनमें पुताई तक नहीं हो पा रही है, लेकिन दूसरी ओर नये नये भवन बनते जा रहे हैं—यह कहां का न्याय है ? आज हम समाजवादी समाज की स्थापना करने का दावा कर रहे हैं। अगर देखा जाये तो यह चीज उसके भी अनुकूल नहीं मालूम पड़ती है ।

हमारे आदरणीय मित्र श्री रंगा साहब ने उन दो होटलों की जोकि बनाए गये हैं, बड़ी तारीफ की है। तारीफ मैं भी आवश्य करना चाहता हूं क्योंकि उन होटलों की वजह से वास्तव में हमारे पास बड़े बड़े भवन, आठ-मंजिले भवन हो गये हैं और हमारी शान बढ़ गई है। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा यह भी कहना चाहता हूं कि अशोक का नाम जो रखा गया है ....

**एक माननीय सदस्य** : आप लोगों की सजैशन पर ही रखा गया था।

**श्री भक्त दर्शन**: मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि इस नाम को बदला जाये। मैं तो केवल यह चाहता हूं कि अशोक के नाम के अनुकूल ही कार्य किया जाये। जब अशोक का नाम, इतने बड़े व्यक्ति का नाम, उसका नाम जिनका कि अशोक चक्र हमारे झंडे पर है .....

**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: अब होना मुश्किल है।

**श्री भक्त दर्शन :** मैं यह नहीं कहता कि नाम को बदल दिया जाये। मैं तो यह कह रहा हूं कि जब इतने बड़े आदमी का नाम इतने बड़े होटल के साथ लगाया गया है, तो उसके अनुकूल वहां वातावरण भी बनाया जाये। उस पर २,७५,७०,००० रुपये खर्च हो रहे हैं जिस में से १,३५,९५,००० रुपये उसके निर्माण कार्यों पर खर्च किये जायेंगे और १,४०,००,००० उसकी फिटिंग वगैरह पर हुए हैं। यानी कालीन, दरियों इत्यादि पर हुए हैं। ये दरियां इत्यादि क्या भारतीय नहीं ली जा सकती थीं ? कम से कम इन चीजों को तो भारतीय किया जा सकता था। हमारे चन्दा सहाब यहां बैठे हुए हैं। वह शान्तिनिकेतन के संचालक रह चुके हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर भारतीय संगीत की व्यवस्था नहीं की जा सकती ? क्या वहां पर भारतीय वातावरण, भारतीय शिष्टाचार, भारतीय संस्कृति की छाप नहीं लगाई जा सकती है ? अब जबकि यह होटल बन कर तैयार हो गया है तो उसको अब उजाड़ा भी नहीं जा सकता है। अगर इसको उजाडा जाये लाखों रुपया खर्च हो जायेगा। अतः अब उसको उजाडने का प्रश्न नहीं है। लेकिन उसका भारतीय आदर्शों के अनुकूल चलाने का अवश्य प्रयत्न किया जा सकता है।

**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर) : वह कैसे ?

**श्री भक्त दर्शन :** अगर आप उस होटल को अशोक के नाम पर चलाना चाहते हैं तो वहां पर मद्यनिषेध आपको करना पड़ेगा और कट्टर निरामिष भोजन आपको वहां पर लोगों को देना पड़ेगा। ये बहुत कठोर शर्तें हैं। यह कहा जा सकता है कि विदेशी लोग जब आयेंगे तो वे कैसे टिकेंगे और उनके लिए ही तो उसको खास तौर से बनाया गया है। अतः अगर यह जरूरी है कि वहां पर शराबखोरी हो, तो में एक और सुझाव देना चाहता हूं। अभी हाल ही में २३ तारीख को प्रधान मंत्री जी ने यहां पर प्रश्नोत्तर के समय यह जवाब दिया था :—

"इस होटल के खुलने के कारण दूसरे होटलों ने भी दरें गिरादी हैं।"

मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जितने भी और होटल हैं, वहां पर शराबबन्दी कर दी जाये जिसका नतीजा यह होगा कि जितने भी शराबी कबाबी हैं वे सब यहां पहुंच जायेंगे और आपका खर्चा भी निकल आयेगा और घाटा भी पूरा हो जायेगा।

**श्री भा० कृ० गायकवाड़** (नासिक) : श्रीमान् हमारे कई अनुसूचित जातियों के लोग कई पीढ़ियों से ही गन्दी बस्तियों में रहते आ रहे हैं—इस कारण यह गन्दी बस्तियां केवल शहरों में ही नहीं हैं—बल्कि जहां कहीं भी अनुसूचित जातियों के लोग रहते हैं वे गन्दी बस्तियों में ही रहते हैं। प्रत्येक गांव में गन्दी बस्तियां हैं।

मैं यह समझता था कि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ जरूर करेगी—किन्तु पहली योजना के परिणाम देखने से पता चलता है कि इस सम्बन्ध में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। गन्दी बस्तियों (सुधारने तथा सफाई) अधिनियम, १९५६ के अनुसार जिस क्षेत्र के मकान ऐसे हों वे जिनमें मनुष्य न रह सकें या उन मकानों में हवा का प्रबन्ध न हो या वह गिरने वाले हों या उस बस्ती में भीड़ हो और स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हों तो सरकार एक अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र को गंदी बस्ती घोषित कर सकती है।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

न तो प्रथम योजना में ही इस बारे में कुछ किया गया है और न सरकारी प्रतिवेदनों में ही इस बारे में कुछ पता लगता है। १९५३–५४ के प्रतिवेदन से पता चलता है कि सरकार अभी इस काम

---

†मूल अंग्रेजी में

के करने की इच्छा रखती है। किया कराया कुछ भी नहीं है। उससे अलग वर्ष के प्रतिवेदन में भी कहा गया है कि जब तक गन्दी बस्तियां हटाई नहीं जातीं तब तक औद्योगिक आवास की समस्या का हल नहीं हो सकता। राज्यों से योजनायें मंगवाई जाती हैं किन्तु राज्य बिना केन्द्रीय सहायता के इस सम्बन्ध में आगे बढने में असमर्थ हैं।

गन्दी बस्तियों को हटाने में दूसरी रुकावट अत्याधिक अधिग्रहण की लागत है। इस कारण १९५४–५५ में भी उन्होंने कुछ नहीं किया।

१९५५–५६ के प्रतिवेदन में कहा गया है कि आवास की बुनियादी आवश्यकता राष्ट्र के सामने उसी उग्र रूप से खड़ी हुई है। यदि सरकार जानती है कि खाने और कपड़े के बाद मनुष्य को मकान की जरूरत है तो हम पूछते हैं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया है। इसी प्रतिवेदन में बताया गया है कि पहली योजना में इस कार्य के लिये ३८.५ करोड़ रुपये रखे गये थे और वह राशि आबादियां बनाने तथा अल्प आयवर्ग को मकान बनाने की सहायता देने पर व्यय की गई।

किन्तु गन्दी बस्तियों तथा गांव के मकानों के बारे में कुछ नहीं किया गया। अल्य आयवर्ग का अभिप्राय क्या है? जिन लोगों की आय कम हो। हमें देखना चाहिये कि ऐसे कौन से लोग हैं। हरिजनों की गन्दी बस्तियां साफ कराने के बारे में प्रतिवेदन में लिखा है कि राज्य सरकारें इस काम को लेने में असमर्थ हैं।

१९५६–५७ के प्रतिवेदन में लिखा है कि कल्याणकारी राज्य में आवास के लिये अन्यन्त ध्यान दिया गया है। दूसरी योजना में इस प्रयोजन के लिये १२० करोड़ रुपया रखा है। आगे चलकर लिखा है कि ग्राम्य निवास स्थानों पर दूसरी योजना में अत्याधिक जोर दिया जायगा—मुख्यतया यह काम राज्यों का है जो ऋण आदि देकर इस दशा में जनता की सहायता कर सकते हैं। हैं।

यह ठीक है कि दूसरी योजना में आवास व्यवस्था के लिये १२० करोड़ रुपया रखा गया है—किन्तु गत वर्ष का आय व्ययक देखने से पता चलता है कि केवल ४,१९,९५,००० रुपये ही उस वर्ष के लिये दिये गये। कुछ लाभ अल्प आय वर्ग के लोगों को हुआ किन्तु इस वर्ष के लिये केवल २,१५,७६,००० रुपये ही रखे गये हैं।

इससे पता चलता है कि पहली योजना में इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं हुआ है।

श्रीमान् दिल्ली में भी २ लाख लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं—ये लोग ५०० एकड़ क्षेत्र पर रहते हैं।

†**श्री क० च० रेड्डी** : गन्दी बस्तियों को हटाने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्रालय पर है, निर्माण आवास तथा संभरण मंत्रालय पर नहीं है। दिल्ली में बाहर की गन्दी बस्तियों की सफाई का जिम्मा तो कुछ इस मंत्रालय का है।

निस्संदेह मंत्रालयों में समन्वय है—किन्तु बुनियादी तरीके पर गन्दी बस्तियों को हटाने का उत्तरदायित्व मंत्रालय पर है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : यह ठीक है। दिल्ली में गन्दी बस्तियों के मकान ४ फुट उंचे होते हैं—अन्दर भी स्थान नहीं होता। २५ वर्ग फीट क्षेत्र में १० या १५ व्यक्ति रहते हैं। लोग सड़कों पर सोते हैं—उन्हें सड़कों पर सोने से रोका जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में ही यह स्थिति नहीं—प्रत्येक स्थान पर यही हालत है—इस बात में कोई लाभ नहीं है कि यह उत्तरदायित्व स्वास्थ्य मंत्रालय का है—हमारा नहीं। आप अशोक होटल बनाते हैं किन्तु गरीबों के लिये मकान नहीं बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि जो कुछ संभव हो सकेगा सरकार उस सम्बन्ध में कार्य करेगी।

श्री हेम राज (कांगड़ा): सभापति महोदय, मैं अपने वर्क्स, हाउसिंग एंड सप्लाई (निर्माण, आवास तथा संभरण) के जो भूतपूर्व मिनिस्टर थे, सरदार स्वर्ण सिंह, और अब जो नए मिनिस्टर हैं, श्री रेड्डी तथा उनके सहयोगी चन्दा साहब, इन सब को बधाई देना चाहता हूं उस सब के लिये जो इन्होंने गरीब अव्वाम के लिये किया है। इन सब ने गरीब लोगों के लिये घरों की व्यवस्था करने का प्रबन्ध किया है और उनको बसाने के तरीके सोचे हैं। सरदार स्वर्ण सिंह जी ने लो इनकम हाउसिंग की स्कीम (अल्प आय वर्ग योजना) को चलाया और स्लम एरियाज (गन्दी बस्तियां) को ठीक ठाक करने की स्कीम बनाई। आज इन स्कीमों को अम्ल में लाया जा रहा है।

आज में माननीय मंत्री जी की सेवा में लो इनकम हाउसिंग स्कीम के बारे में थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं। जिस वक्त यह स्कीम चलाई गई थी उस वक्त देहातों में इसके बारे में काफी प्रचार किया गया था और कहा गया था कि मिडिल क्लास के लोगों को मकान इत्यादि बनाने के लिये कर्जे दिये जायेंगे। इसका नतीजा यह हुआ कि हजारों की तादाद में एप्लीकेशंस गवर्नमेंट के पास पहुंची। चाहिये तो यह था कि जितना भी रुपया हर एक सूबे को हिन्द सरकार से मिलना था या उसके मुताबिक जितना भी रुपया वहां की राज्य सरकार ने देना था उसके मुताबिक ही एप्लीकेशंस ली जाती। लेकिन एप्लीकेशंस हजारों की तादाद में आ गईं और हिन्द सरकार ने जो कर्जा दिया उसके अन्दर रहते हुए इन सब लोगों को कर्जा नहीं मिल सकता था। इसका नतीजा यह हुआ कि लोगों के अन्दर एक बेदिली सी पैदा हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि जिन लोगों ने अर्जियां दीं उनसे सौ सौ और दो दो सौ रुपया सिक्योरिटी बोंड्स में खर्च करवा दिया गया और बाद में उन्हें जवाब दे दिया गया। यही नहीं, उसमें आपने एक शर्त यह भी रखी थी कि साढ़े चार परसेंट के हिसाब से सूद लिया जाएगा और एक परसेंट खर्चा बाकी का जो सरकार का होता है जिसको कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज कहा जाता है, वह भी लिया जाएगा। इस सब के साथ एक शर्त यह भी लगा दी गई कि तीस साल के अन्दर आप उस कर्जे को वापस लेंगे। मैं आपको बतलाता चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे भी थे जोकि कर्जे की रकम को जल्दी ही लौटा देना चाहते थे लेकिन सरकार ने उनको ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। जब उन लोगों ने कहा कि हम तीस साल के पहले ही रुपया दे देना चाहते हैं तो एग्रीमेंट के मुताबिक उनको यह उत्तर दिया गया कि तीस साल से पहले हमारा सारा रुपया वसूल नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि अब आप इस तरह की स्कीमें बनायें तो उनमें आप कोई भी इस तरह की शर्त न रखें कि तीस साल के पहले रुपया वसूल नहीं किया जा सकता है बल्कि यह कहें कि जो लोग पहले देना चाहतें हों वे पहले भी इस कर्जे की अदायगी कर सकते हैं और उनसे कर्जा वापिस लिया जा सकता है।

मैं आपसे यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस वक्त जो कर्जा आपने पंजाब सरकार को दिया है वह इतना नाकाफी है कि जो अर्जियां उसके पास इस वक्त तक मौसूल हो चुकी हैं, उनका भी वह इस रकम में से निपटारा नहीं कर सकती है। १९५५–५६ में जो अर्जियां आई हैं और जो कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स में पड़ी हुई हैं, उनका भी निपटारा आपकी ग्रांट (अनुदान) में रहते हुए नहीं किया जा सकता है। आगे से जो अर्जियां आयेंगी उनको डिसपोज़ आफ करने (निपटाने) का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस वास्ते में भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि पंजाब मौसम और आबो हवा के लिहाज़ से एक ऐसा सूबा है जो कि सख्त गर्म और सख्त सर्द है और वहां के लोगों

[श्री हेम राज]

को मकानों की सख्त जरूरत होती है और पंजाब सरकार को इस काम के लिये ज्यादा से ज्यादा रुपया दिया जाये ।

आपने कर्ज़ देने का जो प्रोसीजर (प्रक्रिया) रखा था वह बहुत ही खराब था । आपने यह कहा था कि मैम्बरान पार्लियामेंट या मैम्बरान असैम्बली उनकी एप्लीकेशंस की तस्दीक करें और उस के तीन मरहले होते थे । पहला तो वह होता था जब कोई एप्लीकेशन देता था । दूसरा वह होता था जब उस मकान की बुनियादें तामीर हो जाती थी और तीसरा वह था कि जिस वक्त मकान बन कर तामीर हो जाता था । इस तरह से तीन किस्तों में रुपया उसको मिलता था ।

आपने कर्ज देने का जो प्रोसीजर (प्रक्रिया) रखा था वह बहुत ही खराब था । आपने यह कहा था कि मैम्बरान पार्लियामेंट या मैम्बरान असैम्बली उनकी एप्लीकेशंस की तस्दीक करें और उसके तीन मरहले होते थे । पहला मरहला तो वह होता था जब कोई एप्लीकेशन देता था । दूसरा वह होता था जब उस मकान की बुनियादें तामीर हो जाती थी और तीसरा वह था कि जिस वक्त मकान बनकर तामीर हो जाता था । इस तरह से तीन किस्तों में रुपया उसको मिलता था ।

अब जो एम० पी० और एम० एल० एज० उन एप्लीकेशंस को तसदीक करते थे उनको यह पता नहीं होता था कि आया मक न की बुनियादें पड़ गई है या नहीं और मकान सारा बन गया है या नहीं । हमने कई दफा इसके लिए रिप्रेज़ेंट किया है कि दरअसल यह तसदीक वगैरह का काम देहात की पंचायतों के सिपुर्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उनको हर चीज का पूरा इल्म रहता है कि क्या वाकई उसको मकान की जरूरत है, आया उस मकान की बुनियादें हैं या वह मकान कहां तक तामीर हो गया है । इसके लिए कई दफा रिप्रेजेंटेशन किया गया और कई दफा आपने नोटिस में भी और पंजाब सरकार के नोटिस में यह लाया गया कि यह जो तसदीक करने की शर्त है यह पंचायतों को दे दी जाय लेकिन आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ ।

मेरी आपसे यह दरख्वास्त है कि यह जो प्रोसीज्योर आपने बनाया है उसके मुताल्लिक मुझे यह कहना है कि यह जो आपकी हाउसिंग की स्कीमें हैं इन पर अमल दरामद करने के लिए और इनको अमली जामा पहनाने के लिए आपने कोई कारपोरेशन (निगम) या बोर्डस नहीं बनाये हैं और इस पर पूरी तौर से अमल दरामद कराने के लिए हर एक स्टेट म हाउसिंग बोर्ड्स बनाये जांय या स्टेट हाउसिंग कारपोरेशन (राज्य आवास निगम) बना दी जाये

अभी जैसा कि मेरे एक भाई बोल रहे थे कि असली जरूरत सहायता की जो तो छोटे और गरीब तबके को है जो कि देहातों में रहता है, देहात वालों के लिए आपकी लिप सिम्पैथी जबानी हमदर्दी तो रहती है लेकिन वह अमली सूरत बहुत कम अख्त्यार करती है। आज भी अगर आप देखें तो पायेंगे कि ५ लाख देहात हमारे देश में हैं और उन ५ लाख देहातों का ५० फीसदी हि सा बगैर मकानों के है । हमारे बैकवर्ड क्लासेज और हरिजन लोगों की हालत बड़ी खराब है और हकीकत यह है कि वह लोन के लिए दरख्वास्तें देते हैं लेकिन वहां पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और उनको कोई रुपया नहीं मिलता। मैं उनके लिए विशेष तौर पर अर्ज करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा रुपया रक्खा जाना चाहिए ।

अभी पिछले कुछ दिनों से एक एकोनामिक ड्राइव (बचत आन्दोलन) की लहर हमारे देश में चल पड़ी है लेकिन उस दिशा में भी कोई खास काम होता दिखाई नहीं देता । मुझ से पहले के वक्ताओं ने सदन के सामने यह चीज रक्खी है कि सरकारी दफ्तरों को दिल्ली से बाहर ले जाने की कई दफा स्कीमें बनती हैं लेकिन आज पांच वर्ष से देख रहे हैं कि उस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है और यहां से कोई सरकारी दफ्तर बाहर नहीं गये हैं । मैं यह चीज नहीं समझ पाता कि जिस वक्त अंग्रेज सरकार यहां पर थी तो गवर्नमेंट आफ इंडिया के जितने भी दफ्तर थे वह सारे के सारे शिमला में हाउस किये जा सकते थे और आज वे तमाम बड़ी बड़ी इमारतें खाली और बेकार पड़ी हुई हैं और क्यों नहीं यहां दिल्ली से कुछ सरकारी दफ्तर वहां पर मुंतकिल किये जा सकते ताकि शिमले की वह इमारतें भी काम में आ सकें और दिल्ली में किसी हद तक कंजैशन भी कम किया जा सके । शिमले के अलावा पटियाला, नाभा, कपूरथला, मसूरी, नागपुर और डलहौजी आदि बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर गवर्नमेंट आफ इंडिया के सरकारी दफ्तर बड़ी आसानी से मुंतकिल किये जा सकते हैं । मुझ से पहले श्री भक्त दर्शन ने अपने भाषण, में कहा था कि वास्तव में कोई भी सरकारी कर्मचारी दिल्ली से बाहर नहीं जाना चाहता दिल्ली उसके लिए एक ऐसे आकर्षण की वस्तु बन गई है कि कोई भी यहां से बाहर जाना पसन्द नहीं करता लेकिन मैं समझता हूं कि जब एकोनामिक ड्राइव चल रही हो तो बड़ी बड़ी इमारतें जिनमें सरकारी दफ्तर रह सकते हैं वे बेकार पड़ी रहें और दूसरी ओर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जांय कुछ उचित नहीं प्रतीत होता । वास्तव में ऐसा मालूम पड़ता है कि एकोनामिक ड्राइव में वही पहले वाला अंग्रेजी तरीका बरता जा रहा है । यह एकोनामी की जा रही है कि कार में झंडा न लहराया जाय या पुराने लिफाफों को जाया न किया जाय और उनको दुबारा इस्तेमाल में लाया जाय, इन छोटी छोटी चीजों में एकोनामी चलाई जा रही है लेकिन जो अंधा धुंध बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं उनमें एकोनामी नहीं की जा रही है जहां कि एकोनामी की बहुत गुंजाइश है ।

अभी पिछले दिनों में हमारे वहां जो फार्मर्स फोरम हुआ था वहां पर यह सवाल किया गया कि आज सरकार द्वारा हमसे जो इतने सारे टैक्सेज वसूल किये जाते हैं, वह तमाम रुपया क्या इन बड़ी बड़ी इमारतों के बनाने में खर्च किया जा रहा है । मुझे अभी अपने चुनाव के दौरान जब लोगों से जाकर उनके घरों में मिलना पड़ा तो मैं ने महसूस किया कि उनमें इस बढ़ी हुई मंहगाई और दूसरी तरफ सरकार द्वारा टैक्सों में बढ़ोत्तरी होने के कारण असन्तोष है । हम लोग घर घर में इन टैक्सों के कारण बदनाम थे और वे कहते थे कि इस गवर्नमेंट को हम बहुत देर तक रखने को तैयार नहीं । एक तरफ तो इतनी मंहगाई हो कि लोगों की खरीद की कुव्वत कमजोर हो चुकी हो और दूसरी तरफ आप उन पर इतने अधिक टैक्स लगायें और ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें बनायें, तो इसको कोई भी अवाम बहुत ज्यादा देर तक बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होगा । शिमले आदि अन्य स्थानों पर तो बड़ी बड़ी इमारतें जिनमें सरकारी दफ्तर रह सकते हों वे तो खाली पड़ी रहें और दिल्ली में दफ्तरों की भरमार बनी रहे और जगह की तंगी के कारण यहां पर और बड़ी बड़ी इमारतें बनाने की जरूरत महसूस हो, मेरा कहना यह है कि आप क्यों नहीं इस पर गम्भीरता से विचार करते कि शिमले में और अन्य स्थानों पर जहां बड़ी बड़ी इमारतें खाली और बेकार पड़ी हैं उनमें दिल्ली के कुछ सरकारी दफ्तरों को भेज दिया जाय । मैं माननीय मंत्री से यह दरख्वास्त करूंगा कि इसके मुताल्लिक जो पहली कमेटी उन्होंने बिठलाई थी, उसका मुझे पता नहीं कि क्या फैसला हुआ, पांच साल से यह

[श्री हेम राज]

चीज चल रही है कि सरकारी दफ्तरों को दिल्ली से हटाने के सवाल पर गौर करने के लिए सरकार ने एक कमेटी बिठलाई हुई है लेकिन अभी तक कोई भी प्रगति उस दिशा में हमें देखने को नहीं मिली है, मंत्री महोदय इस सवाल पर गम्भीरता से विचार करें और जल्द कोई फैसला करें ताकि दिल्ली से कुछ सरकारी दफ्तर शिमला आदि अन्य स्थानों में भेजे जा सकें ।

एक बात मैं आपके सामने अपने कट मोशन (कटौती प्रस्ताव) के मुताल्लिक कहना चाहता हूं और वह यह है कि बदकिस्मती से मुझे यहां कुछ देर से आना पड़ा, करीब एक सप्ताह हुआ जब मैं यहां पर हाजिर हुआ था । अभी आपके सामने एक माननीय सदस्य ने कहा था कि लोकसभा के सदस्यों के लिए ६७५ मकानों की जरूरत है लेकिन बने कुल ५१९ हैं और जो ५१९ बने भी हैं वे भी लोकसभा के सदस्यों को नहीं मिल सकते । वह हमारे लिए नहीं हैं । इस दफा जब मुझे यहां सेशन में आने का इत्तिफाक और मैंने इस्टेट आफिस में मकान के लिए दरख्वास्त दी तो मैं ने पाया कि वहां इस्टेट आफिस के जो अफसरान लोग हैं वे सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं हैं । मैं तो यह समझता हूं कि यह जो १४, १४ और १५, १५ लाख जनता के प्रतिनिधि इस लोकसभा में बैठे हैं उनके साथ अगर इस इस्टेट आफिस का सलूक देखा जाय तो पता चलेगा कि उससे बदतर सलूक कहीं और हो ही नहीं सकता । हमसे कहा जाता है कि जाइये अपने लोकसभा के सेक्रेटेरियट के पास जाकर कहिये और वहां पर जाइये तो वह भी बतलाने को तैयार नहीं हैं । असल में हुआ यह है कि जो फ्लैट्स लोकसभा के मेम्बरों के वास्ते बनाये गये थे, उनमें से बहुत सारे फ्लैट्स गवर्नमेंट एम्प्लाईज को दे दिये गये हैं.....

†**सभापति महोदय** : लोक-सभा सचिवालय माननीय अध्यक्ष के अधीन है । यदि लोक-सभा सचिवालय के बारे में कोई शिकायत हो तो वह सभा में नहीं कहनी चाहिये—सीधे माननीय अध्यक्ष को ही कहनी चाहिये ।

†**श्री हेम राज** : मैं केवल एस्टेट आफिस के बारे में ही कहूंगा । मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस्टेट आफिस में जाइये तो वे सीधे मुंह बात नहीं करते....

**एक माननीय सदस्य** : लोकसभा की बात छोड़ दीजिये ।

**श्री हेम राज** : लोकसभा की बात मैं ने छोड़ दी है। इस्टेट आफिस तो लोकसभा के नीचे नहीं है, वह तो वर्क हाउसिंग एंड सप्लाई मिनिस्ट्री के नीचे है । मैं यह अर्ज कर कहा था कि स्टेट आफिस में जाओ तो वहां के जो अफसरान हैं वे सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं हैं । उनसे यह पूछें कि उनमें से कितने फ्लैट्स मेम्बरान को मिले हैं और कितने फ्लैट्स गवर्नमेंट एम्पलाईज को दिये गये हैं तो वह यह इनफारमेशन देने को तैयार नहीं हैं । नार्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू के इनक्वायरी आफिसेज से जब यह पता लगाने की कोशिश की गई कि कौन कौन से फ्लैट्स गवर्नमेंट एम्पलाईज के पास हैं तो चूंकि वे अपने बड़े अफसरों से डरते हैं इसलिए वहां वाले हमको यह इनफार्मेशन देने को तैयार नहीं होते । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह हकीकत नहीं है कि इस वक्त साउथ एवेन्यू के

†मूल अंग्रेजी में

हमारे ९ फ्लैट्स नंम्बर ११, ३४, ३९, ५१, ७६, १५३, १५९, १५१ और ८३ गवर्नमेंट एम्पलाईज के पास हैं । होना यह चाहिए कि अगर वे फ्लैट्स जो कि हमारें लिए बने है थे हमें नहीं दिये जा सकते तो हमें पार्लियामेंट के नजदीक आलटरनेट जगह दी जाय लेकिन आज हालत यह हो रही है कि लोक-सभा के मेम्बरों को बड़ी दूर दूर जाकर रहना पड़ा है । क्या यह हकीकत नहीं है कि यह फ्लैट्स लोक-सभा के मेम्बरों के रहने के वास्ते बनाये गये थे और लोक-सभा का जो सेशन शुरू होने वाला था उसके शुरू होने से पहले ही काफी फ्लैट्स गवर्नमेंट एम्पलाईज को दे दिये गये हैं ? आज वहां पर जानिबदारी, कुनबापरवरी हो रही है । मैं चाहता हूं कि भविष्य में इस किस्म का सलूक लोक-सभा के मेम्बरान के साथ नहीं होना चाहिए और जो चीज उनके लिए बनी है वह उन्हीं को मिलनी चाहिए। आज हमें यह कहा जा रहा है कि उनको हमने नोटिस दिये हुए हैं और हमें कुछ देर और ठहरना पड़ेगा लेकिन मैं समझता हूं कि उस वक्त तक शायद यह लोकसभा का जो मौजूदा सेशन चल रहा है वह खत्म हो जायगा ।

सभापति महोदय, मैं आपके नोटिस में और आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि लोकसभा मेम्बरान के वास्ते बने हुए फ्लैट्स में जो गवर्नमेंट एम्पलाईज को रक्खा गया है, उनको खाली करा कर लोकसभा के मैम्बरों को जल्दी से जल्दी दिलवाने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाय । दूसरी तरफ मैं अपने माननीय मंत्री महोदय से एक दर्ख्वास्त करूंगा कि अब तो उन को पता चल ही गया है कि पांच साल तक लोक सभा और राज्य सभा के लिए ५१९ क्वार्टरों की जरूरत है । अगर इन पांच सालों में वह इस को पूरा नहीं कर सके तो फिर कब करेंगे ।

उन की रिपोर्ट में एक सुझाव है कि नार्थ एवेन्यू में एक जगह खाली है, उसमें २० क्वार्टर्स बनेंगे । इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि आप हमारे लिए बड़े बड़ क्वार्टर बनाएं । लेकिन जो क्वार्टर्स की हालत है उस की तरफ जरूर ध्यान दिया जाए । हमारे क्वार्टर्स की हालत यह है कि हमें जो फर्नीचर दिया जाता है, अगर आप आप उस की कीमत बाजार में पूछें तो पता चलेगा कि जिस चीज की कीमत वहां पर पांच रु० है, उस की कीमत जो फर्द हमें दी गई है उसमें कम से कम पांच गुनी लिखी हुई है । मैं अर्ज करना चाहता था कि इस चीज की खास तौर पर देख भाल की जाए ताकि जो फर्निचर हमें दिया जाता है उस की असल कीमत क्या है और उस के मुताबिक ही उसके किराये की अदायगी होनी चाहिए ।

यहां पर बहुत से मेम्बरों ने कंट्रेक्टिंग सिस्टम के मुताल्लिक कहा । कंट्रेक्ट सिस्टम के नीचे बहुत ज्यादा करप्शन चलता है, इस में कोई शक नहीं है । परसेन्टेज कायम कर रक्खा गया है । जो मुख्तलिफ कंट्रेक्टर्स होते हैं, उन के ऊपर ओवरसियर्स होते हैं, पी० डब्ल्यू० डी० के दूसरे आफिसर्स होते हैं । जैसा हमारे सदस्य माननीय रंगा जी ने कहा था, इस के जरूरी तौर पर आप को ध्यान रखना पड़ेगा । आज सब जगह पर सेन्ट्रल पी० डब्ल्यू० डी० (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) का महकमा अपने करप्शन (भ्रष्टाचार) के लिए बदनाम है । वह आप के काम के दौरान रास्ते पर पड़ जाए और जो बदनामी का टीका उस के माथे पर है, वह दूर हो जाए, और उस को दूर करने में सब से अहम पार्ट आप अदा करें ।

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की मांगों पर निम्न कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौटी की राशि |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| ९२ | १४२८ | श्री तंगामणि . | केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में ठेकेदारी का तरीका चालू रहना । | मांग की राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये । |
| ९२ | १४२९ | श्री तंगामणि . | भारत सरकार प्रैस के कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने की असफलता । | मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये । |
| ९४ | १४३१ | श्री ईश्वर अय्यर . | बचत तथा दक्षता के दृष्टिकोण से केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के डिवीजनों के पुनर्संगठन की आवश्यकता । | १०० रुपया |
| ९४ | १४३२ | श्री ईश्वर अय्यर . | केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के स्टोरों में काम करने वाले चौकीदारों के काम के घन्टे घटाने में असफलता । | १०० रुपये |
| ९४ | १४३३ | श्री ईश्वर अय्यर . | केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कुशक रोड इन्क्वायरी आफिस से फरनीचर शॉप का हटाया जाना । | १०० रुपये |
| ९४ | १४३४ | श्री ईश्वर अय्यर . | विभिन्न हवाई अड्डों पर काम करने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को बीमारी के समय मुफ्त परिवहन देने की आवश्यकता । | १०० रुपये |
| ९४ | १४३५ | श्री ईश्वर अय्यर . | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्थायी कर्मचारियों को दिल्ली के बाहर चिकित्सा सुविधायें देने में असफलता । | १०० रुपये |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ९४ | १४३६ | श्री ईश्वर अय्यर . | केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के स्थायी कर्म ारियों को आवश्यक औजार देने में असफलता | १०० रुपये |
| ९४ | १४३७ | श्री ईश्वर अय्यर . | राज्यों के निर्माण विभागों से हस्तान्तरित कर्मचारियों की पहली सेवाओं को गिनने की आवश्यकता । | १०० रुपये |
| ९४ | १४३८ | श्री ईश्वर अय्यर . | समस्त हवाई अड्डों पर काम के लिये स्थायी रूप से रखे जाने वाले केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिये पृथक मकान बनाने की आवश्यकता । | १०० रुपये |
| ९४ | १४३९ | श्री ईश्वर अय्यर . | केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के निलम्बित कर्मचारियों को भूतलक्षी प्रभाव से पूरा वेतन देने में असफलता । | १०० रुपये |
| ९४ | १४४० | श्री ईश्वर अय्यर . | कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना नियमों को औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता । | १०० रुपये |
| ९४ | १४४१ | श्री ईश्वर अय्यर . | काम के लिये स्थायी रूप से रखे जाने वाले केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कर्मचारियों के उचित सेवा अभिलेख रखने में असफलता । | १०० रुपये |
| ९४ | १४४२ | श्री ईश्वर अय्यर . | एस्टेट आफिस को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर के अधीन लाने की आवश्यकता । | १०० रुपये |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ९४ | १४४३ | श्री ईश्वर अय्यर . | काम के लिये स्थायी रूप से रखे जाने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को पहली सेवा का लाभ दे कर अन्य नियमित कर्मचारियों के स्तर पर लाना । | १०० रुपये |
| ९४ | १४४४ | श्री ईश्वर अय्यर . | केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के लिफ्टों पर काम करने वाले कर्मचारियों को विद्यमान स्थायी जगहों पर स्थायी करने की आवश्यकता । | १०० रुपये |
| ९४ | १४४५ | श्री ईश्वर अय्यर | कार्मिक संघों में कार्य करने के कारण दंडित केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कर्मचारियों को बहाल करने की आवश्यकता । | १०० रुपये |
| ९४ | १४४६ | श्री ईश्वर अय्यर . | काम के लिये स्थायी रूप से रखे जाने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को पविटामान स्थायी पदों पर नियमित रूप से स्थाई करने की आवश्यकता । | १०० रुपये |
| ९४ | १४४७ | श्री ईश्वर अय्यर . | काम के लिये स्थायी रूप से रखे जाने वाले केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कर्मचारियों को दो वर्ष की सेवा के बाद नियमित रूप से अर्ध-स्थायी करने में असफलता । | १०० रुपये |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ९४ | १४४८ | श्री ईश्वर अय्यर . | केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में मरम्मत आदि का काम विभागीय तौर पर स्थायी रूप से रखे जाने वाले कर्मचारियों द्वारा कराने की आवश्यकता । | १०० रुपये |
| ९४ | १४४९ | श्री ईश्वर अय्यर . | दिल्ली में केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में काम के लिये स्थायी रूप से रखे जाने वाले सभी कर्मचारियों की एक वरिष्ठता सूची रखने की आवश्यकता । | १०० रुपये |
| ९४ | १४५० | श्री ईश्वर अय्यर . | दिल्ली में केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में काम के लिये स्थायी रूप से रखे जाने वाले कर्मचारियों को केन्द्रीकृत कर के काम के लिये भेजने में असफलता । | १०० रुपये |
| ९४ | १४५१ | श्री ईश्वर अय्यर . | १९५४ तथा १९५५ में केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के उद्यान कर्म निदेशालय के छांटे गये कर्मचारियों को बाहर वालों की तुलना में नौकरी देने में असफलता । | १०० रुपये |
| ९४ | १४५२ | श्री ईश्वर अय्यर . | केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में काम के लिये स्थायी रूप से रखे जाने वाले कुछ कर्मचारियों को वर्दियां देने की आवश्यकता। | १०० रुपये |
| ९४ | १४५३ | श्री ईश्वर अय्यर . | केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये क्लर्कों के लिये उचित उन्नति के मार्ग ढूंढने की आवश्यकता । | १०० रुपये |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ९४ | १४५४ | श्री ईश्वर अय्यर . | दिल्ली के केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को अंशदायी स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित न किया जाना । | १०० रुपये |
| ९४ | १४५५ | श्री ईश्वर अय्यर . | केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में काम के लिये अस्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों के वेतन-स्तर विद्यमान अनियमितताओं को दूर करने की आवश्यकता । | १०० रुपये |
| ९४ | १४५६ | श्री ईश्वर अय्यर . | केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को अप्रवीण, अर्ध प्रवीण, प्रवीण, पूर्ण प्रवीण, तथा प्रवीण निरीक्षकों आदि वर्गों म बांटने की आवश्यकता । | १०० रुपये |
| ९४ | १४५७ | श्री ईश्वर अय्यर . | केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को उनके वेतन स्तरों के अनुसार अविलम्ब मकान देने की आवश्यकता । | १०० रुपये |
| ९४ | १४५८ | श्री ईश्वर अय्यर . | लिफ्टों पर काम करने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नियमित कर्मचारियों को वर्दियां देने में असफलता । | १०० रुपये |
| ९४ | १४५९ | श्री ईश्वर अय्यर . | फायर सर्विस कर्मचारियों को उनके दफ्तरों के पास ही मकान देने की जरूरत । | १०० रुपये |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| १३४ | ३३७ | श्री भा० कृ० गायकवाड | गन्दी बस्तियों को हटाने तथा हरिजनों के मकान बनाने के बारे में सरकारी नीति की असफलता | १०० रुपये |

†**सभापति महोदय** : ये सब कटौती प्रस्ताव सभा के सामने हैं ।

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** (रामनाथपुरम्) : श्रीमान्, भोजन, कपड़ा और मकान ये तीनों चीजें आदमी की बुनियादी आवश्यकतायें हैं । हम भोजन और कपड़े की समस्या तो लगभग हल कर चुके हैं किन्तु मकानों की समस्या अभी वैसे ही उलझी हुई है । द्वितीय योजना के अन्तर्गत मकानों के लिये १२० करोड़ रुपया नियत किया गया है और १० करोड़ रुपया ग्रामों के लिये रखा गया है ।

मकानों की समस्याओं में केवल निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय का ही सम्बन्ध नहीं है । सामुदायिक विकास मंत्रालय भी ग्राम्य आवास के लिये उत्तरदायी है । गांवों में मकानों की समस्या तभी हल हो सकती है जब पूर्ण रूप से वहां के रहने वालों को पूरा पूरा रोजगार मिल जायेगा—तब यह समस्या आसानी से हल हो जायेगी ।

अल्प आय वर्ग आवास योजना के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि जिन लोगों की आय ५०० रुपये या इस से कम है उन्हें मकान बनाने के लिये ऋण दिये जाते हैं—यह ऋण इस शर्त पर मिलते हैं कि लागत का २० प्रतिशत ऋण लेने वाला स्वयं मिलाये । थोड़ा वेतन पाने वाले लोग इतनी बड़ी रकम एक साथ नहीं दे सकते । इसलिये जरुरत के अनुसार ऋण दिया जाये—यह २० प्रतिशत का झगड़ा न रखा जाये ।

नगरों में मकानों की सुविधा देने का एक सुझाव मैं हूं । जीवन बीमा निगम के पास पर्याप्त पूंजी है जो इस काम में लगाई जा सकती है—यह काम आसानी से हो सकता है । जो व्यक्ति १०,००० की पालिसी ले–उसके लिये निगम एक मकान बना दे और प्रीमियम उसी तरह लेती रहे–बाद में वह मकान उस का हो जाये—और यदि वह व्यक्ति बीच ही में मर जाये—तो भी मकान होने से उसके बच्चों को रहने की तंगी न होगी । इससे दुगना फायदा होगा । बीमा भी लोग अधिक करायेंगे ।

गन्दी बस्तियां हटाने के लिये भी राज्यों के पास धन नहीं है । उन्हें व्ययानुसार अनुदान देने के लिये कहा जाता है जो उनके लिये कठिन है । इसलिये ऐसा न किया जाये । मद्रास राज्य २५ प्रतिशत व्ययानुसार अनुदान नहीं दे सकता ।

मैं संभरण के सम्बन्ध में भी कहूंगा । प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि छोटे पैमाने के उद्योगों को विकसित करने के लिये निगम तथा संभरण तथा उत्सर्जन निदेशालय में समन्वय हो गया है ताकि सरकार के लिये आवश्यक छोटी मोटी चीजों का निर्माण इन्हीं उद्योगों से कराया जाये । इसलिये मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह छोटे पैमाने के उद्योगों में उत्पादन को अपनी मांगें बताकर योजनाबद्ध तरीके से चलायें ताकि वहां की बनी हुई चीजों का पूरा उपयोग हो सके ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पुब्बया अम्बलम्]

खादी तथा हथकरघों के माल का भंडार अभी मद्रास में ही पड़ा है। वहां के बुनने वाले खाली बैठे हैं—इस लिये सरकार को प्रयत्न करना चाहिये कि उस माल का निपटारा हो तथा लोगों को काम मिले। सरकार अपनी आवश्यकता हथकरघे से बने कपड़े से भी पूरी करे।

†श्री राजे लाल व्यास (उज्जैन) : श्रीमान् हमारे राज्य का एक भाग जो पहले मध्य भारत में था वह तो औद्योगिक क्षेत्र है। वहां पर इन्दौर, रतलाम तथा उज्जैन जैसे औद्योगिक केन्द्रों में आवास सम्बन्धी पर्याप्त कार्यवाही हुई है। बहुत से नये मकान बने हैं।

औद्योगिक आवास की योजना में कई एक त्रुटियां हैं। वहां पर बाल मन्दिर, प्रसूति गृह तथा खेलने के स्थानों की व्यवस्था ही नहीं की जाती। ये बहुत आवश्यक चीजें हैं—दूसरे उन मकानों में बिजली और पानी का प्रबन्ध भी नहीं हुआ है। आशा है माननीय मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

अल्प आय योजना के सम्बन्ध में मैं ने यह देखा कि उज्जैन में कुछ मकान बन रहे थे—तो वहां पता लगा और दुःख हुआ कि ऋण रोक लिये जाते हैं और मकान बीच ही में रह जाते हैं। शायद हाल ही में नियमों में कुछ परिवर्तन हो गये हैं। इस प्रकार तो कोई भी लाभ नहीं होगा। यह कर्जे तुरन्त दे दिये जाने चाहिये।

तीसरे मध्य प्रदेश भारत का एक बहुत बड़ा राज्य है और इसकी राजधानी भोपाल बना भी दी गई है। परन्तु वहां पर मकानों की समस्या बड़ी भीषण हो रही है, इस कारण वहां के लिये कुछ और रकम रखी जाये।

राज्य सरकार राज्य के कर्मचारियों के लिये आवास की व्यवस्था करने का पूरा प्रयत्न कर रही हैं। परन्तु सब के लिये यह व्यवस्था हो सकना सम्भव नहीं। समस्या बड़ी गम्भीर है। कई नये लोग भी आ रहे हैं। आशा है कि वर्तमान अवस्था का ध्यान रखते हुए माननीय मंत्री स्थिति का पुनर्परीक्षण करवा लेंगे और ऐसी व्यवस्था कर देंगे ताकि भोपाल की यह नाजुक समस्या हल हो जाय।

†श्री सुबिमन घोष (बर्दवान) : मैं मुख्यतः सरकारी प्रेसों का उल्लेख करूंगा। सरकार के १०, ११ प्रेस हैं। कुछ और भी आरम्भ किये जा रहे हैं। इन प्रेसों में काम करने वालों को ८८ श्रेणियों में विभक्त किया गया है। इनमें से बहुतों को जो वेतन मिलता है वह केन्द्रीय वेतन आयोग अथवा विटले आयोग की सिफारिशों के अनुसार नहीं है। उदाहरण के तौर पर प्रपत्र वाहक तथा अन्य इसी प्रकार के लोगों को ३० से ३५ रुपये मिलते हैं और इसमें ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है। आठ आना वार्षिक तरक्की मिलती है। फिर भी, हमें कहना ही पड़ता है कि हम बड़े विशाल दृष्टिकोण वाली सरकार के नीचे रह रहे हैं। ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें काम के आधार पर वेतन दिया जाता है। यदि वे अवकाश ले लें या छट्टियां पड़ जायं तो उन्हें १८-६-० आने से अधिक नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त आकस्मिक कर्मचारी भी हैं, जो छः सात वर्ष तक काम करते रहने पर भी स्थायी नहीं बनाये जाते। हां, एक बात है कि, उनकी सेवा को नियमित रूप दिया जाता है तब भी उन की पिछली सेवा को सम्मिलित नहीं किया जाता। और उसका उन्हें कोई लाभ नहीं दिया जाता। इसके अतिरिक्त अर्धस्थायी बनने की एक मज़ेदार प्रणाली है। अर्धस्थायी बनाने के लिये महानियंत्रक को लिखा जाता है पर स्थायी स्वामी प्रबन्धक ही कर देता है। फिर और भी कई प्रकार की अनियमिततायें चलती हैं जिसकी ओर अभी मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में तो बहुत ही विचित्र नियम है : प्रथम, दूसरी और चौथी श्रेणी के लोगों को तो निवृत्ति वेतन मिलता है, परन्तु तीसरी श्रेणी वाले कर्मचारी इससे बंचित रह जाते हैं। प्रथम तीनों श्रेणी के कर्मचारी तो छः मास तक की छट्टी जमा कर सकते हैं परन्तु तीसरी श्रेणी वालों के लिये केवल तीन मास का ही आदेश है। यदि एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी २० वर्ष की सेवा के बाद पदोन्नति पा कर तीसरी श्रेणी का कर्मचारी बनता है तो निवृत्ति वेतन पाने के अधिकार से बंचित हो जाता है। क्या सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे सकती ?

†श्री क० च० रेड्डी : मैं अपने भाषण में यही बात कहना चाहता था। माननीय सदस्य ने तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की अवस्था के सम्बन्ध में बड़ी कटु आलोचला की है। इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट हुआ है। यह सुझाव प्रस्तुत हुआ है अत्यावश्यक सेवायें संधारण विधेयक की भांति इस मामले में भी शीघ्रता की जाये। मेरा कहना है कि सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में जो सुविधायें प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्राप्त होंगी, वही तीसरी श्रेणी वालों को भी प्राप्त होंगी ।

†श्री सुबिमन घोष : तो मेरा यह कहना ठीक ही है कि दस वर्ष के पश्चात् हड़ताल का नोटिस मिलने पर सरकार का ध्यान इस ओर गया, अन्यथा यही नियम अब तक चल ही रहे थे। डाक्टरी सुविधाओं का यह हाल है कि इंफ्लूएंजा महामारी के समय, २५० लोग बीमार पड़े। तो अस्पताल में दवाईयां ही नहीं थी। यह तो असाधारण अवस्था थी, परन्तु साधारण हालात में भी वहां औषधियों का अकाल ही रहता है।

कई कर्मचारियों को काम करते हुए तपेदिक हो जाता है। परन्तु सरकार की ओर से उनके इलाज का कोई प्रबन्ध नहीं। कलकत्ता प्रेस में भीड़ भाड़ भी अधिक रहती है, इसलिये अच्छा है कि यह प्रेस सत्रगाची चला जाये जहां कि सरकार ने इस मतलब के लिये भारी जमीन खरीदी है। वहां क्वार्टरों के बनने से आवास की समस्या भी हल हो जायेगी। इसके अतिरिक्त निजी ठेकों की शिकायत है। प्रशासन में अधिकारियों की संख्या बहुत ही अधिक है। इस प्रकार की अनियमिततायें सरकारी प्रेसों में पाई जाती हैं।

थोड़ी आय वालों की आवास योजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार को २ करोड़ रुपया दिया है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने केवल २१ लाख से कुछ अधिक रुपया खर्च किया है। केन्द्रीय सरकार ने बंगाल सरकार को ४$^{1}/_{2}$ प्रति शत ब्याज की दर पर दिया है पर पश्चिमी बंगाल सरकार उसे ६ प्रति शत की दर पर दे रही है। माननीय मंत्री को इस मामले की छानबीन करनी चाहिये कि ऐसा क्यों है और यह भी सुझाव है कि सहकारी आधार पर भूमि खरीदी जाय और जीवन बीमा के सम्बन्ध में भी विचार किया जाय ।

†श्री दासप्पा (बंगलौर) : मंत्रालय की मांगों के समय मंत्रालय के कार्यों को अधिक से अधिक महत्व देने का प्रयत्न किया जाता है। यही अनुभव मुझे आज निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की मांगों के समय हो रहा था ।

प्रथम पंच वर्षीय योजना को देखने से तो कुछ आशा नहीं दिखाई पड़ती। हमें अपनी स्वतन्त्रता का कुछ अनुभव होना चाहिये। प्रथम योजना में देहाती आवास के प्रश्न पर विचार ही नहीं किया गया। मैं कोई पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूं। मैं मंत्री महोदय से इतना पूछना चाहता हूं कि इस प्रश्न की ओर प्रथम पंच वर्षीय योजना में क्यों ध्यान नहीं दिया गया ? और दूसरी योजना में इसके सम्बन्ध में क्या नीति है ? आखिर हम उन करोड़ों लोगों के

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दासप्पा]

प्रति उत्तरदायी हैं जिन्होंने हमें यहां भेजा है। योजना को प्रस्तुत करते समय १२० करोड़ रुपये में से ५ करोड़ रुपया देहाती आवास (व्यवस्था ) के लिये रखा गया था। यह रकम बहुत कम थी और इससे केवल ५४० लाख घरों को ठीक किया जा सकता था। फिर संसद् सदस्यों के आन्दोलन के कारण इस रकम को बढ़ा कर १० करोड़ कर दिया गया। साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में इस कार्य के लिये कितना खर्च किया गया है? मेरे विचार में कुछ भी नहीं। बहाना यह है कि राज्यों से अभी योजनायें प्राप्त नहीं हो रही हैं। खेद है कि इस प्रश्न की ओर पूरे रूप से ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

चार वर्ष में इस संबंध में १० करोड़ तो खर्च होंगे ही। आज की माननीय मंत्री महोदय की घोषणाओं से पता चलता है कि अब तक कुछ काम हो नहीं सका है, अब उन्होंने राज्य बोर्ड बनाने की नई योजना संगठित की है। इस के अन्तर्गत राज्यों की समस्त आवास योजनाओं को एक ही प्रशासन के अधीन कर दिया जायेगा। मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय को इन योजनाओं को शीघ्र ही कार्यान्वित करना चाहिये। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि राज्य सरकारें इन योजनाओं को ठीक ढंग से चलाती हैं। इस मंत्रालय की ही बात नहीं और भी यही हाल है। योजना में हमें कागज़ पर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें दिखाई पड़ती हैं परन्तु वास्तविकता यह है कि वे अच्छी अच्छी बातें पूरी नहीं हो पातीं।

हमारे पदारूढ होते ही हरिजन आवास का प्रश्न हमारे समक्ष था। यह प्रश्न अनुसूचित अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के आवास से संबंधित था। इस पर कुल ३, ४ लाख रुपया खर्च किया गया था। परन्तु हमने इस पर प्रत्येक वर्ष १९ लाख खर्च किया। इस हिसाब से पांच वर्ष में १ करोड़ हो जाता है। और सारे पांच वर्ष के लिये हमारे पास कुल १० करोड़ हैं। देहाती आवास प्रश्न व्यवस्था कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मैं स से सहमत नहीं कि प्रथम वर्ष में ५०० ग्रामों में, अगले वर्ष १५०० में, और फिर अगले वर्ष ३००० में काम किया जाय और इस प्रकार १०,००० मकान बनाये जायें। मंत्री महोदय का कहना है कि १०,००० ग्रामों में कायाकल्प हो जायेगा। अर्थात् योजना काल में १०,००० ग्रामों में काम होगा। यदि अवस्था यही रही तो ५·५ लाख गांवों के लिये कितनी योजनाओं की आवश्यकता होगी?

दिल्ली में विभिन्न सरकारी कार्यालयों के आवास का प्रश्न है। दिल्ली में बहुत अधिक कार्यालय हो गये हैं इन को कम किया जाना चाहिये। संसद् भवन और सचिवालय के पास बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही हैं, इन में विशेष निर्माण कला की सुन्दरता नहीं हैं।

गंदी बस्तियों को हटाने के काम पर सरकार करोड़ों रुपया खर्च करके उन में सुधार कर सकती हैं। परन्तु यह बीमारी तब तक दूर नहीं होगी जब तक कि लोगों की मनोवृत्ति में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आता। क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि जहां आज गंदगी नहीं है वहां तो यह न फैले? इस प्रश्न पर थोड़ा गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। केन्द्र इस मामले में राज्य की सहायता कर रहा है। और राज्यों में इस उद्देश्य के लिये काफी रुपया खर्च हो रहा है। तो इन बोर्डों में मंत्रालय के प्रतिनिधि होने चाहियें। ताकि खर्चे पर पूरी दृष्टि रखी जा सके। बोर्डों का यह काम भी होगा कि देखे कि बाद में कोई समस्यायें पैदा न हो जायें।

†श्री नि० वि० माईति (घाटल) : मैं मंत्रालय को देहाती आवास की समस्या हल करने के सम्बन्ध में पग उठाने पर बधाई देता हूं। यद्यपि काम धीमा है परन्तु फिर भी कुछ हो तो रहा है। हजारों वर्ष तक हमारा प्रशासन अन्य लोगों के हाथ में रहा है और अब हम अनुभव से बहुत कुछ सीख रहे हैं। कोई भी मंत्री होता; देरी तो हो ही जाती, और छोटे मोटे जो दोष हमें नजर आते हैं यह भी आते ही।

देहाती आवास की योजना में जहां और कई बातें हैं वहां एक चीज की कमी है। लोगों को किसी रूप में सहायता अवश्य दी जानी चाहिये। हमारा यह अनुभव है कि जब हमने छोटी सिंचाई योजनायें लागू की थीं और इस का दो तिहाई सरकार ने और एक तिहाई खर्च लोगों ने दिया था, तो इन योजनाओं का बहुत ही स्वागत हुआ था। १९४७ से १९५२ तक कुछ राज्यों में विशेषकर पश्चिमी बंगाल में इन योजनायों ने बहुत ही प्रगति की और इस के परिणामस्वरूप उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। कई कारणों से उसको केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार छोड़ दिया गया।

देहाती आवास के संबंध में भी हमें यह देखना है कि क्या किसी प्रकार की सहायता दी जा सकती है? अभी देहाती लोगों में अपने विकास अथवा सुधार के लिये चेतना कम है। उन्हें इस संबंध में कुछ सहायता देकर प्रेरित किया जा सकता है। यह २५ अथवा ३३ प्रतिशत सहायता चार पांच वर्ष तक ही दी जाये, बाद में उनमें स्वयं यह भाव उत्पन्न हो जायगा और वे आप ही कर्जे इत्यादि का उसी प्रकार उपयोग करेंगे जिस प्रकार हम चाहते हैं कि वे करें।

[श्री पट्टाभिरामन पीठासीन हुए]

इसलिये इस आवास योजना में किसी न किसी रूप में सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जाय। आखिरकार वास्तविक भारत तो देहातों में ही है और उन के सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अशोक होटल और जनपथ भी बनाये जायें, सरकारी कर्मचारियों की भी सहायता की जाये। परन्तु इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि यदि सरकार चलाने पर ही सब कुछ खर्च कर दिया गया तो उन को क्या मिलेगा जिन के बल पर सरकार का अस्तित्व कायम है। मेरा सुझाव है कि द्वितीय योजना के १२० करोड़ में से देहाती आवास के लिये जो १० करोड़ की व्यवस्था है उसकी वृद्धि होनी चाहिये। मंत्रालय से यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित और आदिम जातियों की सहायता के लिये दी गई राशि तथा सामुदायिक विकास मंत्रालय की सहायता को मिला कर देहाती आवास के लिये ३४ करोड़ रुपया दिया जायेगा।

देश भर में ५४० लाख घर हैं, सभी को पुनः ठीक ठाक करने की आवश्यकता है। परन्तु मैं तो केवल उन गरीब लोगों की बात कर रहा हूं जो देहातों में रहते हैं। इन लोगों को तो ५०, १०० अथवा २०० रुपये घरों की मरम्मत इत्यादि के लिये दे कर सहायता की जा सकती है। यह दिया हुआ रुपया व्यर्थ नहीं जायेगा प्रत्युत देहाती गरीब लोगों के स्तर को ऊपर उठाने पर खर्च होगा।

मुझे यह बात स्वीकार करने में प्रसन्नता है कि हमारे मंत्री महोदय बहुत ही परिश्रम कर रहे हैं। मेरा उन से निवेदन है कि वह सभी वर्गों की सहायता के लिये कुछ व्यवस्था करें ताकि हम अपने क्षेत्र के मतदाताओं से कह सकें कि हमारे मंत्री महोदय और मंत्रालय ने हमारे आवास के संबंध में यह सहायता की है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है।

†मूल अंग्रेजी में

†डा० क० ब० मेनन (बडागरा) : आवास का महत्व बढ़ रहा है। आबादी बढ़ रही रही है और मकान कम हैं, इस लिये स्थान स्थान पर किराया नियंत्रण प्राधिकार स्थापित हो रहे हैं। इन विभागों को काम करने में जो दिक्कत होती है उस को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि योजना के अनुसार मकान बनाये जायें। दिल्ली में ८० प्रतिशत मकानों की वृद्धि करने के लक्ष्य को कम नहीं करना चाहिये। मैं आवास के तीन अंगों पर प्रकाश डालूंगा। शहरी, देहाती और गन्दी बस्तियों को हटाने का प्रश्न। दिल्ली राजधानी है और यह सीधा केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में है, यदि यहां सरकार सफल न हो तो और कहीं भी आशा नहीं हो सकती। १९५६ के सर्वेक्षण के अनुसार ७००० लोग यहां पटरियों पर रहते हैं। १९५१ की बिड़ला रिपोर्ट के अनुसार ६ लाख व्यक्ति अभी बिना मकानों के थे। और १९५१ के बाद जो जनसंख्या बढ़ी है उसके अनुसार यह आंकड़े अब दुगने तो हो ही गये होंगे। परन्तु सामान्य अन्दाजे के मुताबिक भी दिल्ली में दो लाख लोगों को मकानों की आवश्यकता है।

चतुर्थ श्रेणी के ७३ प्रतिशत सरकारी कर्मचारी बिना मकानों के हैं। ५०० रुपये से कम वेतन वाले ७० प्रतिशत कर्मचारियों की मकान की व्यवस्था भी उपयुक्त नहीं। एक हजार वेतन पाने वाले भी ३५ प्रतिशत ऐसे हैं जिन के पास समुचित मकान नहीं हैं। मकानों की कमी के कारण कर्मचारियों का १५ से ४० प्रतिशत वेतन मकान के किराये में चला जाता है। इस लिये मेरा निवेदन है कि इस संबंध में द्वितीय योजना में निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिये कदम उठाया जाय।

जो हालत दिल्ली की है वही लगभग देश के अन्य नगरों की है। मद्रास निगम के आंकड़ों के अनुसार १०० रुपये से कम वेतन पाने वाले ८६ प्रतिशत लोग २९ प्रतिशत उपलब्ध मकानों में गुजारा कर रहे हैं। अधिक आय वाले ०२ प्रतिशत ३३ प्रतिशत मकानों में रह रहे हैं। इस लिये शहरी मकानों की समस्या के इस अंग की ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये। नगरों की गन्दी बस्तियों को साफ कराने के संबंध में मेरा निवेदन है कि वहां के लोगों को वहां से हटा कर बहुत दूर नहीं बसाया जाना चाहिये, ताकि नगरों में उन्हें अपने काम पर जाने की कठिनाई न हो।

ग्राम हमारे राष्ट्रीय जीवन का आधार हैं, इस लिये बड़ा जरूरी है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय। आजादी से पहले हम देहातों पर बहुत जोर दिया करते थे, परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमने इस ओर समुचित ध्यान नहीं दिया। कई योजनायें बनाई गयीं परन्तु यदि एक भी सफल हो जाती तो देहातों की आशायें पूर्ण हो जाती। अब मंत्री महोदय ने बताया है कि आवास की समस्या को अब राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के सुपुर्द किया जायेगा। परन्तु उन्होंने हरिजन आवास की समस्या भी अभी तक हल नहीं की जिस के लिये राज्य और केन्द्रीय सरकारों ने काफी सहायता दी है। यदि यह चाहें तो सेवा का काफी क्षेत्र इन के लिये विद्यमान है।

१९५५-५६ की रिपोर्ट के अनुसार ५ करोड़ रुपया देहाती आवास के लिये निर्धारित हुआ, परन्तु खर्च कम हुआ है। अग्रिम परियोजना के लिये पंजाब, पेप्सू, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में से एक एक करके चार ग्राम लिये गये हैं। परन्तु एक वर्ष में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है। केवल पंजाब के ग्राम में ४० मकान बनाये गये। इसे सफलता तो नहीं कहा जा सकता। हमारे भारत के देहाती जीवन में काफी विभिन्नता है इस लिये अनुभव के लिये प्रत्येक राज्य में आदर्श गांव की

†मूल अंग्रेजी में।

योजना होनी चाहिये। एक राज्य में एक गांव भी बहुत बड़ी बात नहीं जब कि सारे भारत मे ५ १/२ लाख ग्राम दूर दूर तक फैले हुए हैं । और इनमे प्रचार का काम पूरी गति से होना चाहिये । परन्तु हमारी सरकार देश के चार गांव में भी पूरी तरह काम न कर सकी । यदि इस प्रकार करोड़ों रुपया बिना उपयोग के ही पड़ा रहा तो कैसे काम होगा ? क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कोई जानकारी देंगे ?

मेरा निवेदन है कि देहाती इलाकों की ओर ध्यान दिया जाय । आवास की जिम्मेदारी अब राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों पर है, तो केन्द्रीय सरकार को उन में तबदीली कर महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी आरम्भ करना चाहिये । काम की गति ढीली नहीं पड़नी चाहिये ।

†श्री कोडियान (क्विलोन---रक्षित---अनुसूचित जातियां): जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने बताया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आवास व्यवस्था के लिये नियत निधि सर्वथा अपर्याप्त है ।

यह कहा जाता है कि ५४० लाख ग्रामीण मकानों में से ९० प्रतिशत मकानों की या तो मरम्मत की आवश्यकता है अथवा उन्हें पुनः बनाने की जरूरत है । इस से आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां के लोगों की कितनी बुरी स्थिति है और किन दशाओं में उन्हें रहना पड़ता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को तो विशेष रूप से इन परिस्थितियों में रहना पड़ता है । वहां की आवास स्थिति को सुधारते हुए अनुसूचित जाति के लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिये । और उन्हें ऋण आदि देने के अतिरिक्त बिना मूल्य के भूमि भी देनी चाहिये । उन्हें मकान बनाने के लिये और सहायता भी देनी चाहिये ।

ग्रामीण आवास के लिये जिस सामग्री की आवश्यकता है वह नगरों में मकान बनाने की सामग्री की अपेक्षा अधिक सस्ती है । अतः हमें स्थानीय सामग्री ही अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये और इस प्रयोजन के लिये प्रशिक्षण व उत्पादन के केन्द्र खोलने चाहिये ।

माननीय मंत्री को पता होना चाहिये कि दिल्ली में किराये बहुत अधिक हैं और मकानों की समस्या बड़ी विकट है । मालिक मकान कई ढंगों से किरायेदारों से अधिकाधिक किराया वसूल कर रहे हैं। अतः मेरा निवेदन है कि १९५५ के पश्चात् बने मकानों पर भी किराया नियंत्रण अधिनियम लागू कर देना चाहिये। अधिक किराया वसूल करने के लिये वे नये नये ढंग प्रयोग में लाते हैं। मकान मालिक अक्सर किरायेदारों को सूचना भेजते हैं कि उन्हें मकान अपने लिये चाहिये अतः वे उसे खाली कर दें । बिचारे किरायेदार मजबूर हो कर हाथ पैर जोड़ते हैं और अधिक किराया देने के लिये तैयार हो जाते हैं। यदि वे किराया नहीं बढ़ाते तो उन्हें निकलवा दिया जाता है जिस से उन्हें बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती हैं। इस लिये मेरा निवेदन है कि किराये पर नियंत्रण करने का प्रश्न अत्यधिक महत्व का है और माननीय मंत्री को उस पर शीघ्र ध्यान देना चाहिये ।

†श्री क० च० रेड्डी : मैं ने उन माननीय सदस्यों को बहुत अभिरुचि के साथ सुना है जिन्होंने वाद विवाद में मेरे मंत्रालय के अधीन विभिन्न पहलुओं की ओर निर्देश किया है। मैं कह सकता हूं कि उन्हें सुन कर मुझे लाभ ही हुआ है और सिवाय एक दो बातों के माननीय सदस्यों द्वारा की गई आलोचना रचनात्मक और भविष्य में लाभदायक प्रमाणित होने वाली ही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री क० च० रेड्डी]

गत कुछ मास से जबसे मुझे इस मंत्रालय का प्रभार संभालने का सुअवसर मिला है मैं इन विभिन्न समस्याओं को, जो हमारे सामने हैं, समझने का प्रयत्न कर रहा हूं, और ऐसे ढंग निकालने का प्रयास कर रहा हूं जिन से इस प्रकार के मंत्रालय से प्रत्याशित सेवाओं का संतोषजनक पालन किया जा सके। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा था, यह ऐसा मंत्रालय है जिस का सभी वर्गों के लोगों के साथ निरन्तर सम्पर्क रहता है और जब तक मंत्रालय के कार्य के प्रभारी पदाधिकारी और उच्चतम व्यक्ति से ले कर साधारण सेवक तक सतर्क न रहें और संतोषजनक सेवा के लिये प्रयत्न न करें, स्वभावतः कुछ असंतोष बना ही रहेगा। उदाहरणतः केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को प्रायः रुपया बर्बाद करने वाला विभाग कहा जाता है। परन्तु हमारा प्रयत्न है कि इसे वस्तुतः लोक कल्याण विभाग बनाया जाये। मैं आशा करता हूं कि थोड़े ही समय में अर्थात् ६ मास या दो तीन वर्ष में वातावरण में इतना परिवर्तन हो जायेगा कि हमें दूसरों से भी यह सुनने का हर्ष प्राप्त होगा कि इस विभाग को लोक कल्याण विभाग बनाने के लिये संतोशजनक कार्यवाही की गई है।

जिन समस्याओं की ओर वादविवाद में निर्देश किया गया है, मुझे उनका गत तीन महीनों से पता लगा है जब से कि मैं ने इस मंत्रालय से संबंधित समस्याओं और विषयों की ओर ध्यान देना आरम्भ किया है। इस का यह अभिप्राय नहीं मेरे द्वारा मंत्रालय का भार संभालने के बाद इन विभिन्न विभागों के प्रशासन से सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर पहली बार ध्यान दिया जाने लगा है। निरन्तर प्रयत्न किये जाते रहे हैं और विभिन्न समस्याओं के सुलझाने में विभिन्न मात्रा में सफलता प्राप्त होती रही है। इस समय मंत्रालय उन्हीं कार्यवाहियों को अधिक उत्साह के साथ और अधिकाधिक लोगों की आकांक्षाओं तथा मांगों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ा रहा है।

विवाद में कई पहलुओं की ओर निर्देश किया गया है। मैं भी उन्हें लेना चाहता हूं परन्तु समयाभाव के कारण मैं उन में से कुछ मुख्य समस्याओं को ही लूंगा। यदि समय हुआ तो मैं छोटी बातों को भी लूंगा। परन्तु यदि मैं छोटी बातों का इस समय उत्तर न दे सका तो पत्र व्यवहार द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से उन बातों के संबंध में ठीक स्थिति और सरकार द्वारा की जाने वाले कार्यवाही की जानकारी उन्हें भेजने का प्रयत्न करूंगा।

मेरे माननीय मित्र श्री ईश्वर अय्यर ने वाद विवाद को प्रारम्भ करते हुए विशेषतः केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों की सेवा की शर्तों पर प्रकाश डाला है।

मैं सर्वप्रथम आवास संबंधी जटिल तथा महत्वपूर्ण समस्या के विभिन्न पहलूओं की ओर निर्देश करना चाहता था परन्तु फिर मैंने सोचा कि चूंकि गत दो तीन सप्ताह से देश में, संसद् में और प्रायः हरेक व्यक्ति का ध्यान मालिक-कर्मचारी संबंधों की समस्या पर ही लगा रहा है अतः सम्भवतः इसी प्रश्न को पहले लेना ठीक रहेगा। आप सब को विदित है कि हाल ही के सप्ताहों में इस समस्या के बारे में क्या विचार व्यक्त किये गये हैं। आप सब को विदित है कि विभिन्न पहलुओं की ओर प्राधिकारियों और सरकार का ध्यान दिलाया गया था और गत सप्ताहों में हम इस समस्या के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते रहे हैं। मैं तो यह कह सकता हूं कि सरकार ने इस विषय पर सद्भावना से गंभीरता पूर्वक विचार किया है और निरन्तर विचार के पश्चात् सरकार कतिपय निष्कर्षों पर पहुंची है। सरकार ने इस जटिल समस्या का उपयुक्त तथा संतोषजनक हल निकालने के लिये एक विशेष रूप से कार्यवाही करने का निश्चय किया है।

मैं इस अवसर पर उन विभिन्न निश्चयों के ब्यौरे का उल्लेख नहीं करूंगा जो सरकार ने किये हैं, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि लोगों की सेवा करने के लिये जिन लोगों को राजकोष से वेतन दिया जाता है उन से यदि और कुछ नहीं तो दक्षतापूर्ण कार्य करवाने के लिये ही उन्हें सरकार अधिकतम संतोष प्रदान करने का प्रयत्न करती है और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार से अधिक किसी को चिन्ता नहीं । मैं यह नहीं कहता कि सरकार जो कुछ कर सकती थी उसनें सब कुछ किया है । मैं सरकार की ओर से इस का दावा नहीं करता । परन्तु जब कि हमारा प्रयत्न विशेष प्रकार का और विशेष सीमा तक हुआ है मैं यह कहना चाहता हूं कि हम ने गत कुछ सप्ताहों में अपने प्रयत्नों की गति तेज़ कर दी है और हम इस समस्या पर विचार करने और ऐसे ढंग तथा सूत्रों का निर्माण करने के लिये विभिन्न ढंगों से और विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रयत्न कर रहे हैं जिससे कि हम गड़बड़ पैदा होने तक अथवा हड़ताल की सूचना मिलने तक निष्क्रिय न बैठे रहें बल्कि उस पर ध्यान रखें । अपने मंत्रालय के संबंध में मैं सदस्यों से यह कह सकता हूं कि गत तीन महीनों से यदि मेरा ध्यान किसी बात की ओर रहा है तो यह मालिक-कर्मचारी के संबंध का विषय ही है । मैंने इस समस्या पर बहुत विचार किया है और मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि अपने पदाधिकारियों के सहयोग से, और अपने कर्मचारी-संघों के सहयोग से हम उस स्थिति तक पहुंच गये जहां मैं विनम्र भाव से यह दावा कर सकता हूं कि जो कुछ समस्यायें, संभवत: उपयुक्त कारणों से ही, बहुत समय से पड़ी हुई थीं उन्हें हम ने हल कर लिया है ।

जहां तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों का संबंध है मैंने गत दो तीन मास में उन के संघों से उन की समस्याओं के विषय में चर्चा की है और मैं यह भी बता दूं कि इन संघों के प्रतिनिधियों ने मुझ से कहा है कि जो समस्यायें हल की जा चुकीं हैं उनसे वे बहुत संतुष्ट हैं । उन्हों ने यह कहा है जो कुछ किया जा चुका है और जो कुछ किया जाना है उसके लिये वे आभारी हैं परन्तु वे आशा करते हैं कि उनकी शेष समस्यायें उन के लिये संतोषप्रद रूप में हल हो जायेंगी । मैं कर्मचारी संघों को आश्वासन देता हूं कि शेष समस्यायें यदि उन के पूर्ण संतोष सहित नहीं तो उन की आशा के अनुसार अवश्य हल हो जायेंगी । श्री ईश्वर अय्यर ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्थायी रुप से रखे कर्मचारियों की कुछ लम्बित मांगों की ओर निर्देश किया था । वह सूची मेरे पास है । मेरे पास उन मांगों की सूची भी है जिन के सम्बन्ध में हम ने शिकायतों को दूर किया है और वह सूची भी है जिन के अन्तिम निर्णय के लिये अभी कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

श्री ईश्वर अय्यार ने कई कटौती प्रस्ताव दिये हैं । ४६ या ४७ कटौती प्रस्तावों में व्यवहार्यत: लगभग अधिक नहीं तो ५० प्रतिशत ऐसे हैं जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम के लिये स्थायी रूप से रखे कर्मचारियों के सम्बन्ध में हैं, जिन के बारे में गत कुछ सप्ताह में हम बहुत से निर्णय कर सके हैं । मैं उन सब का उल्लेख नहीं करूंगा । मैं छोटी मोटी बातों अर्थात् औजार भत्ता देने या वर्दी की मंजूरी देने या विशेष बस्तियों में प्रतिकर भत्ता देने आदि की ओर निर्देश नहीं करूंगा । मैं केवल यह कह सकता हूं कि कर्मचारियों की ५० प्रतिशत से अधिक अर्थात् लगभग ७५ प्रतिशत मांगें लगभग पूरी की जा चुकी हैं ।

काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी मानने के विषय में मैं उन कर्मचारियों के इतिहास को नहीं लेना चाहता कि इस कर्मचारीवृन्द की स्थापना क्यों और कैसे हुई ? उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और भविष्य में क्या होगी आदि । मैं समझता हूं कि सभा को इस प्रश्न के ब्यौरे से परेशान करने का यह समय नहीं है । आरम्भ में ये कर्मचारी

[श्री क० च० रेड्डी]

समय समय पर कुछेक कार्यों की मंजूरी देने पर उन कार्यों को करने के लिये रखे गये थे और उन्होंने यह समझ कर रखा जाता रहा है कि काम समाप्त होने पर इनकी आवश्यकता नहीं रहेगी । परन्तु गत ३० या ४० वर्ष के अनुभव से हमें पता लगा है कि इस प्रकार रखे गये कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों की सेवाओं का जारी रखना आवश्यक सा ही है क्योंकि काम में तेज़ी आने के कारण इन्हें अलग नहीं किया जा सकता । इस प्रकार कर्मचारियों की कतिपय श्रेणियां प्रायः सेवायुक्त रही चली आ रहीं है यद्यपि उन्हें अस्थायी कर्मचारी ही समझा जाता है । यही इनकी समस्या है इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है ? गत कुछ वर्षों में हमने इस पर काफी विचार किया है और मुझे यह कहते हुये हर्ष होता है कि हम एक निश्चय पर पहुंच चुके हैं जिसके अनुसार इस प्रश्न को हल करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

इस कर्मचारिवृन्द के गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो लगभग २००० या २५०० हैं, मैं यह हर्ष पूर्वक कहना चाहता हूं कि उन कर्मचारियों को सरकार की नियमित सेवा में लेने का निश्चय कर लिया गया है और उन के साथ वही व्यवहार होगा जैसा कि भारत सरकार के अन्य नियमित कर्मचारियों के साथ होता है । कुल १०,००० कर्मचारियों में से शेष अर्थात् औद्योगिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में लगभग ५० प्रतिशत अथवा कुछ अधिक को जिन्होंने तीन वर्ष से अधिक निरन्तर सेवा की है, स्थायी घोषित किया जायेगा और उन्हें वे सब लाभ दिये जायेंगे जो सरकार के स्थायी कर्मचारियों को मिलते हैं अर्थात् उन्हें उतनी ही छुट्टी, उतना ही महंगाई भत्ता आदि मिलेगा जो सरकार के नियमित कर्मचारियों को मिलता है । शेष कर्मचारियों के सम्बन्ध में हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि उन्हें अर्द्ध-स्थाई किया जाये या कुछ इस प्रकार की बात की जाये । तो मैं यह दावा कर सकता हूं कि इस समस्या के हल के लिये विवेकपूर्ण प्रयत्न किये गये हैं और मैं आशा करता हूं कि हम इस प्रश्न के बारे में जो प्रयत्न कर रहे हैं उससे कर्मचारी असतुष्ट होने की बजाये सतुष्ट ही होंगे और फिर कुछ समय बाद यदि कुछ कठिनाइयां होंगी तो हम उन कठिनाइयों को परस्पर मिल बैठ कर संतोषजनक रूप से हल करेंगे ।

मैंने बताया है कि औज़ार और सधारण भत्ता मजूर कर दिया गया है । इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिया गया है; मैं यह ।यह बताने की ज़रूरत नहीं समझता कि यह भत्ता किस दर से दिया जायेगा ।

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इन कर्मचारियों के साथ वही व्यवहार होना चाहिये जो इसी वेतन के पाने वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ होता है । यह बात मान ली गई है कि भविष्य निधि में सरकार का अंशदान ६ $\frac{1}{4}$ प्रतिशत से बढ़ा कर ८ $\frac{1}{3}$ प्रतिशत कर दिया जाय जो कि भारत सरकार के अन्य विभागों में प्रचलित है । यह रियायत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रेस कर्मचारियों को दी जायेगी ।

और बहुत से विषयों के सम्बन्ध में हम ने निर्णय किया है मैं उन को यहां पढ़ कर सभा का समय नहीं लेना चाहता । मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न को हम करने के लिये इस दृष्टि-कोण को अपनाने के, फलस्वरूप मालिकों और कर्मचारियों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध पैदा होंगे । इस सम्बन्ध में जब कि सरकार का व्यवहार मैत्रीपूर्ण है तो मैं चाहता हूं कि कर्मचारियों को अनुशासन-पूर्वक कार्य करना चाहिये और उन्हें जो वेतन दिया जाता है उस का पूरा मूल्य संतोषजनक कार्य द्वारा चुकाना चाहिये ।

मालिक–कर्मचारी सम्बन्ध का विषय लेते हुए मैं कुछ शब्द प्रेस कर्मचारियों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । बंगाल के माननीय सदस्य ने प्रेस कर्मचारियों की असंतोषजनक स्थिति के सम्बन्ध में अनेक बातें कही हैं । मैं समझता हूं कि उनकी मांगे बहुत कम हैं –प्रायः आधी दर्जन होंगी । उन में से दो या तीन मांगे उदाहरणतः वेतन क्रम का पुनरीक्षण, महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाना आदि ऐसी हैं जिस का अन्तिम निबटारा वेतन आयोग को करना है जो कि अभी नियुक्त किया गया है । वेतन आयोग इन सब प्रश्नों को लेगा ।

कर्मचारियों की मुख्य मांग जिनकी ओर हम गत कुछ दिनों से ध्यान दे रहे हैं यह है कि श्रेणी ३ के उन कर्मचारियों को जो कि औद्योगिक कर्मचारी हैं सेवा निवृत्ति वेतन सम्बन्धी वही लाभ मिलने चाहियें जो श्रेणी १, २, ३ और ४ के कर्मचारियों को मिल रहे हैं । यदि मैं इस प्रश्न के इतिहास को लूं तो यह बहुत रोचक होगा । १९२० से पूर्व श्रेणी ३ के इन कर्मचारियों को निवृत्ति वेतन मिलता था । उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि हमें निवृत्ति वेतन का लाभ नहीं चाहिये हमारे लिये अंशदायी भविष्य निधि योजना होनी चाहिये । तत्पश्चात निवृत्ति वेतन की योजना अधिक लाभदायक बनाई गई तो उन्होंने कहा कि हम निवृत्ति वेतन की योजना के अधीन आना चाहते हैं । परन्तु जैसा कि मैंने बीच में भी कहा था मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि श्रेणी ३ के इन कर्मचारियों के साथ उसी आधार पर व्यवहार किया जायेगा जिस आधार पर श्रेणी १, २, ३ और ४ के कर्मचारियों के साथ किया जाता है और उन्हें निवृत्ति वेतन का लाभ दिया जायेगा ।

मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र ने यह कहकर क्या कृतज्ञता प्रकट की है कि ऐसा इस लिये किया गया है कि हड़ताल की सूचना दी गई थी । यदि ऐसा भी है तो भी उन्हें कुछ आभारी ही होना चाहिये । वह इस के लिये प्रशंसा या आभार का एक शब्द कह सकते थे । खैर, मुझे इस की चिन्ता नहीं । प्रेस कर्मचारियों को यह लाभ मिल गया है और जहां तक उन की मांग पूरी हो गई है मैं सरकार का एक मंत्री होने के नाते ही नहीं बल्कि एक भूतपूर्व कार्मिक संघ कार्यकर्त्ता होने के नाते उस से बहुत प्रसन्न हूं और उन लोगों के हर्ष में हिस्सा बटाना चाहता हूं और इस बात की अलोचना नहीं करता कि सरकार यह बहुत पहले कर सकती थी परन्तु उन्होंने इसे शान से नहीं किया इत्यादि । माननीय सदस्य जो भाषा चाहें और जैसे शब्द चाहें प्रयोग कर सकते हैं। मुझे उन से इस बात पर कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिये । इस सम्बन्ध में बस इतना ही कहना चाहता हूं ।

प्रेस कर्मचारियों के सम्बन्ध में अन्य एक दो निर्णय किये गये हैं परन्तु मैं उन्हें ब्योरे सहित व्यक्त नहीं करूंगा । कर्मचारी संघों ने जो अन्य कुछ विषयों के लिये अनुरोध किया है सरकार उस पर ध्यान पूर्वक विचार कर रही है ।

जहां तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का सम्बन्ध है कुछ सख्त शब्द कहे गये हैं । गत कई वर्षों से ये सख्त शब्द बराबर कहे जा रहे हैं जिसका नतीजा यह है कि अब यह समझना मुश्किल हो गया है कि उनका मतलब क्या है । मैं बचपन से ही अर्थात लगभग ४० वर्ष से इस विभाग के बारे में कई मंचों से और उच्च और निम्न स्तर के व्यक्तियों से यही बात सुनता आया हूं । मेरा निवेदन है कि सारी स्थिति का कुछ वस्तुगत अवलोकन कीजिये और चित्र के एक काले धब्बे को ले कर यह न कहिये कि सारा चित्र ही काला है । यह बात उचित नहीं । मैं समझता हूं कि किसी चीज़ की जांच करने का यह उपयुक्त ढंग नहीं है ।

मैं इस बात से सचेत हूं और मुझे विदित है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग त्रुटिरहित नहीं । मैं यह भी कह सकता हूं कि इस में से कोई भी त्रुटि रहित नहीं । सरकार त्रुटि रहित नहीं है, देश जिन कार्यों में लगा हुआ है वे सब भी त्रुटि रहित नहीं हैं । अतः हमें बहुत ध्यान पूर्वक पता

[श्री क० च० रेड्डी]

लगाना है कि वस्तुत: रोग क्या है और फिर उसका उपचार करना चाहिये । उपचार यही है कि सारे देश की नैतिकता को उन्नत किया जाये । परन्तु उस में समय लगेगा । यह बहुत विस्तृत समस्या है । और एक राष्ट्रीय समस्या है ।

†श्री मू० चं० जैन : यदि माननीय मंत्री अपने विभाग के पदाधिकारी के स्तर की अन्य विभाग उसी के बराबर के पदाधिकारी से तुलना करें तो उन्हें अपने विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार का पता लगेगा ।

†श्री क० च० रेड्डी : यह विभिन्न विभागों के पदाधिकारीयों की प्रकृति के कारण नहीं, यह इस कारण है कि इन विभागों के कार्य भिन्न प्रकार के हैं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का काम अन्य विभागों के काम से भिन्न है और कुछ ऐसा है जिससे उसमें काम करने वालों की अलोचना करने का अवसर मिलता है और दूसरे लोग उनकी अलोचना करने की ताक में रहते हैं । हमारी भाषा में एक कहावत है—में समझता हूं कि अन्य भाषाओं में भी ऐसी ही कहावत है—कि यदि एक व्यक्ति ताड़ के वृक्ष के नीचे मक्खन दूध भी पी रहा हो तो उसके लिये कहा यही जायेगा कि वह ताड़ी पी रहा है । अत: केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कैसी भी परिस्थितियों में चाहे कुछ भी करे यही कहा जाता है कि उस में कुछ गड़ बड़ है और भ्रष्टाचार हो रहा है ।

तो भी मेरी बात से यह नहीं समझना चाहिये कि में यह प्रमाणित कर रहा हूं कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टटाचार नहीं है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में हरेक काम की कई बार जो जांच होती है, वह इसी लिये कि भ्रष्टाचार दूर हो सके । हमारे यहां टेंडर अनुसूचियां हैं । हमारे यहां हरेक चीज़ के विशेष विवरण आदि हैं और इस प्रयोजन के लिये हमारे पास व्योरेवार फ़ार्म हैं । हमारे यहां निरीक्षण संगठन भी है और एक निगरानी संगठन भी है । अभी अभी एक प्रविधिक लेख परीक्षा विभाग भी स्थापित किया गया है , जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है और जिसमें इस दृष्टि से प्रविधिक लोगों को नियुक्त किया गया है कि वे समय समय पर जांच करें और विभाग की त्रुटियां बतायें । हम ने इस जांच और निगरानी की व्यवस्था इसी लिये की है कि हम जानते हैं कि कहीं कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है । इस प्रकार इस सारे संगठन का निर्माण हुआ है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमने यह सब व्यवस्था संगठन को सुदृढ़ करने के लिये स्थापित की है । एक मानीय सदस्य ने कहा कि निगरानी संगठन अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर रहा । सभा को विदित है कि कुछ सप्ताह पूर्व जब सरकार को पता लगा कि विनय नगर के कुछ मकान निश्चित विवरणों के आधार पर नहीं बनाये गये हैं और उन में कुछ गड़ बड़ है तो हम ने अपने मुख्य प्रविधिक परीक्षक को इस मामले की जांच के लिये कहा; उसने सारे मामले की जांच की, पूछ ताछ की और फिर एक प्रतिवेदन दिया और सभा को विदित है कि दयाभाव के कारण अपने अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं चाहते हुए भी, विभाग के हित के लिये और लोक हित के लिये हमने आठ पदाधिकारियों को मुअत्तिल कर दिया है । हाल ही के वर्षों में जो निगरानी का र किया गया है यह उसी का परिणाम है ।

†श्र वें० प० नायर (क्विलोन) : मैं माननीय मंत्री से एक बात पूछना चाहता हूं कि इतनी जांच और अनुसूचियों आदि के होते हुए भी ठेकेदार प्राक्कलन से भी कम दरों पर कैसे काम

†मल अंग्रेजी में

करने के लिये तैयार हो जाते हैं । ऐसा हो नहीं सकता जब तक कि वे खराब सामग्री का प्रयोग न करें या कोई अवैध और अनुचित तरीके न अपनायें ।

†श्री क० चं० रेड्डी : मैं इस प्रश्न का स्वागत करता हूं क्योंकि उन्होंने वस्तुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है ।

हम इस समस्या का सामना कर र हैं। यह सत्य है कि ठेकेदारों न अनुसूचित दरों से कम दर बताये थे और उसका परिणाम यह हुआ कि काम अच्छा नहीं हुआ, जनता में असन्तोष फैला और सरकार को इस मामले का मूल कारण पता लगाने के लिये जांच नियुक्त करनी पड़ी । हमें निरन्तर अनेक बातों के ीच संतुलन बनाये रखना पड़ता है और ि र ऐसे साधनों तथा उपायों को अपनाना पड़ता है जिससे देश को अधिक अच्छी सेवा उपलब्ध हो सके ।

पहले मैं केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग के सम्बन्ध में एक दो बातें कहूंगा । इस विभाग के सम्बन्ध में हमें ो लगभग ४ महीने का अनभव है उसके आधार पर मैं समझता हूं कि स विभाग का उद्देश्य कम व्यय में, शीघ्रता से, समय पर तथा अच्छा काम करना होना चाहिये । वन निर्माण के कार्यों में शीघ्रता होनी चाहिये और ठेकेदारों के दामों का भुगतान भी शीघ्रता से किया जाना चाहिये । समझता हूं कि यह विभाग इन तीनों बातों को ध्यान में रखता आया है और आगे भी इन्हें ध्यान में रखेगा ताकि जनता या अन्य विभागों या मंत्रालयों की आलोचना उसे न सुननी पड़े । ध्यान रखे कि विलम्ब या अन्य बातों के लिये केवल इस विभाग को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता । अन्य अभिकरण भी इसके लिये उत्तरदायी हैं और जो कोई भी इस कार्य के लिये उत्तरदायी है उसे चाहिये कि वह सभी कठिनाइयों के बारे में पता लगाये और फिर उनको दूर करे ताकि राष्ट्र निर्माण के इस क्षेत्र द्वारा अधिक अच्छी सेवा प्रदान की जा सके ।

एक सुझाव दिया गया कि सभी बातों की छानबीन के लिये एक उच्चाधिकार समिति नियुक्त की जाये । यह विचार बड़ा अच्छा है । में इस पर विचार करूंगा । पर इस बात पर विचार करना है कि क्या इसी स्तर पर समिति नियुक्त कर दी जाये या आगे किसी स्तर पर समिति नियुक्त की जाये और वह समिति क्या कार्य करेगी और क्या उस समिति के प्रयत्नों का जो परिणाम निकलेगा वह हमारे कार्य को सहायक होगा । इस समय मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं इस बात पर विचार करूंगा ।

कई माननीय सदस्यों ने ठेकेदारी प्रणाली को समाप्त करने के बारे में कहा । मैं सभा का ध्यान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के सम्बन्ध में श्री कस्तूरभाई लालभाई के सभापतित्व में बनी एक समिति के प्रति ेदन का ओर आकृष्ट करूंगा । यह प्रतिवेदन १९५२ में प्रस्तुत किया गया था । उसमें कहा गया है कि केवल कुछ छोटे छोटे निर्माण कार्यों को छोड़ कर अन्य कार्यों में यदि यह विभाग स्वयं निर्माण कार्य करवायेगा तो इससे कोई आर्थिक बचत नहीं होगी अत: ठेकेदारों द्वारा कार्य करवाने की प्रणाली को जारी रखा जाये । हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि ऐसे ही ठेकेदा ों को ठेके दिये जायें जिनके पास निर्माण कार्य करवाने के लिये स्थायी तौर पर रखे गये योग्य कर्मचारी हों । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रसिद्ध इंजीनियरिंग सस्थाओं को ही यह कार्य दिया जाना चाहिये । दक्षिण भारत तथा पश्चिम भारत में ऐसी कुछ संस्थायें हैं पर मुझे खेद है कि दिल्ली में ठेकेदारों की ऐसी कोई संस्था नहीं है । हमें दिल्ली में ऐसी संस्था स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन देना पड़ेगा ।

अत: इस प्रश्न पर अच्छी तरह विचार किया जा चुका है और समिति की भी सिफारिश है कि ठेकेदार प्रणाली को जारी रखा जाये । हम यह बात कैसे मान लें कि विभाग द्वारा निर्माण

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री क० च० रेड्डी]

कार्य कराने में काफी बचत होगी, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा और इसमें अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं ? तो, इन सभी बातों पर हमें विचार करना है । लोगों की मांग है कि भवन निर्माण उद्योग का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये । पर इस समय सरकार के हाथों में इतनी अधिक परियोजनायें तथा योजनायें हैं कि सरकार के हाथों में अब अधिक कार्य नहीं दिया जाना चाहिये । साथ ही इतने अधिक ठेकेदारों को एक साथ बेकार भी नहीं किया जा सकता । मैं इस बात पर और विचार करूंगा पर इस समय मैं यह आश्वासन नहीं दे सकता कि इस प्रणाली को समाप्त कर दिया जायेगा ।

अब मुझे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहना है । मुझे आशा है कि इस विभाग पर जो आरोप लगाये गये हैं उन्हें यह विभाग दूर करके सब के संदेहों को शीघ्र ही मिटा देगा और शीघ्र ही हम माननीय सदस्यों से सुनेंगे कि अब इस विभाग के विरुद्ध उन्हें कोई शिकायत करने की गुंजाइश नहीं है । इस सम्बन्ध में हमें माननीय सदस्यों तथा जनता का भी सहयोग मिलना चाहिये । यदि भ्रष्टाचार की कोई सच्ची शिकायत हो तो वह इस विभाग या मंत्रालय के पदाधिकारी लोगों के पास पहुंचायी जानी चाहिये और मैं आश्वासन देता हूं कि मामले को जांच करके बिना किसी विचार के अपराधी को दण्ड दिया जायेगा ।

श्री ईश्वर अय्यर ने एक मामले का उल्लेख किया । यह मामला संभरण तथा उत्सर्जन विभाग का है और वह भी १२ साल पुराना है । इस सम्बन्ध में मेरे पास एक अभिलेख है जो मैं माननीय सदस्य को देना चाहता हूं । सरकार ने इस मामले के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की है और कर भी रही है । यह कहना ठीक नहीं कि मामला ठप्प कर दिया गया है । अतः उत्सर्जन विभाग के मामले का उल्लेख करके केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना ठीक नहीं है । मैं अधिक नहीं कहना चाहता ।

अब मैं आवास-निर्माण की बात को लेता हूं । श्री दासप्पा ने कहा कि ग्रामीण जनता को भी स्वतन्त्रता का सुख मिलना चाहिये । मैं भी यही कहता हूं कि गांव की जनता को स्वतंत्रता का अधिक से अधिक लाभ होना चाहिये । मैं कालेज में पढ़ाई के बाद भी कई वर्ष तक गांव में रहा हूं । मुझे ग्रामीण समस्याओं का ज्ञान उनसे अधिक है । गांवों की परेशान जनता के लिये मैं जो कुछ भी कर सकूंगा, अवश्य करूंगा । गांवों की जनता के लाभ के लिये सब से बड़ा कार्यक्रम सामुदायिक परियोजना प्रशासन का कार्य है । अनेक अन्य योजनायें भी हैं ।

गांवों में आवास व्यवस्था की समस्या बहुत बड़ी समस्या है । हमारे देश में ५ लाख से भी अधिक गांव हैं और मकानों की संख्या का तो अनुमान लगाना भी कठिन है । यदि हम उनके लिये इस समय कुछ करना चाहते हैं तो, यदि ४,००० करोड़ रुपये नहीं तो, कम से कम २,५०० करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी । हम पंचवर्षीय योजना की बातें करते हैं ; साधनों की बातें करते हैं । यदि हमें २,५०० करोड़ से ४,००० करोड़ पये तक मिल जायें तो हम इस समस्या को हल कर सकते हैं । अभी ६ या ९ महीने हुये मैं रूस गया था । वहां मैं बड़े बड़े लोगों से मिला । एक चर्चा के दौरान में हमने एक सरकारी पदाधिकारी से पूछा कि वहां की सरकार ने गांवों में आवास व्यवस्था के सम्बन्ध में क्या किया है ? मुझे उत्तर मिला कि वहां की सरकार के सामने अन्य बहुत से मामले हैं । इस सम्बन्ध में वहां कोई भी विशेष योजना नहीं है । हां, गांव के लोगों को कुछ सामग्री तथा सहायता दे ी जाती है कि वे अपने मकान बनवालें । अतः, यदि माननीय सदस्यों के पास अन्य कोई योजना या जानकारी हो तो ` बतावें मैं उन्हें मानने को खुशी से तैयार हूं ।

मैं रूस की आलोचना नहीं कर रहा हूं पर वहां यह हाल है जब कि वहां छठी पंचवर्षीय योजना चल रही है ।

जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, इस समस्या के महत्व को देखते हुये हमें इसके लिये अधिकाधिक महत्व देना चाहिये । १९५२ में हमने सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास व्यवस्था योजना शुरू की थी ; १९५४ में हमने कम आय वर्ग आवास व्यवस्था योजना शुरू की । १९५६ में हम गन्दी बस्ती सुधार तथा बागान मजदूर योजना शुरू की । यह चार योजनायें चल रही हैं । यह बात सच है कि हम उतनी प्रगति नहीं कर सके हैं जितनी हम करना चाहते थे । यह भी सच है कि आवण्टनों का भी पूरा पूरा उपयोग नहीं किया गया । हो सकता है कि इसमें सरकार की गलती हो या उन लोगों की गलती हो, जिनके लिये यह योजना थी, कि उन्होंने योजना का पूरा पूरा लाभ नहीं उठाया है । मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं । कुछ प्रक्रियात्मक कठिनाइयां हैं तथा कुछ और भी कठिनाइयां हैं जिन्हें हम एक-एक करके दूर कर रहे हैं । अभी हाल में हमने एक आदेश निकाला है जिसके अनुसार यह अनुदान उन लोगों को आसानी से मिल सकते हैं और वे उनका उचित उपयोग कर सकते हैं। मैं इन बातों के ब्योरे में नहीं जाना चाहता । यह सभी योजनायें नगरों के लिये हैं ।

हम महसूस करते हैं कि इस सम्बन्ध में हमें कुछ और प्रयत्न करना चाहिये । किसी माननीय सदस्य ने कहा कि आवास व्यवस्था के लिये जो १२० करोड़ पये का उपबन्ध है वह बहुत थोड़ा है । मैं यह बात स्वीकार करता हूं । उतने बड़े काम के लिये यह राशि बहुत कम है। प्रथम योजना में केवल ३८ या ४० करोड़ रुपये की व्यवस्था थी । इस दूसरी योजना में १२० करोड़ रुपये रखे गये हैं पर हमें लगभग १,००० करोड़ रुपये खर्च करना चाहिये । हम उस प्रश्न पर विचार करते रहे और मैं माननीय सदस्यों को आवास सम्बन्धी सरकारी नीति के बारे में बताना चाहता हूं ।

हमारे देश की आवास व्यवस्था एक बहुत बड़ी समस्या है और जटिल समस्या है और उसके लिये हमें बहुत अधिक धन और व्यक्तिगत लोगों, सरकारी समितियों, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के ठोस सहयोग की आवश्यकता है और योजना बना कर कई वर्षों तक हमें इसके लिये काम करना पड़ेगा । नगर क्षेत्रों में सब से बड़ी कठिनाई यह है कि लोगों को जो किराया देना पड़ता है वह उस किराये से बहुत ज्यादा है जो उन्हें देना चाहिये । इस निम्न आय वर्ग के लोगों को सब से अधिक कठिनाई उठानी पड़ती है ।

नगर क्षेत्रों के लिये केन्द्रीय सरकार की तीन योजनायें, सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास व्यवस्था योजना, गन्दी बस्ती सुधार योजना तथा निम्न आय वर्ग आवास व्यवस्था योजना, इस समय चल रही हैं । इन योजनाओं को वित्तीय सहायता देने का ढंग यह है कि सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास व्यवस्था योजना तथा गन्दी बस्ती सुधार योजना के लिये सरकारी वित्तीय अनुदान तथा ऋण दिया जाता है और निम्न आय वर्ग आवास व्यवस्था योजना के लिये राज्य सरकारों को ऋण दिया जाता है कि वे व्यक्तिगत लोगों तथा सरकारी समितियों को धन दें । सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास व्यवस्था योजना १९५२ में शुरू की गई थी तथा शेष दोनों योजनायें उसके बाद शुरू की गईं । इन योजनाओं से अभी बहुत थोड़े व्यक्तियों को लाभ हुआ है ।

[श्री क० च० रेड्डी]

यह बात मान ली गई है कि इन वर्तमान योजनाओं के क्षेत्र को बढ़ा दिया जाना चाहिये ताकि अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। यह भी बात मान ली गई है कि कुछ मामलों में जैसे औद्योगिक मजदूरों के मकानों, गन्दी बस्तियों में रहने वालों तथा भंगियों की आवास व्यवस्था के मामले में सरकार को काफी आर्थिक सहायता देनी होगी क्योंकि उनकी आय इतनी कम है कि वे उनके लिये बनाये गये साधारण से साधारण मकान का भी किराया नहीं दे पायेंगे। फिर भी, यह स्पष्ट है कि चूंकि हमारे साधन बहुत सीमित हैं अतः हमें उन लोगों को पहले सहायता देने का निश्चय करना पड़ेगा जिनको उसकी अधिक जरूरत है। कुछ अन्य व्यक्ति भी हैं जिनकी मकानों के सम्बन्ध में मांगों पर भी ध्यान देना नितान्त आवश्यक है परन्तु जो सरकार की आर्थिक सहायता के बिना भी संभवतया अपने मकान बना सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यदि भूमि और ऋण दे कर अथवा सरकारी और ग़ैर सरकारी अभिकरणों द्वारा मकान ख़रीदवा कर अथवा किराये पर मकान दिला कर उनके रहने की व्यवस्था कर दी जाये तो यह पर्याप्त सहायता होगी।

ऊपर वर्णित विचारों के आधार पर ऐसा विचार है कि केन्द्रीय सरकार से वित्त की व्यवस्था करके, और कुछ मामलों में राज्य सरकारों से आवश्यक सहायता की व्यवस्था करके विभिन्न राज्यों में आवास निगम स्थापित किये जायें। ऐसा विचार है कि ये संस्थायें, ग़ैर सरकारी क्षेत्र तथा बैंकों, और विनियोजन समवायों आदि से प्राप्त धन को, जीवन बीमा निगम तथा कर्मचारी भविष्य निधि-लेखों आदि से प्राप्त राशि सहित आवास कार्यों में लगायेंगी। निगम सूद की उचित दरों पर दीर्घ काल के लिये ऋण देगा। इस प्रस्तावित योजना में सब से अधिक प्राथमिकता भूमि के अर्जन और उसके विकास के लिये धन की व्यवस्था को दी जायेगी जिससे न हानि और न लाभ के आधार पर मकान बनाने वालों को भूमि दी जा सके। ऐसा भी विचार है कि राज्य सरकारों से, सरकारी भूमि को प्रयुक्त करने के लिये कहा जाये ताकि कम आय वाले वर्ग के लिये मकान बनाये जा सकें और इस प्रकार राज्य सरकार अपनी सहायता भी दे सकें।

यह जानने के सभी संभावित प्रयत्न किये जायेंगे कि सरकारी संस्थाओं सहित सभी विभिन्न भवन निर्माण अभिकरण निर्माण सम्बन्धी कार्यों में इस प्रकार से काट छांट करें जिससे भवन निर्माण की देसी सामग्री को अधिक प्रयोग में लाया जाये तथा ऐसी वस्तुओं की जो कठिनाई से उपलब्ध होती हों, कम जरूरत पड़े।

मकानों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुये और गन्दी बस्तियों की सफाई की आवश्यकता को देखते हुये, सरकार ने निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में आवास आयुक्त के अधीन एक अलग विभाग स्थापित कर दिया है। इसमें उचित योग्यता प्राप्त प्रविधिक, तथा वित्तीय कर्मचारियों को नियुक्त किया जायेगा जिससे आवास योजनायें शीघ्रता से और सफलता से क्रियान्वित की जायें। ऐसी आशा की जाती है कि वे राज्य सरकारें जिन्होंने अभी तक अलग आवास संगठन स्थापित नहीं किये हैं, बिना किसी विलम्ब के अब उनको स्थापित कर देंगी। भारत सरकार ने ग्राम आवास सम्बन्धी एक अलग योजना की घोषणा कर दी है। आज एक प्रश्न के उत्तर में उस योजना की विशेषतायें एक विवरण के रूप में सभा पटल पर रख दी गई हैं।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जायें जिससे आवास कार्यक्रम पर अधिक धन कया किया जा सके। हमारा लक्ष्य १०० करोड़ रुपये के बजाय १००० करोड़ रुपये हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री दासप्पा ने कहा कि हम इसके सम्बन्ध में पूर्ण उत्साह से काम नहीं कर रहे हैं। मैं उनके कथनानुसार अधिक उत्साह के साथ काम करने आन्दोलन का वायदा

करता हूं परन्तु मैं साथ ही उनका सहयोग भी चाहता हूं कि वह इसका ध्यान रखें कि राज्य सरकारें, सहकारी संस्थायें तथा इस काम में लगे व्यक्ति तथा अभिकरण इस कार्य को पूरी सावधानी से करें और सब के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलें जिससे हम आवास की समस्या को सुलझा सकें ।

यहां जो सुझाव दिये गये हैं उनको मैंने लिख लिया है । गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये पर्याप्त धन नहीं दिये जाने तथा देहाती आवास योजना को सहायता देने के बारे में सुझाव दिये गये हैं । सरकार इन सब पर विचार करेगी । जहां तक, गन्दी बस्तियों की सफाई का सम्बन्ध है हमने मद्रास और आन्ध्र तथा कुछ अन्य स्थानों के लिये कई योजनायें स्वीकार कर ली हैं । हमने मुख्य मंत्रियों को शीघ्रता से योजनायें भेजने को लिखा है । मैंने स्वयं व्यक्तिगत पत्र उन्हें लिखे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वह केन्द्रीय सरकार से मिलने वाले धन का प्रयोग अवश्य करेंगे और अपने अपने राज्य में निश्चय ही कुछ न कुछ करेंगे ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने आज सवेरे मुझ से देहाती आवास योजना अथवा गन्दी बस्ती की सफाई योजना के बारे में वित्त मंत्री द्वारा कहे गये कुछ शब्दों के बारे में पूछा, शायद उन्होंने गन्दी बस्तियों के बारे में पूछा था । यह सच है कि उन्होंने गन्दी बस्तियों की सफाई के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से बातचीत की है । मुझे इसका पता है और पश्चिम बंगाल सरकार ने हमारे पास ७ करोड़ रुपये की लागत की योजनायें भेजी भी हैं । हम उस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ।

देहाती आवास के बारे में जो कुछ हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं यह केवल प्रारम्भ है । जो कुछ हम कर रहे हैं वह बहुत थोड़ा है । मैं यह बात पूरी तरह जानता हूं । हमने यह कार्य अभी प्रारम्भ ही किया है जैसा मैंने कहा, इसमें ३००० अथवा ४००० करोड़ रुपये लगेंगे । परन्तु अभी तो इसे शुरू ही किया गया है ।

गृह मंत्री हरिजनों और अनुसूचित जातियों को देहाती क्षेत्रों में मकान बनाने के लिये सहायता दे रहे हैं । वाणिज्य और उद्योग तथा अन्य मंत्रालय भी कुछ दे रहे हैं । जैसा आज सवेरे मैंने कहा यह धन तथा अन्य मंत्रालयों से प्राप्त अनुदान एक साथ इकट्ठे किये जा सकते हैं । जिससे बहुत कुछ किया जा सकता है । मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार द्वितीय योजना के अन्त तक कुछ सुन्दर परिणाम निकल सकते हैं ।

माननीय सदस्य ने प्रथम योजना और द्वितीय योजना के पहले वर्ष के सम्बन्ध में कहा । संभवतया सब से अधिक प्रसन्नता सरकार को ही होती यदि प्रथम योजना में कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कुछ ठोस कार्य किया जा सकता । परन्तु हमें खेद है कि द्वितीय योजना के पहले वर्ष में अभी तक इस योजना पर हम कार्य प्रारम्भ नहीं कर सके । परन्तु फिर भी मुझे यह सन्तोष है कि अब हम प्रारम्भ करने की स्थिति में हैं और हमारा यह प्रयत्न रहेगा कि आवश्यक प्रोत्साहन से हम इस योजना को उचित दिशा में बढ़ाते रहें ।

यह भी भुलाना नहीं चाहिये कि इन मामलों की बुनियादी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । मैंने यह इसलिये नहीं कहा है कि मैं अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहा हूं । अपितु मैंने यह इसलिये कहा है कि यह एक निश्चित बात है हम सबको इसे समझना चाहिये । केन्द्रीय सरकार केवल मार्ग दर्शन करा सकती है, अनुदान दे सकती है प्रविधिक बातें बता सकती है, योजना

[श्री क० च० रेड्डी]

बना सकती है । शेष काम राज्य सरकारों को ही करना है । मुझे राज्य सरकारों का पांच वर्ष का अनुभव है और मैं जानता हूं कि जब तक राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का उपयोग नहीं करेंगी, तब तक केन्द्रीय सरकार स्वयं कुछ नहीं कर सकती है । ऐसा इसी योजना के सम्बन्ध में नहीं है अपितु अन्य विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में भी यही बात है ।

एक माननीय सदस्य ने मकान बनाने के व्यय के आधार पर सहायता देने की ओर संकेत किया । जब एक अन्तिम योजना सामने होगी तो व्यय के आधार पर सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठेगा और यह कठिनाई इस प्रकार के कार्यक्रम की सफलतापूर्वक क्रियान्विति के मार्ग में नहीं आयेगी ।

कुछ अन्य बातें भी कही गईं । मैं उनके सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूं । एक माननीय सदस्य ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये मकानों के बारे में कहा । मेरे पास आंकड़े हैं । मैं नहीं जानता उनको आंकड़े कहां से मिले । मेरे आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के लिये इस समय १५,२१९ क्वार्टर चाहियें । हम ५८९७ क्वार्टरों की व्यवस्था कर चुके हैं । यानी इसकी प्रतिशतता ४० हुई । मैं ए, बी, सी १, सी २, डी १, डी २, तथा ई प्रकार के निवास स्थानों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । इसकी प्रतिशतता ५८, ३७, ५३, ६१, ३१, २३, तथा ३९ है । इससे पता लगता है कि सभी श्रेणियों के लिये ५० प्रतिशत अथवा ६० प्रतिशत भी मांग पूरी करने के लिये हमें अभी बहुत कुछ करना होगा ।

कार्यालय भवनों की भी यही स्थिति है । कार्यालय भवनों के लिये आज दिल्ली में ४० लाख वर्ग फीट की मांग है । हमारे पास ५ लाख से ६ लाख वर्ग फीट की कमी है । दिल्ली में हमारी हटमेंट १९ लाख वर्गफीट में हैं । हमारे पास कुल ३४ लाख वर्ग फीट स्थान है जिन में से १९ लाख वर्गफीट हटमेंट हैं और लगभग ५ लाख वर्ग फीट किराये पर लिये भवन हैं । इससे पता लगता है कि देश की कुल मांग को पूरा करने में हमें कितना प्रयत्न करना पड़ेगा ।

सरकारी कार्यालयों को दिल्ली से बाहर भेजने का प्रश्न उठाया गया । यह नहीं कहा जा सकता कि हम इस दिशा में प्रयत्नशील नहीं हैं । कुछ मित्रों ने कहा कि जोधपुर, जयपुर, अलवर आदि नगरों में क्यों नहीं जाते । हमने राज्य पुनर्गठन के पश्चात् राज्य सरकारों को लिखा था कि वे हमें बतायें कि अपने राज्यों में केन्द्रीय सरकार के लिये कितना स्थान दे सकते हैं । उनकी अपनी कठिनाइयां हैं । उन्हें अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण करना है । केवल बम्बई सरकार को छोड़ कर और किसी भी राज्य सरकार ने निश्चित रूप से यह नहीं बताया है कि उनके पास स्थान है और हम उसका उपयोग कर सकते हैं ।

यह कहा गया कि हमें अपने पदाधिकारियों को भेज कर पता लगाना चाहिये कि वहां स्थान हैं अथवा नहीं । मैंने अपने पदाधिकारियों को भेजा है परन्तु मैं वहां जा कर राज्य सरकारों की इच्छा के बिना स्थान पर कब्ज़ा नहीं कर सकता । यह तो एक बात हुई । दूसरी बात यह है कि हम दिल्ली से बाहर जाना नहीं चाहते । परन्तु हमारा यह प्रयत्न रहेगा कि जितने संभव हो सकें उतने कार्यालय दिल्ली से बाहर भेजे जा सकें । मैंने निश्चय किया है कि मेरे मंत्रालय का विस्फोट विभाग दिल्ली से बाहर जायेगा । यह भी निर्णय कर लिया गया है कि कोई भी नया कार्यालय भविष्य में दिल्ली नहीं आयेगा जब तक उच्च स्तर पर उसे दिल्ली आने की अनुमति न मिल जाये ।

कुछ अन्य मामलों के सम्बन्ध में, मैं संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगा । मेरा विचार विभिन्न आवास योजनाओं के आंकड़े बताने का था कि कितना धन आवंटित किया गया और कितनी प्रगति

की गई । जो सरकार ने आज विवरण सभा पटल पर रखा है उसमें यह सब बताया गया है और अब उनको दोहरा कर मैं सभा का समय लेना नहीं चाहता हूं ।

बागान श्रमिक योजना के बारे में, मैं बताना चाहता हूं कि छः अथवा सात राज्यों में से केवल एक राज्य ने इस योजना का उपयोग करना चाहा है । अन्य राज्य उस योजना का उपयोग नहीं कर सके क्योंकि इसके सम्बन्ध में नियम बनाने पड़ते हैं और कई प्रारम्भिक बातें करनी पड़ती हैं । वह केरल राज्य है जिसने इसका उपयोग करना स्वीकार किया है ।

अब मैं सरकारी प्रेसों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं । इनकी कुछ आलोचनायें की गईं । गत कुछ वर्षों से हम अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं । हमने उनको पहले से दुगुना कर दिया है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव (खम्मम्)** : परन्तु फिर भी सभा की कार्यवाही एक वर्ष के पश्चात् छपती है ।

†**श्री क० च० रेड्डी** : इस बारे में मैं अभी बताता हूं । पिछले कुछ वर्षों में हमने दो नये प्रेस बनाये हैं । संसदीय मुद्रण के लिये हमने फरीदाबाद में अलग प्रेस बनाया है जो दिल्ली में किये गये कार्य के अतिरिक्त काम करेगा । यह सच है कि बहुत विलम्ब हो जाता है परन्तु फिर भी हमने गत कुछ वर्षों से अपना काम बहुत बढ़ा दिया है । हम काम को इन्हीं प्रेसों से पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं और आशा करते हैं कि कुछ काल में काम समय पर होने लगेगा ।

मैं प्रेस के कर्मचारियों की मांग के बारे में पहले ही बता चुका हूं । जहां तक कलकत्ते के प्रेस के सन्तरागाछी में भेजे जाने का प्रश्न है हम उसे वहां भेजना चाहते हैं परन्तु मैं नहीं जानता कि विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण, हम उसको कब तक भेज सकेंगे ।

मुझे यह देख कर संतोष हुआ कि अशोक होटल की कोई आलोचना नहीं की गई है । केवल एक माननीय सदस्य ने इसके बारे में कुछ कहा और उन्होंने भी इसकी प्रशंसा ही की है । मुझे पूरा विश्वास है कि जब अशोक होटल के सम्बन्ध में पूरा ब्योरा सभा के समक्ष रख दिया जायेगा तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिनकी इसके बारे में ग़लत धारणायें हैं वे भी अपनी धारणायें बदल देंगे । जो विदेशी व्यक्ति भारत आये उनके द्वारा इस होटल के बारे में दी गई सम्मतियों से इस होटल की सुन्दरता और इसके महत्व का पता लगता है । अमेरिकन सोसायटी आफ ट्रेवल एजेण्ट्स के सभापति, श्री हम्फिल, ने इसके सम्बन्ध में कहा है कि अशोक होटल यूरोप के पूर्व में सबसे आधुनिक तथा आरामदेह होटल है । उन्होंने एक पुस्तिका में कहा है कि होटल की पांचवीं मंजिल में जो चार कमरे मुझे दिये गये थे उनमें बैठकर मुझे मालूम होता था कि मैं एक आधुनिक मुग़ल हूं । उन्होंने आगे कहा कि ज्यों ज्यों मैं राजधानी के भवनों और गुम्बदों पर दृष्टिपात करता हूं तो मालूम होता है कि नवीन भारत किस शान से जन्म ले रहा है ।

एक अन्य पत्रिका की यह राय थी कि दिल्ली में अशोक होटल का बनाना दूरदर्शिता की निशानी है । कितने ही शिष्टमंडल भारत की राजधानी में आते हैं । व्यय में मितव्ययिता लाने के लिये इसके स्तर को कम करना ठीक नहीं होगा । प्रतिष्ठित जर्मन व्यापारियों का एक शिष्टमंडल जो अशोक होटल में ठहरा था उसने बम्बई में अपने मित्रों को बताया कि जर्मनी के किसी भी होटल से अशोक होटल का स्तर बहुत ऊंचा है और इस को संसार के सबसे अच्छे होटलों में से माना जा सकता है । उसमें आगे लिखा है कि ऐसी आशा की जाती है कि प्रधान मंत्री और संसद् सदस्य इसका ध्यान रखेंगे कि अशोक होटल का उच्च स्तर क़ायम रहे जिससे भारत की राजधानी की प्रतिष्ठा बनी रहे । तीन चार वर्षों में निश्चित रूप से इससे बहुत आय होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री क० च० रेड्डी]

अब मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं और एक बार फिर उन सदस्यों के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करता हूं जिन्होंने बड़े लाभदायक सुझाव दिये हैं। हम वह सभी प्रयत्न करेंगे जिससे यह विभाग एक लोक कल्याण विभाग बने ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री हेम राज ने कुछ कटौती प्रस्ताव आज साढ़े तीन बजे भेजे हैं। मैं उन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दे सकता। अब मैं सारे कटौती प्रस्ताव, जो प्रस्तुत किये गये हैं, मतदान के लिये रखता हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :——**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| ९२ | निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . | ३२,६७,००० रुपये |
| ९३ | संभरण . | १,५२,३३,००० रुपये |
| ९४ | अन्य असैनिक निर्माण कार्य | १२,०५,४७,००० रुपये |
| ९५ | लेखन सामग्री तथा छपाई | ४,०२,३७,००० रुपये |
| ९६ | निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . | ५२,०२,००० रुपये |
| १३२ | दिल्ली पूंजी व्यय . | ४,२७,६९,००० रुपये |
| १३३ | भवनों पर पूंजी व्यय | २,६७,५९,००० रुपये |
| १३४ | निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . | १,२५,८६,००० रुपये |

## गृह-कार्य मंत्रालय

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा में गृह-मंत्रालय के अनुदानों की मांगों (संख्या ५१ से ६३ तथा १२० ) पर चर्चा होगी। इनके लिये आठ घंटे निश्चित किये गये हैं। माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्तावों की संख्या जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हों, १५ मिनट में सभा पटल पर पहुंचा दें ।

†मूल अंग्रेजी में

१९५७-५८ के लिए गृह-कार्य मंत्रालय के अनुदानों की ये मांगें प्रस्तुत की गईं :

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| ५१. | गृह-कार्य मंत्रालय . | १,५३,८१,००० रुपये |
| ५२. | मन्त्रिमण्डल . | २१,३३,००० रुपये |
| ५३. | प्रादेशिक परिषदें | २,६३,००० रुपये |
| ५४. | पुलिस . | ३,००,९९,००० रुपये |
| ५५. | जनगणना . . . . | ४,९५,००० रुपये |
| ५६. | देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते | २,५६,००० रुपये |
| ५७. | दिल्ली . . . . . | ४,०९,२९,००० रुपये |
| ५८. | हिमाचल प्रदेश . . . . | २,७२,६०,००० रुपये |
| ५९. | अण्डमान और नीकोबार द्वीप समूह . . | १,५९,९९,००० रुपये |
| ६०. | मनीपुर . | ८६,०६,००० रुपये |
| ६१. | त्रिपुरा . . . . | १,३९,३९,००० रुपये |
| ६२. | लक्क द्वीप मनीकोथ और अमीन द्वीप द्वीप समूह | ८,५५,००० रुपये |
| ६३. | गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय | ६,६१,६४,००० रुपये |
| १२०. | गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय . . | १,३०,०२,००० रुपये |

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना कटौती प्रस्ताव ९४ प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा मैं सरकार की महागुजरात तथा संयुक्त महाराष्ट्र बनाने में असफलता पर आलोचना करना चाहता हूं। यह सही है कि बम्बई का द्वि-भाषा भाषी राज्य बन गया और वहां की जनता ने संतोष कर लिया है परन्तु मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि यह आन्दोलन चलता ही रहेगा। हमें बताया जाता है कि महागुजरात और संयुक्त महाराष्ट्र एक भाषा भाषी बनाना देश के हित में नहीं है। परन्तु मैं बार बार पूछता रहा हूं कि जब १३ एक भाषा भाषी राज्यों से भारत की एकता को कोई खतरा नहीं रहा तो इन दो एक भाषा भाषी राज्यों के बन जाने से क्या खतरा हो सकता है। मुझे अब तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री व्योरेवार हमें बतायें कि इन राज्यों के बन जाने पर क्या खतरे हो सकते हैं।

एक बात यह कही जाती है कि एक भाषा भाषी महाराष्ट्र में कुछ अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण नहीं होगा। मुझे पुरानी बातें याद आ जाती हैं जब मुस्लिम लीग भी अल्प संख्यकों के हितों की बात कहती थी। उसके परिणाम स्वरूप ही देश का विभाजन हुआ था। आज भी इसी आधार पर ३।। करोड़ महाराष्ट्रियों के अधिकारों को दबाया जा रहा है। मेरी सभा से अपील है कि वह इस अन्याय को दूर करने के लिये उपाय करें।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भारुचा]

हमें बताया गया कि द्वि-भाषा भाषी राज्य बनाने से पहले बहुत से व्यक्तियों की सलाह ली गई थी। पर मेरे विचार से यह सलाह केवल कांग्रेसियों से ही ली गई थी और जो एक भाषा भाषी राज्य के पक्ष में थे उनकी कोई राय नहीं ली गई थी। सरकार को उन लोगों का भी परामर्श लेना चाहिये जो सचमुच में उन क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। उस समय सरकार ने अपने निर्णय को चार बार बदला था तो यदि उसको अब पांचवीं बार भी बदला गया तो उससे प्रतिष्ठा की हानि नहीं होगी अपितु वह और बढ़ जायेगी।

मैं चाहता हूं कि इस पर एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाये जो इस प्रश्न पर पुनः विचार करे क्योंकि हम महाराष्ट्र और महागुजरात के निवासी अभी भी ऐसा मानते हैं कि इस मामले का अन्तिम रूप से निपटारा नहीं हुआ है।

†**श्री रघुवीर सहाय** (बदायूं) : मेरी राय तो यह है कि माननीय मंत्री ने ठीक समय पर अत्यावश्यक सेवा संधारण विधेयक, १९५७ को पुरःस्थापित करके डाक तथा तार विभाग और अन्य विभागों के कर्मचारियों के होश दुरुस्त कर दिये हैं।

सरकार ने बड़े ठंडे दिमाग़ से कार्य किया है। उनकी न्यायपूर्ण मांगें मान ली हैं, और साथ ही हड़ताल रोकने के लिये यह विधेयक भी पुरःस्थापित किया है। इससे समूचे देश की परिस्थिति का तनाव दूर हो गया है।

इस हड़ताल ने हमारे सामने एक प्रश्न यह उपस्थित कर दिया है कि क्या सरकारी सेवक को हड़ताल करने या उसकी धमकी देने का अधिकार है। मैं समझता हूं कि उसे इसका अधिकार नहीं होना चाहिये। अध्यादेश में भी यही कहा गया है। उसे वापिस ले लेने के बाद भी, सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों में इसे सम्मिलित कर देना चाहिये।

सरकारी कर्मचारियों की तुलना श्रमिकों से नहीं की जा सकती। डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की दो मांगें तो बड़ी ही अनर्गल थीं कि उन्हें चुनाव लड़ने और सरकार की आलोचना करने का अधिकार दिया जाये, और यह भी कि उनकी सेवा के नियमों को एक विधान का रूप दिया जाये। इसे कोई भी सरकार नहीं मान सकती।

सरकार को यह विधेयक राज्य-सभा में भेजना चाहिये और इसे संविधि पुस्तक में सम्मिलित किया जाना चाहिये। हां, यह अवश्य है कि सरकार को इसकी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये। सरकार ने ऐसे अन्य विधेयकों की शक्तियों का पहले भी कभी दुरुपयोग नहीं किया है।

सरकार को भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम का भी पुनरीक्षण करना चाहिये। हथियार रखने की अनुज्ञप्तियां जारी करना जिला धीशों की अपनी मनमानी पर ही निर्भर रहता है। इससे वास्तव में योग्य व्यक्तियों को अनुज्ञप्तियां नहीं दी जातीं और अपराधों की संख्या बढ़ती जाती है। गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम के पुनरीक्षण का विचार किया जा रहा है। अब हमें पुनरीक्षण के बाद ऐसे नियम बनाने चाहियें, जिससे ज़िला धीशों की मनमानी रुक जाये।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाने के लिये एक निश्चित संवर्ग होना चाहिये। सामुदायिक परियोजनाओं का प्रशासन करने वाली सेवाओं के कार्य-क्षम न होने के कारण ही आज हम उसम जनता का सहयोग नहीं मिल रहा है। जनता को कार्यक्रम पर विश्वास नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उनमें उत्साह नहीं है । जब तक आप उनके लिये एक विशेष संवर्ग नहीं बनाते और उसका चुनाव ढंग से नहीं करते, तब तक इस कार्यक्रम में सफलता नहीं मिलेगी । उस संवर्ग के कार्यकर्त्ताओं को वास्तव में कार्यक्रम पर विश्वास होना चाहिये ।

अन्त में, मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री का ध्यान उन पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो अनुसूचित जाति के और ईसाई हैं और जो कुछ परिस्थितियों के कारण पाकिस्तान में ही रहने के लिये विवश हैं । उनके सम्बन्धी भारत में हैं । लेकिन वे , नियमों के अनुसार, भारत में स्थायी रूप से नहीं रह सकते । वे यहां आकर भारत में स्थायी रूप से रहने के लिये प्रार्थना-पत्र देते हैं, लेकिन अनुमति नहीं मिल पाती । उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये और संगत नियमों में रूपभेद किया जाना चाहिये ।

**श्री जांगड़े** (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय शासन के सरकारी नौकरों की हालत और विभिन्न राज्यों के सरकारी नौकरों की हालत को जब मैं देखता हूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा विभिन्नता का कटु अनुभव होता है ।

अभी फिलहाल हमने एक सेंट्रल पे कमिशन (केन्द्रीय वेतन आयोग) नियुक्त किया है और वह केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतनों के ऊपर ग़ौर करेगा और इसमें संदेह नहीं कि जितने भी केन्द्रीय शासन के सरकारी नौकर हैं खासकर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के, उनके वेतनों में और अन्य सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है, उसमें कमी का प्रश्न उठता ही नहीं है । अभी मौजूदा परिस्थिति में केन्द्रीय सरकार के नौकरों और प्रान्तीय सरकार के नौकरों के वेतनों में कितना अन्तर है और यदि केन्द्रीय शासन के नौकरों का वेतन और भी बढ़ जाता है तो इन दोनों शासनों के कर्मचारियों के वेतनों में कितना अंतर होगा, इसको आप समझ सकते हैं और इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय ने यह ठीक ही कहा है कि यदि केन्द्रीय शासन के नौकरों का वेतन हम बढ़ाते हैं तो उससे अन्य प्रान्तीय सरकारों के लिये और देश के लिये एक बड़ी विकट समस्या खड़ी हो जाती है । इसका यह अर्थ नहीं कि हम केन्द्रीय शासन के नौकरों की तनख्वाहें न बढ़ायें लेकिन इक्विटी या बराबरी का दावा या कम से कम समअवसर मिलने का दावा राज्य सरकार के नौकरों का भी होता है । हम राज्य सरकारों की शक्ति को भी पहचानते हैं और जानते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी रेवेन्यू पावर्स (राजस्व संग्रह करने की शक्तियां) कितनी हैं और उनके फंड्स में कितना रेवेन्यू होता है और उनको कितनी इनकम (आय) होती है, खास कर आसाम, उड़ीसा, त्रावनकोर-कोचीन और केरल ऐसे प्रदेश हैं जिनकी कि आय बहुत ही कम है और जहां पर स्टाफ इस्टैब्लिशमेंट (कर्मचारी संस्थापन) आदि पर बहुत ज्यादा खर्च होता है, हम उनके बारे में क्या करने वाले हैं ।

अभी मुझे पता चला है, हो सकता है कि मैं जो कहता हूं वह ग़लत हो, पर मुझे यह पता चला है कि चतुर्थ श्रेणी के नौकरों का या किसी भी सरकारी नौकर का वेतन केन्द्रीय शासन में ६० से कम नहीं हो सकता और मुझे यह जान कर खुशी हुई । मैं चाहता हूं कि उनकी तनख्वाहें और बढ़ें । लेकिन राज्य सरकारों के कर्मचारियों की क्या हालत है । राज्य सरकारों में वे लोग जो मैट्रिकुलेट होते हैं उनकी इन्निशयल पे (आरम्भिक वेतन) ३५ रुपया होती है और सब मिला कर कहीं कहीं ५६ और कहीं कहीं ७८ रुपये उनको मिलते हैं । आज जब हम सारे देश में कार्यदक्षता लाना चाहते हैं तो हमें राज्य सरकार के कर्मचारियों की ओर भी देखना होगा और उनकी तनख्वाह आदि की मांगों को हमें पूरा करना पड़ेगा । यदि हमें देश में कार्यदक्षता लानी है और अपने इस द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन को सफल बनाना है तो राज्य सरकारों के कर्मचारियों खास कर तृतीय श्रेणी का जो लिपिक वर्ग है, उनकी तनख्वाहों को बढ़ाना होगा और

[श्री जांगड़े]

उसके लिये केन्द्रीय सरकार को ५ करोड़ तक या १० करोड़ तक का अतिरिक्त व्यय वहन करना होगा और करना चाहिये । उनके वेतनों को बढ़ाना हमारे लिये अनिवार्य मालूम होता है ।

मैं अब कार्यदक्षता की ओर आता हूं । मैं देखता हूं कि १९४७ में जो कार्यदक्षता थी उसमें बहुत ही ढिलाई मालूम होती है । यहां केन्द्र में हमने ऐडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस आरगनाइजेशन (प्रशासकीय सतर्कता संगठन) स्थापित किया और उसके बाद हमने यहां पर आरगनाइजेशन एंड मेथड्स डिवीजन (संगठन और प्रणाली विभाग) भी नियुक्त किया है लेकिन राज्यों की क्या हालत है । राज्यों में हम ओ० ऐंड एम० डिवीजन (संगठन और प्राणाली) विभाग नहीं पाते हैं और उसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस डिवीज़न भी राज्यों में नहीं पाते हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी हम उसको नहीं पाते हैं । हम अक्सर देखते हैं कि केन्द्रीय सरकार केवल ग्रान्ट (अनुदान) देने वाली सरकार होती है और प्रान्तीय सरकारें उनको इम्पलीमेंट (कार्यान्वित) करने वाली होती हैं और हम देखते हैं कि कार्य में ढिलाई का अच्छा खासा सबूत राज्य सरकारों में देखने को मिलता है । जितनी ढिलाई राज्यों में देखने को मिलती है उतनी ढिलाई केन्द्रीय सरकार में देखने को नहीं मिलेगी । इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि जब तक हम राज्य सरकारों की कार्यदक्षता को नहीं बढ़ाते हैं, जब तक उनकी कार्य प्रणाली में अनुकूल संशोधन नहीं करते हैं और जब तक सेंटर को हम ओवरआल पावर्स से इनवेस्ट (अत्योपरि शक्तियां नहीं देते) नहीं करते हैं तब तक हमारा सेकेंड फ़ाईव इयर प्लान पूरी तौर से इप्लीमेंट नहीं हो सकता है और जो करोड़ों रुपये हम बचाना चाहते हैं उनको बचाने में हम असमर्थ रहेंगे । मेरा सुझाव है कि हम राज्यों में भी ओ० एंड एम० डिवीज़न बनायें और उसी प्रकार से ऐडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस डिवीजन बड़े राज्यों में शीघ्र नियुक्त करें और इस तरह वहां पर कार्यदक्षता बढ़ेगी और ढिलाई खत्म होगी और हम अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कामयाब बना सकेंगे ।

उसके उपरान्त मैं स्पेशल पुलिस इस्टैबलिशमेंट (विशेष पुलिस संस्थापना ) के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कई राज्यों से, वहां के लोगों से या वहां के कर्मचारियों से हमको कोआपरेशन (सहयोग) नहीं मिलता है और उधार मांगने पर हमें योग्य अधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध नहीं होतीं और वह वास्तव में खेदजनक बात है । रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हम करप्शन और ब्राइबरी के केसेज़ (भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले) पकड़ते हैं, उनका निबटारा करने में दो दो वर्ष लग जाते हैं और उसके सम्बन्ध में राज्य सरकारों से हमें कोई सलाह नहीं मिलती और मेरी समझ में यह भी बड़े दुःख की बात है । मैं चाहता हूं कि स्पेशल पुलिस इस्टैबलिशमेंट को राज्य सरकारों द्वारा पूरा पूरा सहयोग दिया जाय ताकि यह संगठन और अधिक तेजी से काम कर सके । इस संगठन के कर्मचारियों की संख्या और अधिक बढ़ाई जानी चाहिए ।

मुझे यह सुन कर खुशी हुई कि अभी ऐडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस डिवीजन ने एक प्रारूप तैयार किया है जिसके अनुसार घूस लेने वाले और घूस देने वाले के सम्बन्ध में उसने कहा है कि यदि घूस देने वाला घस देने के बावजूद अगर वह कोर्ट या कचहरी में जाकर यह बयान दे दे कि अमुक अफ़सर ने मुझ से इतने रुपये की घूस ली है, तो घूस देने वाले का बचाव किया जायगा । इसी चीज़ को मैंने आज से तीन वर्ष पहले मांगा था और मुझे खुशी हुई कि आज वह मेरी मांग स्वीकार की जा रही है । मैं यह चाहूंगा कि चूंकि घूस देने वालों की संख्या अधिक होती है और घूस लेने वालों की संख्या कम होती है और चूंकि हमें ज्यादा को पकड़ने में असफल होने की संभावना रहती है और कम को पकड़ने में सफल होंगे, इसलिए हमें घूस लेने वालों को पकड़ने और उनको दंड दिलाने की ओर सारा ध्यान और शक्ति लगानी चाहिए और इस तरह मुझे पूरा यकीन है कि हम ब्राइबरी और करप्शन को बहुत हद तक दूर कर सकेंगे । इसके अलावा अगर आप घूस देने वालों को प्रोटेक्शन (संरक्षण) देंगे तो उससे आपको

ब्राइबरी और करप्शन केसेज को पकड़ने में आसानी होगी और भ्रष्टाचार के दूर होने में मदद मिलेगी। अभी आपका जो कानून है उस कानून के अनुसार सेशन कोर्ट में जो करप्शन और ब्राइबरी के केस जाते हैं, वे बड़े बड़े अफ़सरों के नहीं जाते, छोटे-छोटे कर्मचारियों के, किसी ने १ रुपया घूंस ली या किसी ने २ रुपये की रिश्वत ली है, इस तरह के पेट्टी केसेज़ (छोटे मुकदमे) सेशन कोर्ट में जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इस ओर देखा जाय और ऐसी व्यवस्था की जाय ताकि हम जो इस देश से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी खत्म करना चाहते हैं, उसमें सही माने में सफल हो सकें।

हरिजनों और आदिवासियों के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में या प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या क्या काम करने हैं और क्या क्या नहीं करने हैं उसके ऊपर विचार करने के लिए केन्द्रीय मूल्यांकन संगठन नियुक्त किया गया है और मैं सुनता हूं कि उसके अनुसार ९ असिस्टेंट कमिश्नर्स (सहायक आयुक्त) नियुक्त किये जायेंगे। मैंने सात साल तक देखा, मैं जानता हूं कि केन्द्रीय सरकार बहुत ही ज्यादा लिबरल है,बहुत ही ज्यादा उदार है और हम जानते हैं कि यहां पर सवर्ण हिन्दुओं और हरिजनों आदि में किसी भी प्रकार का भेदभाव देखने को नहीं मिलता परन्तु केन्द्रीय सरकार की तरह उदार मनोवृत्ति राज्य सरकारों की नहीं है और राज्य सरकारों का दृष्टिकोण कुछ और होता है और केन्द्रीय सरकार का दृष्टिकोण कुछ और। शेडयूल्ड कास्ट कमिश्नर की पावर्स बहुत लिमिटेड हैं (अनुसूचित जाति आयुक्तों की शक्तियां बहुत समिति हैं)असिस्टेंट शेडयूल्ड कास्ट कमिशनर्स को भी जो पावर्स दी गई हैं वे भी बहुत लिमिटेड हैं और उनकी ऐडवाइजरी पावर्स (मंत्रणा देने की) होती हैं और यह हर कोई जानता है कि प्रान्तीय सरकारें डेवलपमेंट (विकास) आदि दूसरे कार्यों में केन्द्रीय सरकार से कितना कोआपरेट करती हैं और मैं समझता हूं कि मुझे उसको यहां पर बतलाने की ज़रूरत नहीं है और शेडयूल्ड कास्ट कमिशनर की रिपोर्ट के पढ़ने से आपको मालूम हो जायगा कि उनको प्रान्तीय सरकारों से कितना सहयोग मिला है। सरकार को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि केन्द्रीय सरकार जो काम शेडयूल्ड कमिश्नर्स से कराना चाहती है, वह सफलतापूर्वक करा सके। और यह तभी हो सकता है जबकि उन शेडयूल्ड कास्ट कमिशनर्स को आप कुछ पावर्स दें।

इसके उपरान्त मैं मध्य प्रदेश के बाबत कहना चाहता हूं कि ऐसा इलाका है जहां पर अगर हरिजन और आदिम जातियों की संख्या का हिसाब लगाया जाय तो वह स्टेट की कुल जनसंख्या का दो पंचमांश बैठेगी। यहां पर अम्बिकापुर से जगदलपुर तक जो ४०० मील का फ़ासला है, इसके बीच में सीधा सम्पर्क स्थापित करने के लिये एक नेशनल हाइवे (राष्ट्रीय राजपथ) का निर्माण किया जाय, आज यह न होने से एक क्षेत्र के आदिवासी दूसरे क्षेत्र के आदिवासियों से मिल नहीं सकते और सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकते। सरकार इसके लिए अम्बिकापुर से जगदलपुर तक के लिए एक नेशनल हाइवे की घोषणा करे।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे पता चला है कि आदिवासियों को सरकार प्रशिक्षण देने के लिए और उनको रोजगार देने के लिए और अन्य कामों में दक्ष बनाने के लिए पोलिटेकनिक (विविध टेक्निकल विषयों) या दूसरे विषयों की एजुकेशन देने वाली है। मैं चाहता हूं कि एक पोलिटेकनिक इंस्टीच्यूट बिलासपुर या अम्बिकापुर में खोला जाय और मुझे यह पता चला है कि एक पौलिटेकनिक इंस्टीच्यूट के लिए सरकार १४, १५ लाख रुपया खर्च करती है, तो क्यों नहीं इसका लाभ उठाया जाय और क्यों नहीं बिलासपुर या अम्बिकापुर में एक पौलिटेकनिक इंस्टीच्यूट खोला जाय।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के हरिजन कल्याण मंडल और आदिमजाति कल्याण मंडल की पहली बैठक जो २० नवम्बर सन् १९५६ को हुई थी, उसके बाद से अभी तक उसकी

[श्री जांगड़े]

और कोई बैठक नहीं हुई है और न ही उसमें मैंने कोई प्रगति देखी। यह भी मालूम नहीं है कि हरिजन कल्याण बोर्ड या शड्यूल्ड ट्राइब्स कल्याण बोर्ड में वही पुराने मेम्बर्स बने हुए हैं या नये मैम्बर्स आ गये हैं, अगर नये बने हैं तो कब बने हैं, कब आयन्दा उनकी बैठक होगी और क्या उनका प्रारूप होगा, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं चला है। मैं समझता हूं कि यदि यह बोर्ड हम बनाना चाहते हैं तो उसे हमें क्रियाशील और प्रगतिशील बोर्ड बनाना चाहिए और केवल दिखावे और नाम के लिए ऐसा बोर्ड बना लेना मैं ठीक और उचित नहीं समझता हूं।

इसके उपरान्त मैं बतलाना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स के या दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लायीज डेपुटेशन (प्रत्यायोजन) पर यहां आते हैं उनकी क्या हालत है। मैं जानता हूं कि आज यहां पर राजस्थान या को ा के इलाकों या दूसरे इलाकों से जो तृतीय श्रेणी के कर्मचारी आए हुए हैं उनकी हालत बहुत खराब है। होम मिनिस्ट्री (गृह-कार्य मंत्रालय) रिकमेंड करती है कि अमुक व्यक्ति को असिस्टेंट बना दिया जाए, लेकिन कम्यूनिकेशन्स मिनिस्ट्री (संचार मंत्रालय) उसे डिक्लाइन (मना) कर देती है। आप दूसरों के लिए तो पोस्ट्स (पद) तक क्रिएट (बनाने) करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन ऐसे आदमियों को आप उन जगहों को देने के लिए तैयार नहीं होते।

इसी तरह से तृतीय श्रेणी के प्रमोशन्स (पदोन्नति) का सवाल है। रेगुलर चैनेल्स से केसेज (नियमित प्रणाली से मामले) आते हैं, हर एक डिपार्टमेंट से शिकायतें होती हैं, लेकिन उन को पब्लिक सर्विस कमीशन या विजिलेंस आफीसर का डील (द्वारा कार्य) करना मुश्किल होता है। इसके लिए एक स्क्रूटिनाइजिंग कमेटी (छानबीन समिति) होनी चाहिए जिसमें कुछ नानआफिशल्स (गैर-अधिकारी) भी हों। उसका चेअरमैन भी कोई नानआफिशल होना चाहिए ताकि तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की स्थिति, स्टेट और केन्द्र सभी, की स्थिति सुधर सके।

अब मैं मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। देश में क्षेत्रफल के अनुसार द्वितीय और जनसंख्या के अनुसार पांचवां स्थान उस का है। भिंड और मोरैना का नाम देश के सब लोग जानते हैं, वह डाकुओं का मशहूर क्षेत्र है। वहां डाकू कहां से आते हैं? हमारे माननीय गृह-मंत्री जो उत्तर प्रदेश से आते हैं जानते होंगे कि यह उत्तर प्रदेश के आगरा और इटावा जिलों की देन है। कहा जाता है कि वह किसी समय बड़े अच्छे राजपूत थे, जमींदार और बड़े ऊंचे खान्दान के हैं। मैं सुनता हूं कि इस वर्ष शायद हम ने अपराधों के सम्बन्ध में कुछ इम्प्रूवमेंट (सुधार) किया है, लेकिन भिंड मोरैना के इलाके में, सागर के इलाके में और दमोह के इलाके में अब भी डाकुओं का साम्राज्य है। दिन में हमारा राज्य होता है पर रात्रि में या अंधेरा हो जाने पर और जंगलों में उन का ही राज्य रहता है। डाकू मान सिंह के मर जाने के बाद भी सूरत सिंह, रूपा, मूरत सिंह और देवी सिंह जैसे डाकू वहां अब भी विद्यमान हैं, उन को समाप्त नहीं किया गया है।

मैं मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में यह भी कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश केन्द्रीय सरकार की देन है। मध्य प्रदेश के अन्दर केन्द्रीय शासन इस बात के लिए जवाबदेह है कि नागपुर जैसी कैपिटल (राजधानी) होते हुए, ग्वालियर जैसी कैपिटल के होते हुए, हमने भोपाल को राजधानी बनाया है। भोपाल की हालत आज क्या है? वह रायपुर जैसा एक नगण्य शहर है। चंडीगढ़ को राजधानी बनाने के लिए १६ करोड़ रुपए दिए गए। जिस समय हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री भोपाल में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि भोपाल द्वितीय नम्बर का चंडीगढ़ बने। लेकिन भोपाल के लिए क्या हुआ? भोपाल में आज तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के निवास के लिए कोई स्थान नहीं है। मध्य प्रदेश में तीन-तीन सालों से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए यहां बोले कौन? उन की परवाह किस को है? आज सब जगहों के एम० पी०

(संसद् सदस्य) अपने अपने यहां के लिए बोलते हैं, लेकिन मैं किसी भी राज्य मध्य प्रदेश के एम० पी० को बोलते हुए और अपने यहां के लोगों के लिए आवाज उठाते हुए नहीं देखता।

हमारे लिए एक और दुर्भाग्य का विषय है। न सन् १९५० में, न सन् १९५२ में और न ही सन् १९५७ में मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति केन्द्रीय मंत्रिमंडल में पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी (सभासचिव) हुआ, न डिप्टी मिनिस्टर (उपमंत्री) हुआ, न स्टेट मिनिस्टर (राज्य मंत्री) हुआ और न कैबिनेट (मंत्रीपरिषद्) मिनिस्टर हुआ। क्या मध्य प्रदेश के लोग इतने निकम्मे हैं कि वहां का कोई व्यक्ति यहां मिनिस्टर न बन सके। बम्बई के लोग हो सकते हैं, उड़ीसा के लोग हो सकते हैं, कैरल के लोग हो सकते हैं, लेकिन एक मध्य प्रदेश के ही आदमी कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में नहीं हो सकते। इस सम्बन्ध में मैं अपने केन्द्रीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की ओर वे ज्यादा ध्यान दें ताकि मध्य प्रदेश की विशेष नुमाइन्दगी हो सके।

मैं दो विषयों पर और कुछ कहना चाहता हूं। मि० अपेल्वी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश में एक इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन (लोक प्रशासन प्रतिष्ठान) कायम किया जाय तो बहुत ही अच्छा होगा। देश के विभिन्न राज्यों और केन्द्र के सभी मंत्रालयों में जो बड़े-बड़े आफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, राज्यों के अधिकारी और मिनिस्टर्स हैं, उनका एक फोरम (मंच) हो, जहां सब मिल कर बैठें और अपने विचारों का आदान-प्रदान करें। तभी देश में युनिफार्मिटी (एकरूपता) आ सकती है। युनिवर्सिटि स्टेज (विश्वविद्यालय के स्तर) पर भी एक फोरम होना चाहिए।

इसी तरह से मैं बड़े आफिसर्स की तनख्वाहों को लेना चाहता हूं। आज देखने में आता है कि राज्य में और केन्द्रीय सरकार में भी बहुत से बड़े-बड़े आफिसर्स हैं जो बड़ी-बड़ी तन्ख्वाहें लेते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर तो २२०० रु० में गुजर करते हैं, लेकिन बड़े-बड़े आफिसर्स हैं जो तीन-तीन और चार-चार हज़ार रुपए लेते हैं। यह तो हमारे देश का नैतिक स्तर है कि जब बड़े-बड़े आफिसर्स इतनी तन्ख्वाहें पाते हैं तब हमारे यहां तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लोग ५५ और ६० रु० पाते हैं। इस से लोगों में भेद बढ़ता है और एक तरह की लैंडलार्ड और टिनेंट (भूस्वामी और किसान) की भावना पैदा होती है। मैं चाहता हूं कि इस भावना को ठीक करने के लिए केन्द्रीय शासन और राज्य शासनों के जितने बड़े पदाधिकारी हैं उन की न्यूनतम तन्ख्वाहें बांध दी जाएं। दो या ढाई हजार से ज्यादा किसी को न मिले। हमारे प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा तन्ख्वाह किसी की नहीं होनी चाहिए। तभी हम देश में एक सुन्दर नैतिक स्तर पैदा कर सकते हैं। इस चीज़ को यहां पर कई बार दोहराया गया पर न जाने हमारे गृह मंत्री और हमारा शासन क्यों इस को स्वीकार नहीं करता। हमारे होम मिनिस्टर जब ढाई हजार रुपए में रह सकते हैं, मंत्री रह सकते हैं, एम० पी० रह सकते हैं, तब क्यों हमारे बड़े बड़े आफिसर इतनी तन्ख्वाह में नहीं रह सकते ?

मैंने देखा है कि बड़े-बड़े पब्लिक स्कूल्स में मेरिट स्कालर्शिप्स (छात्रवृत्तियों) के लिए बड़े-बड़े अफसरों के लड़के ही प्रवेश पा सकते हैं। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लोगों को उस में जाने का अवसर नहीं मिलता है। इन स्कूलों का जीवन बड़ा खर्चीला होता है इसलिए बड़े-बड़े ही आदमी अपने बच्चों को भेज सकते हैं और नतीजा यह होता है कि अफसरों की जगह अफसरों के लड़के ही ले पाते हैं। एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स में गरीब आदमियों के लड़के नहीं पढ़ते, एम० पी० के लड़के नहीं पढ़ते, सिर्फ बड़े अफसरों के लड़के पढ़ते हैं। मैं जानता हूं कि जितने भी टेकनीकल एजुकेशन के इंस्टिट्यूशन्स हैं, पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन के इन्स्टिट्यूशन्स हैं, उन का फायदा गरीब लोग तभी उठा सकते हैं जब कि बड़े आफिसर्स की तनख्वाहों को हम कम करें और एक नैतिक स्तर भी हम तभी पैदा कर सकते हैं।

†श्री नाना काटिज (सतारा) : सरकार ने मराठी और गुजराती भाषा-भाषियों के प्रति गम्भीर अन्याय किया है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने १९२० में भाषावार प्रान्तों के सिद्धान्त को अपनाया था। १९२४ की बेलगांव कांग्रेस में उसका प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था। कांग्रेस ने अपने १९४५ के निर्वाचन सम्बन्धी घोषणापत्र में भी इसका वचन दोहराया था।

आज भारत में अधिकांश प्रांत भाषा के आधार पर बना दिये गये हैं, लेकिन संयुक्त महाराष्ट्र और महागुजरात की ही समस्या का हल नहीं किया गया है।

संयुक्त महाराष्ट्र के निर्माण में बम्बई नगर ही एक अड़चन बन रहा है। बहुत पहले, १३ दिसम्बर, १९४८ को प्रकाशित धर आयोग के प्रतिवेदन में ही, राज्यों के पुर्नगठन से बहुत पहले ही, यह राय व्यक्त की गई थी कि बम्बई को संयुक्त महाराष्ट्र में सम्मिलित नहीं करना चाहिये। ५ अप्रैल, १९४९ को प्रकाशित, कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं के आयोग के प्रतिवेदन में भी ऐसी ही सिफारिश की गई थी। यदि बम्बई संयुक्त महाराष्ट्र का अविभाज्य अंग होता, तो संयुक्त महाराष्ट्र और महागुजरात की स्थापना बहुत पहले ही हो जाती। मराठी भाषा-भाषियों को दो भाषीय राज्य में रखने का कोई भी औचित्य नहीं है।

हम आशा लगाये थे कि कांग्रेस अपने ३० वर्षों पुराने वचनों को निभायेगी। लेकिन, देश के स्वतंत्र होते ही कांग्रेस ने अपना मत बदल दिया। केवल एक मराठी भाषा-भाषी ही क्यों इस अन्याय के शिकार बनाये गये हैं?

इसीलिये मराठी भाषा-भाषियों ने बम्बई नगर के साथ संयुक्त महाराष्ट्र की स्थापना के लिये एक शान्तिपूर्ण और लोकतांत्रिक संघर्ष छेड़ा था। इसी के दौरान में, प्रधान मंत्री ने १६ जनवरी, १९५६ को रेडियो पर घोषणा की थी कि बम्बई को केन्द्र द्वारा प्रशासित किया जायेगा। साथ ही संयुक्त महाराष्ट्र आन्दोलन के कुछ नेताओं को नज़रबन्द कर लिया गया था। आन्दोलन का दमन करने की कोशिश की गई, जनता पर गोलियां चलाई गईं, लेकिन उससे आन्दोलन और भी भड़क उठा था। १७ से २३ जनवरी तक बड़ा ही दुराशयपूर्ण और भंयकर दमन हुआ था।

उसका उद्देश्य था मराठी-भाषा-भाषियों को घुटने टेकने के लिये विवश करना। सरकार ने ये वीभत्स कृत्य बदले की भावना से किये थे। सौ से अधिक व्यक्ति इसके फलस्वरूप मृत्यु के शिकार बने थे। इसकी न्यायिक जांच की जानी चाहिये।

मराठी और गुजराती भाषा-भाषियों के बीच झगड़े का बहाना लेकर सरकार ने संयुक्त महाराष्ट्र की उचित मांग को ठुकरा दिया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी यही चाल चलता था। मैं पूछता हूं कि इस झगड़े का दायित्व किस पर है? उसे कांग्रेस सरकार ने ही उत्तेजना दी है।

हम से कहा जाता है कि भाषावार आधार पर राज्यों का गठन करने से देश में पृथकत्व की भावना पैदा होती है। लेकिन १३ अन्य भाषावार राज्यों के निर्माण से तो पृथकत्व की भावना पैदा नहीं हुई है।

अब भी बम्बई समेत संयुक्त महाराष्ट्र की स्थापना की मांग को माना जा सकता है। यदि सरकार यह मांग नहीं मानेगी, तो हमें विवश हो कर फिर एक शान्तिपूर्ण संघर्ष छेड़ना पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र की जनता ने बम्बई और बेलगांव सहित संयुक्त महाराष्ट्र की स्थापना के लिये अपना रक्त बहाया है। हम अपना यह आन्दोलन चलाते रहेंगे, दोभाषिये राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : एक बात मैं माननीय सदस्य के लिये और बाकी हाउस के लिये भी कह देना चाहता हूं। जब कोई माननीय सदस्य अपनी भाषा में बोलते हैं जो कि हिन्दी और अंग्रेजी से अलाहिदा होती है तो वे अपने भाषण का तर्जुमा अंग्रेजी में यहां देते हैं जो कि डिबेट्स (वाद-विवाद) में शामिल हो जाता है। अब अगर माननीय सदस्य बाहर जा कर प्रेस को यह दूसरी जगह ब्यान दें कि उन्होंने हाउस में यह बोला था, तो उनके ऊपर उस तर्जुमे की पाबन्दी होगी, उनका वह बयान उस तर्जुमे के मुताबिक होना चाहिये। अगर उन्होंने यहां अपनी भाषा में बोलते हुए कोई शब्द इससे बाहर के कहे हों या इससे ज्यादा कहे हों तो उन शब्दों को पब्लिसिटी (प्रचार) नहीं मिलनी चाहिये, उनको उसके बाहर नहीं जाना चाहिये। उनके ऊपर उस बयान की पाबन्दी है जिसका तर्जुमा उन्होंने दिया है। इस बात का उनको लिहाज रखना होगा।

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना) : निर्वाचन के परिणाम से स्पष्ट है कि न तो महाराष्ट्र और न गुजरात की ही जनता बम्बई के निर्णय से प्रसन्न है।

कांग्रेस ने गुजरात में वोट लेने के लिये पूंजीवादी तरीके अपनाये थे। बड़ौदा में कांग्रेस ने बड़ौदा के महाराजा की शरण ली थी।

निर्वाचन के लिये कांग्रेसी मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों ने दौरे किये थे। इसलिये हमें कम सीटें मिल पाई हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि गुजरात की जनता महागुजरात नहीं चाहती।

मैं तो एक सीधा सा प्रश्न पूछता हूं। क्या मराठी और गुजराती भाषा-भाषियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध एक राज्य में रखने से राष्ट्र का भला हो सकेगा?

कांग्रेस और केन्द्रीय सरकार ने पहले निर्णय कर दिया था कि बम्बई का एक अलग राज्य बनाया जायेगा। उसे कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया? यह सरकार की ही कमजोरी का फल है, और सरकार की कमजोरी का दण्ड गुजरात और महाराष्ट्र की जनता पर न थोपा जाये।

बम्बई की समस्या को हल करने का दायित्व केन्द्रीय सरकार और कांग्रेस पार्टी पर ही है। यदि सरकार महागुजरात जनता परिषद् और संयुक्त महाराष्ट्र समिति के परस्पर समझौते से किये गये निर्णय को मानने पर तैयार हों, तो हम साथ बैठकर निर्णय कर सकते हैं। क्या सरकार उसे स्वीकार करेगी? हम तो इसके लिये तैयार हैं ?

सरकार को हर बार यह नहीं कहना चाहिये कि गुजरात की जनता बम्बई के महाराष्ट्र में मिलाने के विरुद्ध है। यदि केवल यही एक अड़चन है, तो आप बम्बई को महाराष्ट्र में मिला दीजिये। आप अपना शासन रखने के लिये दोनों में फूट पैदा न कीजिये।

दोनों को इस प्रकार एक साथ रख देने का फल यह हुआ है कि इस एक दो भाषीय राज्य में ही विदर्भ, मराठवाडा, सौराष्ट्र और हैदाराबाद आदि की भिन्न-भिन्न प्रकार की विधियां प्रचलित हैं। इससे राज्य का प्रशासन सुचारू रूप से नहीं चल सकता। वहां विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के विधान और कराधान मौजूद हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पु० र० पटेल]

मैं इससे सहमत नहीं हूं कि भाषावार आधार पर राज्यों के निर्माण से देश को हानि होगी। गांधी जी भी भाषावार आधार को मानते थे।

बम्बई की समस्या को और अधिक पेचीदा केन्द्रीय सरकार ने ही बनाया है। दमन के कारण ही समस्या और भी उलझ गई है।

महागुजरात परिषद् को चुनाव में हराने के लिये नजरबन्दी कानून का दुरुपयोग किया गया था। उसके कार्यकर्त्ताओं पर जनता को हिंसा के लिये भड़काने के आरोप लगाये थे।

चुनाव के समय अध्यापकों और सरकारी कर्मचारियों से भी कांग्रेस के पक्ष में काम कराया गया था। इस समस्या का हल करना आवश्यक है। नहीं तो दोनों जनता के बीच यह आग कभी भी भड़क सकती है।

**श्री हेडा** (निज़ामाबाद) : मुझ से पहले के दोनों वक्तव्यों ने यह बात ध्यान में नहीं रखी है कि उस समय सरकार के सामने इसके सम्बंध में विभिन्न प्रस्ताव रखे गये थे। उन सभी पर चर्चा करने के बाद, सभा ने महसूस किया था कि मामले में गतिरोध पैदा हो गया है। तब विभिन्न दलों के २०० सदस्यों ने ही यह सूत्र तैयार किया था और सभा उससे सहमत हो गई थी।

इसलिये यह निर्णय सरकार ने नहीं किया था। बहुत सारे सदस्यों ने उनकी एक भारी संख्या ने गहरे चिन्तन के बाद ही यह सूत्र निकाला था। इसलिये, उस निर्णय का दायित्व समूची सभा पर ही है। और, यह सभा समूचे देश की प्रतिनिधि है।

मुझसे पहले वक्ता ने कहा था कि बम्बई को महाराष्ट्र में मिला देने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें बम्बई के पृथक् राज्य, या उसके केन्द्र द्वारा प्रशासित होने पर भी कोई आपत्ति नहीं है। वे चाहते हैं कि गुजरात एक अलग राज्य रहे। लेकिन, समूचे देश की इच्छा यही है कि वे एक दोभाषीय राज्य में रहें।

माननीय सदस्य ने सभा में यह निर्णय अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर ही किया था। यह समूचे देश का मसला है। उन्हें चाहिये यह कि वे इस समूची सभा को अपने दृष्टिकोण से सहमत बना लें, और सभा में अपना बहुमत बना लें। तभी यह निर्णय बदला जा सकता है।

निर्णय समूचे देश का है, इसलिये उसका परीक्षण करना आवश्यक है। यह नहीं किया गया है। विभिन्न समितियों, संगठनों और व्यक्तियों ने अपनी अपनी योजनायें रखी थीं। संसद् के निर्णय के शीघ्र बाद ही चुनाव आ गये थे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

---

## पूर्वोत्तर रेलवे में से नये रेलवे महाखंड का निर्माण

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करेगी।

**पंडित द्वा० ना० तिवारी** (केसरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि नार्थ ईस्ट्रन रेलवे (पूर्वोत्तर रेलवे) के दो हिस्से किये जायें और एक आसाम ज़ोन बनाया जाय,

---

†मूल अंग्रेजी में

लेकिन इस का कोई भी विस्तारपूर्वक विवरण अभी प्रकाशित नहीं हुआ। इस लिये इस संबंध में तरह तरह की अटकलबाज़ियां हो रही थीं। उस दिन रेलवे के अनुदानों की मांग के समय मंत्री महोदय ने घोषणा की कि एक आसाम ज़ोन (महा खंड) बनने जा रहा है, जिस का केन्द्र पांडू में होगा। लेकिन उस समय यह नहीं बताया गया था कि उस का विस्तार कहां तक होगा। तारांकित प्रश्न संख्या २९३ के उत्तर में नायब (उप) मंत्री जी ने कहा कि इसका विस्तार बरौनी तक आ जायगा। इससे बिहार में बड़ी हलचल मची। बिहार और खास तौर से नार्थ बिहार शासन की ओर से सदा उपेक्षित रहा है। जब जब कोई ऐसा मामला आया, तो बिहार की पब्लिक ओपीनियन (लोकमत) का या बिहार सरकार के आवेदन का कोई भी ख्याल नहीं किया गया। जिस वक्त रेलवे का ज़ोनल सिस्टम (जोनीय प्रणाली) बन रहा था, उस वक्त गोरखपुर नार्थ ईस्ट्रन रेलवे का केन्द्र बनाया जाय, या कलकत्ता बनाया जाय, इस संबंध में यू० पी० और बंगाल के चीफ़ मिनिस्टरों में बड़ी लड़ाई चली। पोलीटिकल ग्राउंड (राजनीतिक आधार) पर कलकत्ता को केन्द्र बनाया जाने वाला था, लेकिन अन्त में गोरखपुर को ही बनाया गया। उस के बाद जब क्लेम सैक्शन (दावा विभाग) की बात चली, तो उस को कलकत्ता में रखने का विचार किया गया, लेकिन बहुत विरोध के बाद उस को गोरखपुर में रखा गया। जब ईस्ट्रन रेलवे को दो भागों में विभक्त किया गया, तो यह उचित था कि बिहार में ही—और खास तौर से पटना में— उस का हैडक्वार्टर रखा जाता। अगर माइलेज (मीलों के विस्तार) की दृष्टि से देखा जाय, या केन्द्र का हिसाब लगाया जाय, तो यही उचित था कि पटना में केन्द्र होता, लेकिन उस वक्त भी बिहार की उपेक्षा की गई। कारण यह है कि बिहार एक शांतिप्रिय प्रदेश है और वह गांधी जी के रास्ते पर चलता है और बहुत चीं-चपड़ करना नहीं जानता है। आपने देखा होगा कि तेल का कारखाना बरौनी में बने, या और कहीं बने, इस संबंध में बिहार ने कोई डिमांड (मांग) पेश नहीं की और न ही उसे इस संबंध में कोई आपत्ति है। एक्सपर्ट्स (विशेषज्ञों) की राय पर ही यह तय किया गया कि उस को बरौनी में बनाया जाय, लेकिन बाद में उस के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू कर दिया गया। हमें इस बात की जरूरत नहीं है कि सब चीजें बिहार में ही रखी जायें, लेकिन बिहार की कास्ट (कीमत) पर, उस की उपेक्षा और हानि कर के कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिये। दूसरे प्रदेशों में अच्छी-अच्छी योजनायें बनाई जायें, अच्छे अच्छे कार्य किये जायें, हमें उस में कोई आपत्ति नहीं है। आसाम के लिये अलग रेलवे क्षेत्र हो, उस का केन्द्र पांडू हो या सिलिगुड़ी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा कहना तो यह है कि इस प्रकार के मामले पोलीटिकल ग्राउंड्ज़ पर—राजनीतिक दृष्टिकोण से—तय नहीं किये जाने चाहियें। अगर आप इस प्रश्न को इस दृष्टि से देखें कि इस क्षेत्र को या केन्द्र को कहां रखना उचित है, ताकि उस की व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके, तो इसमें बिहार को कोई उज्र नहीं होगा और न ही किसी को उज्र होना चाहिये। मेरी राय में तो नया क्षेत्र बनाना ही नहीं चाहिये था, क्योंकि जिस वक्त रीग्रुपिंग (पुनर्समूहीकरण) हुई, तो वह इस बिना पर हुई कि खर्च कम होगा, और एक कम्पेक्ट एरिया होगा, जिसके प्रशासन में सुविधा होगी। आप जानते हैं कि नार्थ ईस्ट्रन रेलवे का नाम पहले ओ० टी० आर० रेलवे था और वह बी० एन० डब्ल्यु० रेलवे का एक हिस्सा था, जिस का लोगों ने एक अलग ही नाम रख छोड़ा था—अर्थात् बी० के लिये बेहूदा, एन० के लिये नालायक और डब्ल्यु के लिये वाहियात। इस नामकरण से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि वह रेलवे कितनी खराब रही होगी और नार्थ (उत्तर) बिहार के लोगों को उससे कितनी असुविधा होती होगी। नार्थ बिहार एक बाटल-नैक (गतिरोधकर क्षेत्र) है। वहां पर जीवन-सुविधा की हर एक वस्तु बड़ी मुश्किल से मिलती है और बहुत महंगे दामों पर मिलती है। साउथ (दक्षिण) बिहार में सीमेंट का दाम पांच रुपये है, तो नार्थ बिहार में छः रुपये है। साउथ बिहार में कोयले का भाव एक रुपया है, तो नार्थ बिहार में डेढ़ रुपया है। वहां पर ट्रांस्पोर्ट (परिवहन) की बड़ी दिक्कत है और यात्रियों की सुविधा की कोई चीज वहां उपलब्ध नहीं है।

[पंडित द्वा० ना० तिवारी]

जब मैंने कहा कि दस वर्ष के बाद भी नार्थ ईस्ट्रन रेलवे और खास तौर पर नार्थ बिहार के क्षेत्र में रेलवे की सुविधायें उतनी उन्नत न हो सकेंगी, जितनी कि और रेलवेज़ में हैं, तो रेलवे मिनिस्टर महोदय ने इस बात को कबूल किया और कहा कि वह इस बारे में प्रयत्न करेंगे। हम लोगों को आशा थी कि मुकामा पुल बनने के बाद कुछ दिक्कत दूर हो जायगी, लेकिन मालूम होता है कि नार्थ बिहार के भाग्य में यह सुविधा नहीं है। मुकामा का प्रशासन पांडू से किया जायगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अच्छे दिनों में भी मुकामा से पांडू आने जाने में तीन दिन लगेंगे और अगर बरसात हो गई और लाइन ढह गई, तो एक हफ्ता लग जायगा। यद्यपि क्षेत्रीय प्रशासन इस बिना (आधार) पर हुआ था कि इकानोमी (मितव्ययता) होगी, कम्पेक्टनैस होगी और प्रशासन में सुविधा होगी, लेकिन अब पांडू रिजन (प्रदेश) के बनने से सब कुछ समाप्त हो रहा है। कम्पेक्टनैस (सुगठन) टूट रही है। प्रशासन में जो सुविधा होती, वह भी खत्म हो रही है और जो खर्च कम हुआ था, वह अधिक बढ़ जायगा। हम तो यह देख रहे हैं कि रेलवे में बराबर एक्सपैरिमेंट (परीक्षण) हुआ करते हैं। एक दफ़ा क्लासिफ़िकेशन (वर्गीकरण) का एक्सपेरिमेंट हुआ था —फर्स्ट क्लास, सैकंड क्लास, स्पैशल सैकंड क्लास वगैरह बनाये गये और उसमें खर्चा हुआ, आमदनी घटी और फिर उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। फिर रीग्रुपिंग हुआ। ज़ोनल सिस्टम लागू किया गया। उसको तोड़ कर डिविज़नल सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट सिस्टम लागू कर दिया गया। हमारा कहना तो यह है कि पांडू में एक पूरा डिस्ट्रक्ट बना दीजिये, डिविजन बना दीजिये, डिप्टी जेनरल मैनेजर बना दीजिये, उसको पावर्ज डेलीगेट (शक्तियां प्रत्यायोजित) कर दीजिये। जो चाहे कर दीजिये, लेकिन बिहार को टुकड़ों में बांट देने का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार बिहार में चार रेलवेज़ हो जायेंगी—ईस्ट्रन रेलवे (पूर्वी रेलवे) नार्थ ईस्ट्रन रेलवे (पूर्वोत्तर रेलवे) नार्दर्न रेलवे (उत्तर रेलवे) और आसाम रेलवे मान लीजिये कि बरौनी के लोगों को टाटानगर से कोई सामान मंगाना है और वह रास्ते में कहीं गुम हो जाय, तो उन लोगों को उस सामान के लिये या उसके कम्पेन्सेशन (प्रतिकर) के लिये चार रेलवेज़ से लिखा-पढ़ी करनी पड़ेगी। एक क्षेत्र होने से यातायात में सुविधा होती है। अगर प्रांत चार क्षेत्रों में बंट जायगा, तो लोगों को कितनी दिक्कत होगी। मैं समझता था कि जो पहले रेलवे मंत्री थे, वे बिहार की दिक्कत को नहीं जानते थे, लेकिन हमारे वर्तमान रेलवे मंत्री चूंकि बिहार के हैं और वह मुज़फ्फरपुर, पटना, दरभंगा गये हुये हैं, इसलिये वह नार्थ बिहार की दिक्कतों को अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन न मालूम क्यों—शायद वह वहां के लोगों का दुर्भाग्य है—जो कोई भी आता है, उस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। अगर आप ने पांडू को बनाना है, तो बना दीजिये। बिहार का हिस्सा गोरखपुर से इधर १६००, १७०० मील रह जाता है। उसको अलग ज़ोन बना दीजिये। आपने पहले छः ज़ोन बनाये थे और फिर सात बना दिये। अब आठवां ज़ोन बनने जा रहा है। अगर आप नौ ज़ोन बना देंगे, तो कोई हानि नहीं हो जायगी। आप ने ईस्ट्रन ज़ोन का माइलेज पांच छः हजार रखा था।

**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : मैं यह कह रहा था . . .

**उपाध्यक्ष महोदय** : अगर माननीय सदस्य उखर चाहते हैं तो अब वह अपनी स्पीच खत्म कर दें।

**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : मैं नौ मिनट तक बोला हूं और तीन चार मिनट में खत्म किये देता हूं।

करीब पांच और छः हजार मील के बीच में उस ज़ोन का एरिया (क्षेत्रफल) था। लेकिन जब ईस्ट्रन ज़ोन हुआ, तो उसका २३०० मील का एरिया है। जब आप २३०० मील के एरिया के लिये एक ज़ोन बना सकते हैं तो १७–१८०० मील के लिये भी बना दीजिये।

†मूल अंग्रेजी में

**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : १७०० मील कहां पर ?

**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : गोरखपुर से लेकर कटिहार और फकीराग्राम तक। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो क्रम से फकीराग्राम का जो स्थान है उसका पश्चिम आप गोरखपुर में आने दें और मुकामाघाट और बरौनी को भी इसके साथ ही साथ गोरखपुर में आने दें। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि लोगों को इससे सुविधा होगी। इसके साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स को आप डिविज़नल हैडक्वार्टर्स के बराबर की पावर्ज दे दें। दो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स समस्तीपुर और सोनपुर पहले गोरखपुर के अधीन थे और उनको आप पूरी पूरी पावर्स देकर अपना काम सुविधाजनक ढंग से चला सकते हैं। जिस तरह से आसाम वाले आपका अधिक खर्चा करा रहे हैं उस तरह से इसका यह मतलब नहीं है कि मैं भी आपका अधिक खर्चा कराऊं। मैं आपका कोई अधिक खर्चा नहीं चाहता हूं। लेकिन हमारी सुविधा को ध्यान में रखते हुये, नार्थ बिहार की सुविधा को ध्यान में रखते हुये और बिहार जो तितर-बितर हो गया है, उसको एक साथ बनाये रखने के लिये आप ऐसा करें कि फकीराग्राम से इधर गोरखपुर में आने दें तथा बरौनी और मुकामाघाट को गोरखपुर के साथ मिला दें और सारे नार्थ बिहार को एक साथ रखें जिससे जो वहां पर यातायत का डिफिकल्ट प्राब्लैम (कठिन समस्या) है वह आसानी से सुलझ सके।

**श्री विभूति मिश्र** (बगहा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के पास लिख कर एक पत्र भी भेजा है जिस में मैंने उनसे प्रार्थना की है कि यह जो आसाम ज़ोन (महाखंड) बनाया जा रहा है और जो हिस्सा आसाम में लिया जा रहा है ; और पूर्वोत्तर रेलवे के अवशेष भाग में जिस एरिया (क्षेत्र) को रखा जा रहा है, और किस २ एरिया को और कहां रखा जाये, इस बारे में उस एरिया के जो मैम्बर पार्लियामेंट हैं, उनसे सलाह मश्विरा कर लिया जाये और किसी एग्रीड डिसिशन (सहमतिपूर्ण निर्णय) पर पहुंचा जाय तो अच्छा होगा। यहां पर बहस के लिये बहुत थोड़ा समय निर्धारित किया गया है और इसमें किसी किस्म का फैसला हो सकने की सम्भावना बहुत कम है। अधिकार आपके हाथ में हैं और मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि आप जो एफेक्टिड (इससे प्रभावित होने वाले) लोग हैं उन सब को बुलाकर कोई ऐसा हल ढूंढिये जिससे कि सबको सुविधा हो।

एक हैडक्वार्टर सोनपुर में है और दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है वह समस्तीपुर में है लेकिन हम लोग जो चम्पारन जिले के हैं और जो गरीब आदमी हैं वे मारे जाते हैं। जो मुजफ्फरपुर है वह बीच में पड़ता है। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर मेरा जिला नहीं है लेकिन वह बीच में था और उसके बारे में भी कोई विचार नहीं किया जा रहा है। हम चम्पारन से आते थे, समस्तीपुर दरभंगा से आते थे, सोनपुर से आ जाते, सब एक जगह आ जाते थे। डिविज़नल कमिश्नर का हैडक्वार्टर तिरहुत में है। उसको आप खत्म कर रहे हैं। छपरा वाले चाहते हैं कि सोनपुर में रहें, दरभंगा और मुजफ्फरपुर वाले चाहते हैं कि समस्तीपुर में रहें, लेकिन जो चम्पारन वाले हैं वे मारे जाते हैं। मैं चाहता हूं कि डिविजनों वाली जो स्कीम (योजना) है वह पूर्वोत्तर रेलवे में भी कायम रहे और उसी तरह से वहां पर भी लागू हो जिस तरह से और रेलों पर है और मुजफ्फरपुर में उसका हैडक्वार्टर रहे।

अब मैं एक बात पूर्वोत्तर रेलवे की सर्विस कमिशन (सेवा आयोग) के बारे में कहना चाहता हूं। यह कमिशन अलाहाबाद में है और कलकत्ता में भी। लेकिन हम लोग जो बिहार वाले हैं और जिन की आबादी करीब चार करोड़ की है उनको इनसे कोई लाभ नहीं हो रहा है और वहां पर आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है। इस बारे में मैं चाहता हूं आप ध्यान दें और हमारी मदद करें। दिल्ली भारत का कैपिटल है और जिस तरह से यहां पर हर प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं

[श्री विभूति मिश्र]

उसी तरह से जो लोग दूर रहते हैं उनको भी सब प्रकार की सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिये। मैं मांग करता हूं कि एक सर्विस कमिशन जोकि पूर्वोत्तर रेलवे के लिये हो उसक स्थापना की जाये और उसकी स्थापना मुजफ्फरपुर में हो।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो डिविजनल हैडक्वार्टर बने वह मुजफ्फरपुर में बने और कौन एरिया आसाम में रहेऔर कौन बाहर जाये, इसके संबंध में, मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि उस एरिया के जो एम० पी० हों उनसे सलाह करके अगर किसी फैसले पर पहुंचा जाये तो अच्छा होगा। हमें देखना चाहिये कि इधर के लोगों को तथा उधर के लोगों को कोई दिक्कत न हो। कटिहार यदि आसाम में चला जाये तो हर्ज है। उसको गोरखपुर में रहना चाहिये।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : पूर्वोत्तर रेलवे को दो महाखंडों में बांटने का यह निर्णय मई १९५७ में किया गया था, लेकिन इसमें इतना विलम्ब क्यों हुआ है?

इस नये महाखंड के मीलों का विस्तार कुल २,००० मील ही होगा, जबकि अन्य महाखंडों का विस्तार ६,००० मील तक पहुंचता है। पता नहीं इस नये महाखंड के निर्माण का निर्णय क्यों किया गया है। वह अन्य महाखंडों से मेल नहीं खायेगा।

इस नये निर्मित महाखंड में डिविजनल प्रणाली चालू की जायेगी, या डिस्ट्रिक्ट प्रणाली, जिला प्रणाली? प्राक्कलन समिति की छोटे-छोटे खंड बनाने की दो वर्ष पूर्व की सिफारिशें अब किस अवस्था में हैं?

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : सरकार ने रेलवे के पुनर्समूहीकरण का यह प्रश्न फिर से क्यों उठाया है? पूर्वोत्तर रेलवे को शाखाओं में बांटने का निर्णय क्यों किया गया है? क्या इसमें कठिनाई नहीं होगी? क्या इस रेलवे के कर्मचारियों का स्थानान्तरण नहीं करना पड़ेगा? उससे उन्हें कठिनाई नहीं होगी?

अब सरकार डिविजन बनाने की प्रणाली के पक्ष में है या पहले की भांति डिस्ट्रिक्ट बनाने के पक्ष में? मैं श्री विभूति मिश्र के सुझाव से सहमत हूं कि क्षेत्र विशेष के संसद् सदस्यों, विधान मंडल के सदस्यों और व्यापार तथा वाणिज्यिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मंत्रणा की जानी चाहिये थी। क्या सरकार इसे उचित नहीं समझती?

**श्री जगजीवन राम** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। यह बता देना आवश्यक है कि इस निश्चय पर पहुंचने की जरूरत किस तरह से पैदा हुई। जो आजकल नार्थ ईस्टर्न रेलवे है इस में पहले कई एक रेलवेज थीं। पहले ओ० टी० रेलवे थी, आसाम रेलवे थी और मथुरा की तरफ एक छोटी लाइन थी। इन सब को मिला कर एक क्षेत्र बनाया गया। उस के बाद इस का काम ठीक से चल सके इसलिये इस में रीजनल सिस्टम भी लाया गया और कुछ उपक्षेत्र बनाये गये। एक उपक्षेत्र मुजफ़्फ़रपुर में था। लेकिन यह अनुभव हुआ कि इस उपक्षेत्र का निर्माण करने के बाद भी रेलवे का काम जिस दक्षता के साथ होना चाहिये वैसा नहीं हो रहा था। उस के बाद डिवीजन बनाने का भी निर्णय किया गया। लेकिन आसाम की अपनी एक निराली परिस्थिति है जिस का सम्बन्ध सिर्फ आसाम के साथ ही नहीं है बल्कि जिस का असर सारे देश पर पड़ता है। आसाम का एक स्ट्रेटिजिक इम्पारटेंस (सामरिक महत्व) बन गया है, और यह आवश्यक था कि आसाम का सम्बन्ध देश के दूसरे हिस्सों के साथ ऐसा बनाया जाये कि आवश्यकता पड़ने पर हम आसाम से देश के दूसरे हिस्सों में या देश के दूसरे हिस्सों से आसाम में तेजी के साथ यातायात का प्रबन्ध कर सकें। हम चाहते हैं कि ऐसा प्रबन्ध हो कि

†मूल अंग्रेजी में

यातायात में कोई रुकावट न हो। आसाम के लोगों की जो राजनीतिक भावना है उस का स्थान इस निर्णय करने में गौण है। वह मुख्य विषय नहीं हो सकता। और मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि जो मैं ने यह निश्चय किया है कि उस में आसाम की राजनीतिक भावना का ख्याल नहीं रखा है बल्कि देश की राजनीतिक परिस्थिति का ध्यान जरूर रखा है और किसी भी रेलवे का विस्तार करने में या उसको मजबूत करने में यह विचार तो हम को अपने सामने रखना ही पड़ता है कि सारे राष्ट्र पर इस का क्या असर पड़ता है। यह देखा गया कि हम आसाम रेलवे को सुदृढ़ नहीं कर सकते अगर आसाम के साथ उस रेलवे का सीधा सम्बन्ध न जोड़ा जाय। इस अनुभव के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि जब तक हम आसाम में ही उस रेलवे का हैडक्वार्टर नहीं रखते हैं तब तक उस काम को तेजी के साथ नहीं कर सकते। इसलिये मैं यह बता देना चाहता हूं कि हम ने यह निश्चय आसाम की राजनीतिक भावना के कारण नहीं किया है। बल्कि जब मैं ने यह निश्चय किया था उस समय वह चीज हमारे सामने थी ही नहीं।

एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं कि जिस वक्त डिवीजनल स्कीम चल रही थी, उस वक्त जिन जिन जगहों पर उपक्षेत्रीय दफ्तर खुलने की सम्भावना थी वहां के लोगों को तो कुछ प्रसन्नता थी, लेकिन मैं ने साथ ही साथ यह भी देखा कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों स्थानों में जहां से डिस्ट्रिक्ट हटने वाले थे वहां के लोगों में काफी बेचैनी थी और मुझ से पार्लियामेंट के सदस्यों ने और वहां के दूसरे बहुत से लोगों ने भी अनुरोध किया कि हमारे यहां से डिस्ट्रिक्ट न हटाये जायें। लेकिन डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट एक साथ नहीं चल सकता था। इस का अभी भी कुछ नजारा सदन में माननीय सदस्य देख सकते हैं। दो-दो पंडित, श्री डी० एन० तिवारी और श्री विभूति मिश्र, यहां बैठे हैं, पर एक मत नहीं हो सकते। मैं तो हर वक्त इस बात का स्वागत करता हूं कि पार्लियामेंट के सदस्य मुझ से मिलें....

**उपाध्यक्ष महोदय** : यहां तो सभी पंडित हैं।

**श्री जगजीवन राम** : लेकिन ये दोनों आपस में यह निर्णय नहीं कर पाते कि वह सोनपुर में होना चाहिये या मुजफ्फरपुर में होना चाहिये। अगर ये दोनों सदस्य आपस में निश्चय कर के हमारे सामने पेश कर दें तो हमारा काम आसान हो जायेगा।

**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : वह तो गुजरात और महाराष्ट्र जैसा मामला है।

**श्री जगजीवन राम** : जनाब, मैं आप को बता देना चाहता हूं कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है कि उत्तर बिहार का ट्रेड, कामर्स और इंडस्ट्री (व्यापार, वाणिज्य और उद्योग) सब कुछ बरबाद हो जायेगा लेकिन कैसे हो जायेगा यह किसी सदस्य ने नहीं बतलाया है। मैं बताना चाहता हूं कि आज स्थिति क्या है। यह सोचना कि देश के किसी भी प्रदेश में केवल किसी एक ही रेलवे का चलना यह असम्भव है। आप किसी भी प्रदेश को ले लें, चाहे आप बिहार को लें, या बंगाल को लें, या उत्तर प्रदेश को लें, या मध्य प्रदेश को लें, आप को मानना पड़ेगा कि उस प्रदेश में दो, तीन या चार रेलवे सिस्टम चालू हैं। और यह बिल्कुल मुनासिब बात भी है, क्योंकि हमारा मुल्क इतना बड़ा है। यहां पर कई रेलवे सिस्टम हैं। आप छोटे से राज्य बंगाल को लें। उस में भी नार्थ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न रेलवे सिस्टम हैं...

**श्री सिंहासन सिंह** : मद्रास।

**उपाध्यक्ष महोदय** : पंजाब।

**श्री जगजीवन राम** : पंजाब में भी थोड़ा सा दूसरा रेलवे सिस्टम आ जाता है। तो मैं कह रहा था कि आप को सभी को कई रेलवेज के साथ डील करना पड़ता है। बिहार के बारे में मैं अभी ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न के सम्बन्ध में नहीं कहूंगा, नार्थ ईस्टर्न के सम्बन्ध में कहूंगा। अभी भी बिहार में जो रेलवेज हैं उन में से २७४ मील पांडू रीजन में है और बाकी मुजफ्फरपुर रीजन में है और कुछ लखनऊ

[श्री जगजीवन राम]

के इलाके में पड़ती है। मैं यह बतलाना चाहता था कि सदस्यों में यह काफी गलतफहमी है कि हमारा काफी हिस्सा पांडू में चला जा रहा है। मैं उस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं। आज भी नार्थ ईस्टर्न रेलवे का बिहार में १२६८ मील का माइलेज है इस में से २७४ मील अभी भी पांडू जोन में पड़ता है। अब जो नया जोन बनाया जायेगा, जिस का अभी हम ने नामकरण नहीं किया है, उसमें यह २७४ से बढ़ कर ४५५ हो जायेगा। यानी १८१ मील और चला जायेगा। पंडित द्वारिका नाथ तिवारी ने कहा कि हमारे यहां इतनी रेलवे माइलेज है तो उस को नया जोन बना दीजिये। शायद उन को आंकड़े नहीं मालूम हैं या उत्तर बिहार की लम्बाई को उन्होंने इन्फ्लेट (बढ़ा) कर दिया है। जैसा मैं ने आप से कहा टोटल माइलेज (कुल मील विस्तार) १२६८ है जिस में से अभी भी कुछ दूसरे हिस्से में है।

लोग यह कहते हैं कि अगर क्षेत्रीय कार्यालय पांडू चला जायेगा तो लोगों को गोरखपुर के बजाय पांडू जाना होगा और इस में दिक्कत होगी। लेकिन अभी भी तो बिहार के कई सैक्शन हैं जिन को पांडू जाना पड़ता है। आप कहेंगे कि यह भी गलत है। लेकिन जैसा मैं ने आप से कहा कि यह तो सम्भव नहीं हो सकता कि हम इस तरह का जोन बनायें कि एक प्रदेश के लोगों को एक ही स्थान पर जाना पड़े, दो स्थानों पर न जाना पड़े। रेलवे के फंकशनिंग (कार्य-संचालन) के हिसाब से यह असम्भव है। यह बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहां रीजनल भावना इतनी प्रबल है।

**श्री श्रीनारायण दास** : सवाल यह है कि आसाम आने जाने में जो असुविधा अभी है वह बहुत दिनों तक दूर होने वाली नहीं है चाहे आप दूसरी रेलवे भी कायम कर दीजिये।

**श्री जगजीवन राम** : मैं वही कह रहा था। माननीय सदस्य उस को फिर से समझने की कोशिश करें। अभी भी बिहार का २७४ मील का रेलवे का हिस्सा पांडू में है। उस हिस्से के लोगों को पांडू अभी भी जाना पड़ता है मुजफ्फरपुर नहीं जाना पड़ता।

**उपाध्यक्ष महोदय** : जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है वह और मिनिस्टर साहब आपस म बैठ कर इस मामले को तै कर लें। यह बिहार का मामला है। इस का फैसला तभी हो सकता है जब वह आपस में बैठ कर तै करें। यहां पर तो एक मैम्बर की अलाहिदा-अलाहिदा राय है।

**श्री जगजीवन राम** : जो प्वाइंट यहां उठाये गये हैं, उन का तो मुझे यहां जवाब देना ही है। मिलने के लिये तो जब चाहें मिल सकते हैं।

श्री श्रीनारायण दास जी ने कहा कि पार्लियामेंट के सदस्य, बिहार विधान सभा के सदस्य और मिनिस्टर साहब मिल कर इस का फैसला करें लेकिन अगर जिस प्रदेश से सम्बन्ध हो उस प्रदेश के विधान सभा के सदस्यों से, पार्लियामेंट के सदस्यों से और दूसरे लोगों से मिल कर ही हम कोई फैसला करें तब तो हमारे लिये कोई निर्णय करना सम्भव ही नहीं होगा। इसलिये मैं इस सुझाव को तो किसी भी हालत में मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

**श्री श्रीनारायण दास** : सब की राय तो आप सुन लें उस के बाद जो चाहें करें।

**श्री जगजीवन राम** : मैं इस सिद्धान्त को मानने को तैयार नहीं हूं कि हम को अगर किसी राज्य के सम्बन्ध में निर्णय लेना हो तो उस राज्य की सरकार से ही नहीं बल्कि वहां की असेम्बली के सदस्यों से मिल कर निर्णय करें। इस तरह से हमारा काम करना असम्भव हो जायेगा। कहां तक हम यह कर सकते हैं कि हम हर मौके पर वहां के असेम्बली के सदस्यों से राय लें और चैम्बर्स आफ

कामर्स से बात करने जायें ? उन के लिये रास्ता खुला है, उन को जो कहना हो उस के लिये वह मेमो-रैन्डम (ज्ञापन) या रिप्रेजेन्टेशन (प्रतिनिधान) दे सकते हैं। हम जा कर उन से राय लें, यह बात कोई मेरी समझ में नहीं आती, और मैं इस सुझाव को मानने के लिये तैयार नहीं।

हां, मैं यह कह रहा था कि दिक्कत है। पहले तो यही बात मेरी समझ में नहीं आती है कि कितने लोगों को हैडक्वार्टर्स में जाने की आवश्यकता पड़ती है, । बहुत कम लोगों को वहां जाने की आवश्यकता पड़ती है ? यह मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं पड़ती, और उस का उपाय किया जा सकता है। डिवीजनल सिस्टम को तो हम ने तय कर लिया है कि वहां नहीं करेंगे। छोटी रेलवे है, इसलिये वहां डिस्ट्रिक्ट सिस्टम ही रक्खेंगे। हां डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जो अधिकार होते हैं वह डिवीजन वालों से कम होते हैं। लेकिन मैं इस चीज को भी देख रहा हूं कि किस तरह से हम डिस्ट्रिक्ट को लिबरलाइज (सस्ती कम करके) कर के उन्हें अधिक अधिकार दे सकते हैं।

एक चीज दूसरी भी है जो हम सोच रहे हैं। यह प्रश्न पैदा किया गया कि सिर्फ आसाम का जो हिस्सा है फकीराग्राम तक वह आसाम में रहेगा। इसकी तह में एक पर्निशस प्रिंसिपल (हानिकर सिद्धान्त) उठाया गया है और वह पर्निशस प्रिंसिपल यह है कि जिस प्रदेश में जितनी रेलवे है वह उसी में रहे, बाहर न जाये। मैं इसे कबूल करने को तैयार नहीं। इस चीज को कबूल करने से रेलवे प्रशासन जो है वह कभी भी एफिशिएंटली फंक्शन (कार्यक्षमता पूर्ण कार्य) नहीं कर सकता है। हम को रेल को एक से अधिक प्रान्तों से हो कर ले जाना पड़ेगा। हमारा एक ऐसा रेलवे सिस्टम भी है जो मुल्क के एक हिस्से से ले कर दूसरे छोर तक पहुंचता है। अगर इस तरह से हर प्रान्त वाले सोचने लगें कि जहां एक प्रदेश की सीमा खत्म होती है वहां पर उस की रेलवे की सीमा भी खत्म हो जाये, और दूसरे राज्य से दूसरी रेलवे प्रारम्भ हो, यह असम्भव है, और चल नहीं सकता है।

एक यह बात उठाई गई कि बरौनी नये जोन में जाय या न जाय। तो हम ने यह निश्चय किया है कि फिलहाल कटिहार तक ही पांडू में जायेगा। मोकामा ब्रिज (पुल) बन जाने के बाद बरौनी का महत्व बहुत बढ़ जायेगा। शायद यह हमारे देश के बड़े मार्शलिंग यार्डस् में से हो जायेगा। मैं सदन को यह भी बता देना चाहता हूं कि बरौनी से जो हमारा आयात निर्यात होगा वह अधिकतर बरौनी से पूर्व के हिस्से में रहेगा। जितना हमारा सामान जायेगा, गुड्स ट्रैफिक (माल का यातायात) होगा वह अधिकतर पूर्व को जाने वाला होगा या वहां से आने वाला होगा। वास्तव में रेलवे को ऐडमिनिस्ट्रेटिबली एफिशिएंटली चलाने के लिये बिल्कुल मुनासिब सी बात जान पड़ती है कि बरौनी का हिस्सा भी पूर्व के साथ चला जाये। लेकिन यह अभी प्राविजनल (अस्थायी) फैसला समझिये, इस तरफ देखते हुए कि जब तक गंगा ब्रिज पूरा तैयार नहीं हो जाता है, तब तक इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित फैसला करना मुनासिब नहीं है। लेकिन रेलवे के एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिये ऐसा लगता है कि यह करना जरूरी है।

एक चीज मैं ने और भी सोची है, और वह यह कि इस समय बिहार का कुछ हिस्सा पड़ता है या उत्तरी बंगाल का कुछ हिस्सा पड़ता है, जब तक आसाम लिंक नहीं बढ़ जाती है, तब तक वहां के लोगों को पांडू जाने में ज़्यादा वक्त लगेगा या उन को परेशानी होगी। हम कोई ऐसा भी इंतजाम करना चाहते हैं कि उन को पांडू न जाना पड़े और उन का अधिकतर काम कटिहार में निकल जाया करे। इस का स्वरूप क्या होगा, यह मैं ने अभी निश्चित नहीं किया है, लेकिन मैं कुछ इस तरह का इंतजाम करना चाहता हूं कि इस इलाके के लोगों को पांडू न जाना पड़े, चाहे वे नार्थ बिहार के उस हिस्से के ही क्यों न हों जिस का सम्बन्ध पांडू से अभी भी है।

[श्री जगजीवन राम]

मगर मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं कि यह फैसला किसी राजनैतिक वजह से नहीं हुआ है। हां, आसाम का एक अपना महत्व है, हमारी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा बन जाने की वजह से उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पार्टेंस से उस का महत्व और बढ़ जाता है। इस दृष्टिकोण को हमें नहीं भूलना चाहिये, और इसलिये हम लोगों को यह निर्णय लेना पड़ा कि आसाम रेलवेज को हम मजबूत बनायें, दृढ़ बनायें और ऐसी बना दें कि आवश्यकता पड़ने पर हम देश के किसी हिस्से से भी आसाम में हम लोगों को और चीज़ों को जल्द से जल्द पहुंचा सकें। इसलिये हमें यह निश्चय करना पड़ा। हां, इस पुनर्गठन से रेलवे कर्मचारियों का थोड़ा सा डिस्लोकेशन (स्थानांतरण) जरूर होता है, लेकिन हम प्रयत्न करेंगे कि कम से कम डिस्लोकेशन हमें करना पड़े।

**इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, १७ अगस्त, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | | ३७३१–५४ |
| तारांकित प्रश्न संख्या | | |
| ८८८ | भारत का राज्य व्यापार निगम | ३७३१–३३ |
| ८८९ | कपड़े के भाव | ३७३३-३४ |
| ८९० | ग्राम आवास | ३७३४–३६ |
| ८९१ | प्रथम पंचवर्षीय योजना का व्यय | ३७३६-३७ |
| ८९२ | छटनी किये गये कर्मचारी | ३७३८-३९ |
| ८९३ | मलाया में भारतीय राष्ट्रजन | ३७३९-४० |
| ८९४ | पृष्ठानुसार मूल्य सूची | ३७४१ |
| ८९५ | सरकारी छापाखाने | ३७४२ |
| ८९६ | औद्योगिक सहकारी संस्थाएं | ३७४३ |
| ८९७ | द्वितीय पंचवर्षीय योजना | ३७४३–४५ |
| ८९८ | प्रलेखीय चलचित्र | ३७४५-४६ |
| ८९९ | मलाबार स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, कलई, केरल | ३७४६-४७ |
| ९०० | गैस निर्माण | ३७४७–४९ |
| ९०२ | अमृतसर में विस्थापित व्यक्ति | ३७४९-५० |
| ९०३ | विदेश व्यापार बोर्ड | ३७५०-५१ |
| ९०५ | होज़री (मोजे, बनियान आदि) निर्माण के लिये सुइयां | ३७५१-५२ |
| ९०६ | आंध्र में सहकारी कपड़ा मिलें | ३७५२-५३ |
| ९०८ | मलनाड क्षेत्र का संवर्द्धन | ३७५३-५४ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | | ३७५४–७५ |
| तारांकित प्रश्न संख्या | | |
| ९०४ | जहाजों के डीजल इंजनों का निर्माण | ३७५४ |
| ९०७ | पाकिस्तान में एक भारतीय राष्ट्रजन की गिरफ्तारी | ३७५५ |
| ९०९ | श्रमिकों के लिये स्वास्थ्य स्थान | ३७५५ |

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)


| तारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| ६१० | त्रिपुरा में पुनर्वास कार्य | ३७५५-५६ |
| ६११ | मिट्टी के बर्तन तथा कुम्भकारी उद्योग के मजदूर | ३७५६ |
| ६१२ | डिडवाना नमक | ३७५६ |
| ६१३ | आकाशवाणी के कार्यक्रम | ३७५६-५७ |
| ६१४ | जूते बनाने का उद्योग | ३७५७ |
| ६१५ | कपड़े की मिलों का बन्द हो जाना | ३७५७ |
| ६१६ | हथकरघे का कपड़ा | ३७५७ |
| ६१७ | चीनी उद्योग में भविष्य निधि योजना | ३७५८ |
| ६१८ | तार (केबल) कारखाना, त्रिपुनिथुरा (केरल) | ३७५८ |
| ६१९ | वस्त्र निर्यात | ३७५८-५९ |
| ६२० | भारत का राज्य व्यापार निगम | ३७५९ |
| ६२१ | प्रेस परिषद् विधेयक | ३७६० |
| ६२२ | अम्बर चरखा | ३७६० |
| ६२३ | एकस्वों का पंजीयन | ३७६१ |
| ६२४ | कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम | ३७६१ |
| ६२५ | अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार | ३७६१ |
| ६२६ | सक्रिय करघे | ३७६१-६२ |
| ६२७ | सीमेन्ट अभ्यंश | ३७६२ |
| ६२८ | औद्योगिक बस्तियां | ३७६२ |
| ६२९ | राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् | ३७६२-६३ |
| ६३० | राष्ट्रीय उत्पादन | ३७६३ |
| ६३१ | स्वदेशी काटन मिल्स, पांडिचेरी | ३७६३ |

| अतारांकित प्रश्न संख्या | | |
|---|---|---|
| ६६३ | घुड़दौड़ के घोड़ों के आयात पर खर्च | ३७६४ |
| ६६४ | हथकरघे का माल | ३७६४ |
| ६६५ | ग्रामोद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योग | ३७६४—६७ |
| ६६६ | तकुओं का आयात | ३७६७-६८ |
| ६६७ | नई दिल्ली में रिक्शा | ३७६८ |
| ६६८ | आयात लाइसेन्स | ३७६८ |
| ६६९ | उड़ीसा में खनन-क्षेत्र | ३७६८-६९ |
| ६७० | केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग | ३७६९ |
| ६७१ | फर्नीचर | ३७६९-७० |

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)


| अतारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| ६७२ | जिप्सम . . . . . | ३७७०–७१ |
| ६७३ | हाथ का कुटा चावल . . . . | ३७७१ |
| ६७४ | विस्फोटक लाइसेन्स . . . . | ३७७१–७२ |
| ६७५ | काम दिलाऊ दफ्तर . . | ३७७२ |
| ६७६ | मंत्रियों के निवास स्थान . . . | ३७७३ |
| ६७७ | कोयलाखान श्रमिक कल्याण निधि . . . | ३७७३ |
| ६७८ | हथकरघा उद्योग . . . . | ३७७४ |
| ६७९ | मधुमक्खी पालन . . . . | ३७७४ |
| ६८० | उर्वरक . . . . . | ३७७४ |
| ६८१ | त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों के लिये भूमि . . | ३७७४–७५ |

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३७७५–७६


निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखे गये :—

(१) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २७ जुलाई, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २४०५ की एक प्रति ।

(२) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) परिरक्षित फल उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५७) ।

(दो) दिनांक ६ अगस्त, १९५७ का सरकारी संकल्प संख्या १३ (३) टी पी०/५७ ।

(तीन) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ (२) के परन्तुक के अधीन विवरण, जिस में इस के कारण बताये गये हैं कि उपरोक्त (१) और (२) में उल्लिखित दस्तावेजों को उक्त धारा में नियत अवधि के अन्दर सभा-पटल पर क्यों नहीं रखा जा सका ।

(चार) मोटर गाड़ी के हाथ पम्पों के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५७) ।

(पांच) दिनांक २ अगस्त, १९५७ का सरकारी संकल्प संख्या २१ (३) टी पी०/५७ ।

विषय पृष्ठ

(३) वर्ष १९५६–५७ के लिये नारियल जटा बोर्ड के कार्यों के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(४) अन्तरीष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा जून, १९५६ के ३९वें अधिवेशन में स्वीकृत सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी अथवा की जाने वाली कार्यवाही के विवरण की एक प्रति सिफारिशों के मूल पाठ सहित ।

**गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन** ३७७६

चौथा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

**अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना** . ३७७६–७७

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन ने सोनाली स्टेशन के आगे रेलों को बन्द किये जाने की ओर, जिस के परिणामस्वरूप बहुत से यात्री कटिहार स्टेशन पर रुके रहे, रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया ।

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवनराम) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

**अनुदानों की मांगें** . . . . . ३७७७–३८२६

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा के पश्चात् मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

गृह-कार्य मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

**आंधे घंटे की चर्चा** . . ३८२६–३४

पंडित द्वा० ना० तिवारी ने वर्तमान पूर्वोत्तर रेलवे में से नये रेलवे महाखण्ड के निर्माण के बारे में २४ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २९३ के उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई ।

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवनराम ) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

**शनिवार, १७ अगस्त, १९५७ के लिये कार्यावलि—**

गृह-कार्य मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर अग्रेत्तर चर्चा और गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प ।

| | पृष्ठ |
|---|---|
| श्री जांगड़े . . . . . | ३८१९—२३ |
| श्री नाना पाटिल . . . . . | ३८२४-२५ |
| श्री पु० र० पटेल . . . . . | ३८२५-२६ |
| श्री हेडा . . . . . | ३८२६ |
| पूर्वोत्तर रेलवे में से एक नये रेलवे महाखण्ड के निर्माण के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . . . | ३८२६—३४ |
| **दैनिक संक्षेपिका** . . . . . | ३८३५—३८ |

P. L. S. 41. V. 24. 57.
170

भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित तथा लोक-सभा सचिवालय द्वारा लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ तथा ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित ।